लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३५, १९५९/१८८१ (शक)

[१६ से २७ नवम्बर १९५९/२५ कार्तिक से ६ अग्रहायण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 18.11.85
Parliament Library
Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

284 (Ai) L.S.D.—11.

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ३५, अंक १ से १०--१६ से २७ नवम्बर, १९५९/२५ कार्तिक से ६ अग्रहायण १८८१ (शक)

अंक १--सोमवार, १६ नवम्बर, १९५९/२५ कार्तिक, १८८१ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १२, १४ से १९ और २१ . . . १--२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३, २० और २२ से ३४ . . . २७--३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३ . . . . ३५--५६

निधन सम्बन्धी उल्लेख ५६--५७

चीन-भारत सीमा दुर्घटना में मारे गये पुलिस सिपाही . . . ५७

स्थगन प्रस्ताव--

भारत-चीन सीमा दुर्घटनायें ५७--६५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६५--६८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६८--६९

संसदीय समितियां--कार्य सारांश ६९

प्राक्कलन समिति--

बासठवां प्रतिवेदन ६९

भाखड़ा दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ७०

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य . . . ७१

आगरा-इलाहाबाद सवारी गाड़ी की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ७२

भारत-पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . . ७३--७४

समवाय (संशोधन) विधेयक ७५

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना

विधेयक--पुरस्थापित ७५--७६

१. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

२. संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक

३. हज समिति विधेयक

स्त्र विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ७६

दैनिक संक्षेपिका १०७--१५

अंक २--मंगलवार, १७ नवम्बर, १९५९/२६ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ३५ से ४५ . ११७--४२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७६ . . . . . १४३—५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से १२६ . . . . . १५६—६७
स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . . . . १६१—६५
बड़ाहोती से भारतीय सीमा पुलिस की वापसी—
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १६५—६७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता बन्दरगाह में आपात काल की घोषणा . . . १६७
शस्त्र विधेयक . . . . १६८—२२८
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव
खण्ड २ से ४६ और १ . . . . . २०५—२८
पारित करने का प्रस्ताव . . . . . २२६—२८
विविध वैयक्तिक विधियां (विस्तार) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . २२६—३३
खण्ड २ से ४, अनुसूची १ और २ तथा खण्ड १ . . २३२—३३
पारित करने का प्रस्ताव २३३
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २३३
खण्ड २, ३ और १ . . . . . . २३७—३६
पारित करने का प्रस्ताव २३६
दैनिक संक्षेपिका . . . . २४०—४५

अंक ३—बुधवार, १८ नवम्बर, १६५६/२७ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या ७७ से ६० २४७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६१ से १२१ . . २७०—८५
अतारांकित प्रश्न संख्या १३० से २०१ और २०३ से २०६ २८५—३१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८० के उत्तर में शुद्धि ३१८
श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी का निधन . . . . ३१८—१६

अंक ४—गुरुवार, १६ नवम्बर, १६५६/२८ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या १२२ से १३२, १३४ और १३५ . ३२५—४८

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३३ और १३६ से १५४ . . .	३४९—५८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २७१ . . .	३५८—८५
स्थगन प्रस्ताव—	
चीनियों द्वारा लद्दाख में एक हवाई अड्डे का कथित निर्माण . .	३८५—८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९—९५
विधेयक पर राय	३९५
दहेज रोक विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . .	३९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	३९६
प्राक्कलन समिति—	
छियासठवां प्रतिवेदन	३९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता	३९६—९७
तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर की शुद्धि . . .	३९७
विधि व्यवसायी विधेयक—पुरस्थापित	३९८
आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं) में परिवर्तन विधेयक . .	३९८—४१२
विचार करने के लिए प्रस्ताव	३९९—४१२
दामोदर घाटी निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	४१२—२३
कार्य मंत्रणा समिति—	
चवालीसवां प्रतिवेदन	४२३
दैनिक संक्षेपिका	४२४—३३

अंक ५—शुक्रवार, २० नवम्बर, १९५९/२९ कार्तिक, १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १५८, १५५, १५७, १५९ से १६२, १६४ से १६७, १६९ और १७०	४३५—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६, १६८ और १७१ से १९५ . .	४५९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २७२ से ३०६, ३०८ से ३३३ और ३३५ से ३३८	४७१—९९
स्थगन प्रस्ताव—	
दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ी को रोका जाना . . .	४९९—५००

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५००—०३
सभा का कार्य	५०३
तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर की शुद्धि	५०३—०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
चवालीसवां प्रतिवेदन	५०४
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पुरस्थापित	५०४—०५
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक	५०५—१६
विचार करने के लिए प्रस्ताव	५०५—१६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	५१७
हैदराबाद अथवा बंगलौर में लोक सभा का एक सत्र होने के बारे में संकल्प	५१७—४३
देश के प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में संकल्प	५४३—४४
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका	५४४
दैनिक संक्षेपिका	५४५—५२
अंक ६—सोमवार, २३ नवम्बर, १९५९/२ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०७, २०९ से २१३, २१७ से २१९, २२२ और २२३	५५३—७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २०८, २१४ से २१६, २२०, २२१ और २२४ से २३२	५७९—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३९ से ४०८	५८७—६१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१९—२२
प्राक्कलन समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	६२२
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक	६२३—४४
विचार करने के लिये प्रस्ताव	६२३—३७
खण्ड २ से ५४, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १	६३७—४४
पारित करने के लिये प्रस्ताव	६४४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक	६४४—५८
विचार करने के लिए प्रस्ताव	६४४—५८
चीनी की कमी के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६५८—६६
दैनिक संक्षेपिका	६६७—७३

विषय	पृष्ठ
अंक ७—मंगलवार, २४ नवम्बर, १९५९/३ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
*तारांकित प्रश्न संख्या २२३ से २३७, २३९ से २५०, २५२ और २५३ .	६७५—७०३
तारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर में शुद्धि .	७०३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . .	७०३—०५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २३८, २५१ और २५४ से २६९ . .	७०५—१३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४६५	७१३—३६
स्थगन प्रस्ताव—	
डा० राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी	७३६—३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	७३८—३९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल)	७३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेल गाड़ियों में डकैतियां	७३९
तेल के बारे में वक्तव्य	७३९—४२
जर्मन आस्तियों की मुक्ति के बारे में वक्तव्य . .	७४२
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . . .	७४२—४८
विचार करने के लिये प्रस्ताव	७४२
खण्ड २, ३ और १	७४७—४८
पारित करने के लिए प्रस्ताव	७४८
हज समिति विधेयक	७४८—६३
विचार करने के लिए प्रस्ताव	७४८
खण्ड २ से १९ और १७	७६१—६३
पारित करने के लिए प्रस्ताव	७६३
समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में वक्तव्य .	७६४—८४
दैनिक संक्षेपिका	७८५—९०
अंक ८—बुधवार, २५ नवम्बर, १९५९/४ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
*तारांकित प्रश्न संख्या २७१ से २७३, २७५ से २८०, २८२, २८४ से २८८, २९०, से २९२, २९४, २९५ और २९८	७९१—८१८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	८१८—१९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७४, २८१, २८३, २८६, २९३, २९६, २९७ और २९९ से ३१७	८२०—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ५२२ . .	८३१—५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	८५४—५७
राज्य सभा से सन्देश	८५७
प्राक्कलन समिति—	
चौसठवां प्रतिवेदन	८५८
तारांकित प्रश्न संख्या १३१४ के उत्तर की शुद्धि . .	८५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति . . .	८५९
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—पुरस्थापित . . .	८५९
भारत चीन संबंधों के बारे में प्रस्ताव . .	८६०—९७
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	८९७
दैनिक संक्षेपिका	८९८—९०५

अंक ९—गुरुवार, २६ नवम्बर, १९५९/५ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ से ३३२, ३३४ से ३३९ और ३४१	९०७—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१९, ३२३, ३३३, ३४० तथा ३४२ से ३५२ .	९३०—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५५२ तथा ५५४ से ५७० . .	९३७—५४
स्थगन प्रस्ताव—	
भारत-पाक सीमांकन	९५४—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९५७ ५८
जहाज बनाने के दूसरे कारखाने के स्थान के बारे में वक्तव्य . . .	९५८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतालसवां प्रतिवेदन	९५८—५९
प्रक्रिया का प्रश्न	९५९
भारत चीन सम्बन्धों के बारे में प्रस्ताव	९५९—१००२
दैनिक संक्षेपिका	१००३—०७

विषय | पृष्ठ

अंक १०— शुक्रवार, २७ नवम्बर, १९५९/६, अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ और ३५५ से ३६७ . . . १००९—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ और ३६८ से ३९८ . . . १०३४—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७१ से ६२१ . . . . . १०४७—६८

स्थगन प्रस्ताव . . . . १०६८—७१

(१) भारत-पाक सीमांकन . . . १०६८—७०

(२) चिथाई–तिब्बत राजपथ . . . १०७०—७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०७१–७२

राज्य सभा से सन्देश १०७२

सभा का कार्य . . . १०७२

दण्डकारण्य विकास प्रधिकार के संबंध में वक्तव्य १०७३–७४

सदस्य की रिहाई . . १०७४

भारत चीन संबंधों के बारे में प्रस्ताव . १०७४—८९

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक १०९०—९३

विचार कर के लिये प्रस्ताव . . . १०९०—९३

विधेयक पुरस्थापित . . . १०९३–९४

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . . . १०९३

(२) परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक . . १०९३–९४

(३) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक १०९४

धार्मिक पूजा स्थान प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का) पुरस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत १०९४–९५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) (श्रीमती सुभद्रा जोशी का) १०९५—१११७

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . १०९५—१११४

खंड २, १ और अधिनियम सूत्र . . . १११४—१७

पारित करने के लिये प्रस्ताव १११७

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री बाल्मीकी का) विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . . १११८—२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ११२७—३३

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचिंत राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

253 (Ai) LSD—1

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री वे० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वरदत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित––आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़––उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क—(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीम नगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)
खां, श्री सादत अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री सार्धन (कलकत्ता--पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम--रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित--आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुव (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगाँव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेना, श्री कान्हुकरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आन्नद चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोडा, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

द--(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)
नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित--लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

न--(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोज़ीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण, (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री (सीतापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प--(क्रमशः)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसरा)
पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज़)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती, कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा --रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथसिंह, श्री (सरगुजा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ब --(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण, (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरंग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)

भार्गव, पंडित ठाकुरदास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म--(क्रमश:)

मणियगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मन्नेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)

मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)

मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता-मध्य)

मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुम, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद, अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबांकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथसिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

र--(क्रमशः)

राउत, श्री भोला (चम्पारन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, (श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

रानै, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन् श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामन्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, , डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मंम्)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

र--(क्रमशः)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित--अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)

वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

व न राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्ज़ापुर)

व--(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वैरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरुदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (तिरुमलपट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाज़ीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

स--(क्रमशः)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर--उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन्, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)

सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

253 (Ai) LSD—2

ह—(क्रमशः)

हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री कांगड़ा)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री तंगामणि

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुवीर सहाय

श्री तिरुमल राव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री अशोक कुमार सेन
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुब्बरायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री च० द० पांडे
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री मी० रू० मसानी
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री फतहसिंह घोडासर

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण गुप्त
श्री सु० हंसदा
श्री र० सिं० किलेदार
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री षनमुघ गौंडर
श्री बै० च० मलिक
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बेक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

डा० सुशीला नायर

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री न० रं० घोष

श्री मथुरा दास माथुर

श्रीमती मफीदा ग्रहमद

काजी मतीन

श्री नरेन्द्रभाई नथवानी

श्री राजेश्वर पटेल

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री शंकरपाण्डियन

श्री झूलन सिंह

श्री हेम बरुग्रा

श्री बासप्पा

श्री प्रताप केसरी देव

श्री द० ग्र० कट्टी

श्री भाऊसाहब रावसाहब महागांवकर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री नागी रेड्डी

श्री वुजुकुरु रामी रेड्डी

सरदार ग्रमर सिंह सहगल

श्री दिनेश सिंह

सरदार इकबाल सिंह

श्री रघुनाथ सिंह

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री ग्र० मु० तारिक

श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री विश्वनाथ राय

श्री वासुदेवन नायर

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी बाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री बी० दासगुप्त

श्री गणपति राम

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री अं० वै० घाटे

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री छ० म० केदरिया

श्री शिवनंजप्पा

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री बीरबल सिंह

श्री झूलन सिंह

श्री यादव नारायण जाधव

श्री स० अ० अगाड़ी

डा० पशुपति मंडल

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री थानुलिंगम् नाडर

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री मनायन

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री कोरटकर

श्री परूलकर

श्री नेसवी

श्री राधा रमण

श्री अरविन्द घोषाल

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

लोक-लेखा समिति--(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अमोलक चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

श्री रोहित मनुशंकर दवे

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह--**सभापति**

श्री घनश्यामलाल ओझा

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री न० रं० घोष

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वामी

श्री ले० अचौ सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर--**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री दासप्पा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

आचार्य कृपालानी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री जयपाल सिंह

श्री विजयराम राजू

श्री प्र० के० देव

श्री भा० कृ० गायकवाड़

डा० कृष्णस्वामी

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**

श्री स० चं० सामन्त

श्री दिग्विजय नारायण सिंह

श्री राजेश्वर पटेल

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री मि० सू० मूर्ति

श्रीमती मैमूना सुलतान

श्रीमती सहोदरा बाई राय

श्री बैरो

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री खुशवक्त राय

श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति--(क्रमशः)

लोक-सभा--(क्रमशः)

श्री कन्हैयालाल खादीवाला

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दुरायस्वामी गौण्डर

श्री नारायण गणेश गोरे

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री उ० मथुरर्मलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्

श्री अमर नाथ अग्रवाल

श्री जसपत राय कपूर

डा० आर० पी० दुबे

श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार--**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री सत्यनारायण सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शिवराज

श्री राधेलाल व्यास

श्री तय्यापा हरि सोनावने

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्रीमती उमा नेहरू

श्री शंकरय्या

श्री पुरुषोतम दास पटेल

श्री अमजद अली

श्री मी० रू० मसानी

श्री न० ब० विट्ठल राव

लाभ पद सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन —**सभापति**

डा० मा० श्री अणे

श्री प्रेमजी आसर

डा० क० ब० मेनन

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधाचरण शर्मा

श्री धीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री अमोलक चन्द

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री —श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत मंत्री—हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मौ० त्रें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मूहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नाश्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री श्यामधर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २० नवम्बर, १९५९

२९ कार्तिक, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्रकाश वीर शास्त्री ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** प्रश्न संख्या १५५ ।

†**श्री वाजपेयी :** स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री नाथ पाई :** फिर उस प्रश्न का क्या होगा श्रीमन् ?

†**अध्यक्ष महोदय:** वह मंत्री के आने पर लिया जायेगा । अगला प्रश्न । अब सदस्य अनुपस्थित हैं; मन्त्री अनुपस्थित हैं । अगला प्रश्न । यह स्वास्थ्य मन्त्री से पूछा जाना है । यह भी बाद में लिया जायेगा ।

खाद्य ज़ोन

+

श्री पाणिग्रही :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रंगामणि :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

†मूल अंग्रेजी में

266 (Ai) LSD—1.

†*१५८. श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री वारियर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री कोडियान :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :
श्री दें० वें० राव :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री खुशवक्त राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री सूपकार :
श्री संगण्णा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सरजू पांडे :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री हेम बरुआ :
श्री विमल घोष :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री इलयापेरुमाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और भी बड़े खाद्य जोन लागू करने अथवा मौजूदा खाद्य जोनों की सीमा में हेर फेर करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). सितम्बर, १९५९ में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें राज्यों के मुख्य मंत्रियों और/या खाद्य मंत्रियों से इस प्रश्न पर चर्चा की गयी थी कि प्रत्येक राज्य का पृथक् जोन बनाना ठीक रहेगा या पास-पास स्थित बचत व कमी वाले राज्यों को मिला कर एक जोन बना देना बेहतर होगा । उसमें मतभेद रहा और अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया जा सका । आम तौर पर राय यह थी कि जो चर्चा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इस मसले की और भी जांच की जानी चाहिये और यदि जरूरत समझी जाये तो राज्य सरकारों से पृथक् चर्चा कर ली जानी चाहिये । बाद में, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और केरल राज्यों को मिला कर बने दक्षिणी जोन को कायम रखने का निश्चय किया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रश्न पर भी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को मिला कर एक और भी बड़ा जोन बनाया जाय, दोनों राज्य सरकारों से चर्चा की गयी लेकिन अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा और पश्चिम **बंगा को** मिला कर एक ही खाद्य जोन बनाने के प्रस्ताव पर घोर आपत्ति की है, और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार के विचारों का विरोध किया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे वरिष्ठ सहयोगी, खाद्य मंत्री ने हाल ही में कलकत्ते में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की थी। अस्थायी तौर पर यह समझौता हो गया था कि यदि उड़ीसा में भाव बढ़ने के विरुद्ध बचाव सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके तो इन दोनों राज्यों को मिलाया जा सकता है। बाद में विचार विनिमय भी हुआ है। शायद राज्य सरकार में कुछ मतभेद रहा है। इस मसले में माननीय सदस्य भी कुछ पहलुओं पर विचार कर सकते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भावों में बड़ा अन्तर रहा है। इसके फलस्वरूप उड़ीसा के उत्पादकों में बड़ा असन्तोष रहा है। जब अनाज वसूल करने और भावों का प्रश्न उठा तो अनेक सदस्यों ने उड़ीसा के उत्पादकों के लिये ज्यादा कीमत देने का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं को भी ज्यादा कीमतें अदा करनी पड़ी हैं। इसके फलस्वरूप तस्कर व्यापार हुआ **और** हम समय रहते अन्य कमी वाले राज्यों में वितरण के लिये उड़ीसा का सारा **फा**लतू अनाज हस्तगत नहीं कर पाये। इन पहलुओं पर विचार कर अस्थायी रूप से एक निर्णय कर लिया गया था।

माननीय सदस्यों को मैं यह विश्वास दिला दूं कि राज्य सरकारों ने जिन पहलुओं की ओर संकेत किया है उन सभी पर विचार कर लिया जायेगा। अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है और यदि जोन की स्थापना की गयी तो उड़ीसा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त बचाव के उपाय कर दिये जायेंगे। उड़ीसा में ऐसा स्टाक मौजूद रहेगा जो उचित समय पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कर दिया जायगा और हम इस बात की व्यवस्था कर देंगे कि कलकत्ते के भाव इतने न चढ़ें कि उड़ीसा में भारी दबाव पड़ सके।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या पंजाब सरकार से उत्तरी खाद्य जोन की सीमाओं में **फेर** बदल कर देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस :** किसी समय पंजाब सरकार ने इस आशय का अभ्यावेदन किया था कि पंजाब को पृथक् कर दिया जाय। हम उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के दो क्षेत्र और इस जोन में शामिल हैं। ये सभी प्राकृतिक रूप से पास-पास स्थित हैं और हम पंजाब सरकार का अनुरोध नहीं मान पाये।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** खाद्य वितरण की जोन वार प्रणाली राज्य द्वारा व्यापार के विचार से कैसे मेल खायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** राजकीय व्यापार का जहां तक सम्बन्ध है, जब सभा में वक्तव्य दिया गया था उसी में सरकार ने यह बता दिया था कि आवश्यक प्रशासनिक संगठन, पर्याप्त भंडारगृहों और पर्याप्त रक्षित स्टाक न होने के कारण किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनुभव करने पर हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हम उसी के आधार पर स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, यह आशा की जाती थी कि हम राज्यों का बचा हुआ सारा फालतू अनाज हस्तगत कर लेंगे यह हम नहीं कर पाये हैं। राज्य सरकारों की भी अपनी कठिनाइयां

†मूल अंग्रेजी में

हैं। यह कहना तो शायद उचित न हो कि राजकीय व्यापार की योजना छोड़ दी गयी है। हम कोई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नहीं वरन् व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय :** सम्पूर्ण देश को एक इकाई मानकर सभी जोनों को विघटित कर देने और इस प्रकार राजकीय व्यापार के संबंध में अग्रसर होने के प्रस्ताव का क्या हुआ?

†**श्री अ० म० थामस :** अभी इसमें कठिनाई हो सकती है।

†**श्रीमती रेणुका राय :** यह विचाराधीन है या इसे छोड़ दिया गया है?

†**श्री अ० म० थामस :** इसके संबंध में कमोबेश आत्मनिर्भर जोन बनाने का विचार ऊपर आया था। हम उधर से इधर भेजने और इधर से उधर भेजने से बचना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वसूली में आसानी हो सके।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** आंध्र राज्य के लिये पृथक खाद्य जोन बनाने के आंध्र सरकार के प्रस्ताव को किस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया?

†**श्री अ० म० थामस :** सभा को मालूम है कि केरल दक्षिणी जोन में शामिल है। केरल कमी वाला राज्य है। उसकी मांग लगभग ७ लाख टन की होती है। मैसूर की मांग ढाई लाख टन के लगभग है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह १० लाख टन हो जाती है। आंध्र प्रदेश ने केवल ४ लाख टन वसूली कर देने का वायदा किया है। मद्रास सरकार ने डेढ़ लाख टन की वसूली करने का वायदा किया है। इससे केवल साढ़े पांच लाख टन बनते हैं और हम शेष का प्रबंध करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं बता चुका हूं कि कमी वाले राज्यों में समय रहते वितरण करने के लिये राज्यों का फालतू स्टाक हस्तगत करने में राज्य सरकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि राज्य सरकारें पहले अपना फालतू स्टाक वसूल कर लें क्योंकि कमी वाले राज्यों की आवश्यकतायें तात्कालिक प्रकार की होती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न तो यह था कि आंध्र को पृथक जोन क्यों नहीं बनाया जा सकता?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं कठिनाई बता चुका हूं। आंध्र सरकार ने केवल ४ लाख टन की वसूली का वादा किया है और इससे केरल की कमी पूरी नहीं की जा सकेगी। इस समय दक्षिणी जोन में कुछ बचत हो जाती है और हमें दक्षिणी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बाहर से अनाज लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** खाद्य मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके विचार से भारत में खाद्य की कमी नहीं है। उस आधार पर ही आगे बढ़ने और अनाज के संभरण के लिये जोन संबंधी प्रतिबंधों के बिना सम्पूर्ण देश को एक इकाई मानकर चलने में कठिनाई है।

†**श्री अ० म० थामस :** आत्मनिर्भरता के प्रश्न का निर्णय स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा करना पड़ेगा। पिछले साल हमारे यहां अच्छी फसल हुई थी। अगले साल भी हमें अच्छी फसल होने की आशा है, लेकिन सभा को पता है कि १९५७-५८ बहुत ही बुरा वर्ष था इसलिये हम जोनों का खात्मा करने या सभी प्रतिबंध हटा देने का खतरा नहीं उठा सकते। जहां तक मेरे इन मित्र के सुझाव का संबंध है, हम समूचे देश को एक ही जोन मानने का खतरा नहीं उठा सकते। एक समय में हमने विनियंत्रण कर दिया था, उस समय ऐसी ही कुछ कार्यवाही की थी, लेकिन बाद में चलकर हमें नियंत्रणात्मक कार्यवाही करनी पड़ी और जोनों की स्थापना करन

†मूल अंग्रेजी में

ही पड़ी। जब तक हम जनता की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करते तब तक हम समूचे देश को एक ज़ोन के रूप में नहीं ले सकते।

†डा० राम सुभग सिंह : प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अन्य राज्यों को खाद्यान्न जाता है। कटाई के समय उन क्षेत्रों से कृषि मजदूर अन्य क्षेत्रों में आते हैं। क्या खण्ड प्रणाली का समायोजन करते समय ऐसे क्षेत्रों की कठिनाइयों पर ध्यान दिया जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : ज़ोनों का समायोजन करने में हमारा विचार यह है कि कमी वाले राज्यों को अपने उचित तथा प्राकृतिक संभरण साधनों से वंचित न किया जाये। जिस विशेष मामले का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, यदि इस बारे में हमें कोई विशेष कठिनाई बताई जाती है तो हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैं आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

†श्री अ० म० थामस : हमारा सुझाव है कि खाद्यस्थिति पर चर्चा की जाय। सारे पहलुओं पर विचार करने के लिए आधा घण्टा पर्याप्त नहीं होगा। हम यह प्रस्ताव रखेंगे कि खाद्य-स्थिति पर विचार किया जाय।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

तारांकित प्रश्न संख्या १५५ के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : जब मैंने प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर दिये जाने के लिये कहा तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपने स्थान पर नहीं थे। सदन मंत्रियों से यह अपेक्षा करता है कि जब उनके मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हों तो वे यहां मौजूद रहें।

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मुझे खेद है, श्रीमान्।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

*१५५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन-किन अनधिकृत उपनगरों का निर्माण रोक दिया गया है ;

(ख) ऐसे कितने उपनगर हैं जिनमें निर्माण कार्य अभी बन्द किया जाना है ;

(ग) जिन लोगों ने इन उपनगरों में भूमि खरीद रखी है उन्हें किस आधार पर पैसा लौटाया जायेगा ;

(घ) क्या सरकार ने यमुना की दूसरी ओर (शाहदरा की ओर) बस्तियां बसाने के लिए यमुना नदी पर एक और पुल बनाने का निश्चय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने पुल बनाये जायेंगे और किन-किन स्थानों पर ये पुल बनाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). निर्माण की स्वीकृति केवल उन्हीं बस्तियों में दी जाती है जिनके प्लान उचित स्थानीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। अनधिकृत बस्तियों की एक सूची सभा की मेज पर रख दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सम्भवतः प्रस्ताव यह है कि सम्बन्धित बस्ती के स्थापकों को उन व्यक्तियों को पैसा वापिस कर देना चाहिये जिन्होंने अनधिकृत बस्तियों में जमीन खरीदी है। यह विषय विशुद्ध रूप से खरीदारों एवं सम्बन्धित बस्ती के स्थापकों के द्वारा तय करने का है।

(घ) और (ङ). यमुना के बायें किनारे पर बस्तियां बसाने के सुभीते के लिए उस पर पुल बनाने का कोई विचार नहीं है। फिर भी सड़क एवं रेलवे यातायात की आसानी के लिए हुमायूं मकबरे के समीप एक सड़क का पुल और पुराने किले के पास एक रेल का पुल बनाने का विचार है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इस पत्रक में लगभग १५० अनधिकृत बस्तियों की सूची दी गई है तो क्या दिल्ली के मास्टर प्लान के कुछ रहस्य जो पीछे प्रकट हो गये थे तो क्या इन अनधिकृत बस्तियों के बसाने वालों ने उसका लाभ उठाया है?

श्री करमरकर : किस ने लाभ उठाया है?

श्री त्यागी : गवनमेंट ने।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इस पत्रक में जो अनधिकृत बस्तियों की सूची दी गई है और जिनके कि बसाने वालों ने मास्टर प्लान के रहस्यों का पहले से पता लगा लिया था तो क्या उसका लाभ उन्होंने भी उठाया था?

श्री करमरकर : यह चीज उसके बारे में नहीं है। मास्टर प्लान के रहस्यों के खुलने का जो एलिगेशन हुआ है वह आजकल का है, इन बस्तियों के बसाने की बात तो बहुत पुरानी है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो अनधिकृत बस्तियां दिल्ली के चारों तरफ बसाई जा रही हैं और कोलनाइजरों ने उनके सम्बन्ध में जिन लोगों से पैसे ले लिये हैं और यदि उन अनधिकृत बस्तियों के कोलनाइजर्स लोगों को उनके पैसे नहीं लौटाते हैं तो क्या सरकार उन पैसों को लौटवाने के लिए कुछ कार्यवाही करेगी?

श्री करमरकर : हम उनको सलाह देंगे कि वे कोर्ट में जायें।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि अभी भी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से मकानों का निर्माण हो रहा है और यदि हां तो इन मकानों के निर्माण को रोकने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं?

श्री करमरकर : जहां तक मेरी जानकारी है पहले इस तरह की चीजें दिल्ली में बहुत चलती थीं लेकिन आजकल यह कम हो रही हैं।

सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत विक्रेता से भूमि लेता है, तो वह नागरिक कार्यवाही कर सकता है।

†**श्री त्यागी :** एक औचित्य के प्रश्न पर। श्रीमन्, इस सभा की यह प्रथा है कि यदि प्रश्न लेते समय सदस्य अनुपस्थित हों तो प्रश्न अतारांकित समझा जाता है। क्या यही प्रथा मंत्री के अनुपस्थित होने पर लागू होती है या उसका उत्तर मंत्री के उपस्थित होने पर दिया जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल का उद्देश्य माननीय मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करना है। मैं नहीं चाहता कि किसी माननीय सदस्य का प्रश्न इस कारण मारा जाये कि माननीय मंत्री उपस्थित

---

† मूल अंग्रेजी में

न हो। इसीलिए मैं ने माननीय मंत्री के आते ही प्रश्न लिया है। दूसरी ओर माननीय सदस्य जानते हैं कि इन प्रश्नों के समाप्त होते ही मैं अनुपस्थित सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने का अवसर देता हूं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली विकास बोर्ड या दिल्ली निगम ने गैर-सरकारी भूमि ली और वह लोगों को क्रय-मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची ?

†**श्री करमरकर :** इसकी मैं पूर्व सूचना चाहता हूं। यदि उन्होंने भूमि का विकास किया था, तो स्वाभाविक है कि वे उसे अधिक मूल्य पर बेचें।

संसत्सदस्यों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*१५७. +
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पद्म देव :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री कोडियान :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसत्सदस्यों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के सम्बन्ध में संसत्सदस्यों के वेतन तथा भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति के निश्चयों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस योजना को लागू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना संसत्सदस्यों के लिए लागू कर दी गई है तीन डिस्पैंसरियों के नाम निम्न हैं :

(१) नार्थ एवेन्यू;

(२) साउथ एवेन्यू; और

(३) कंस्टिट्यूशन हाउस।

---

†मूल अंग्रेजी में

ये डिस्पैंसरियां १६ नवम्बर, १९५९ से चल रही हैं। ये केवल संसत्सदस्यों के लिए ही नहीं अपितु अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भी हैं जो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में आते हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** जो सदस्य नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और कंस्टिट्यूशन हाउस में नहीं रहते, उनके लिए क्या प्रबन्ध है ?

†**श्री करमरकर :** यदि वे तीनों डिस्पैंसरियों से दूर रहते हैं, तो मैं यह व्यवस्था करूंगा कि उन्हें पास वाली अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पैंसरी से सुविधायें मिलें।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, चूंकि जो बुलेटिन प्रकाशित किया गया है उसमें परिवार की व्याख्या स्पष्ट नहीं की गई है कि कौन कौन व्यक्ति परिवार में सम्मिलित होंगे, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत सूचना प्रकाशित की जायेगी ?

श्री करमरकर : जी हां, यह एक्स्प्लेनेशन हम सर्कुलेट करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और कंस्टिट्यूशन हाउस की इन डिस्पैंसरियों से औसत रूप में कितने व्यक्तियों को सुविधा प्राप्त होगी ?

†**श्री करमरकर :** सामान्यतया हम चाहते हैं कि इनसे लगभग १०,००० व्यक्तियों को सुविधा प्राप्त हो।

†**श्री नरसिंहन :** संसत्सदस्य अन्य होस्टिलों में भी रहते हैं और उनको यह सुविधा नहीं दी गई है। उदाहरणार्थ, वेस्टर्न कोर्ट में संसत्सदस्य रहते हैं ?

†**श्री करमरकर :** संसद् की संयुक्त समिति ने इस प्रश्न की जांच की थी और अपना निर्णय दिया था। हमने उनका निर्णय स्वीकार किया है।

मेरा विचार है कि वेस्टर्न कोर्ट के लोगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए कंस्टिट्यूशन हाउस जाना होगा।

†**श्री नरसिंहन :** वहां एक डिस्पैंसरी खोलने के बारे में क्या संभावना है ?

†**श्री करमरकर :** इस पर विचार नहीं किया गया है।

†**श्री सोनावाने :** क्या संसत्सदस्यों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना से वे जहां हों वहीं सुविधा प्राप्त होगी, अर्थात्, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में या केवल उस समय सुविधा प्राप्त होगी जबकि वे दिल्ली में होंगे ?

†**श्री करमरकर :** अभी यही सुविधा सदस्यों तथा उनके परिवारों को दिल्ली में और काम पर होने पर ही प्राप्त होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इस स्वास्थ्य योजना का जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है, जिन दिनों में सदन का अधिवेशन चल रहा होगा उस समय सदस्य लाभ उठा सकेंगे। किन्तु जिन दिनों इस लोक-सभा का अधिवेशन नहीं होगा और सदस्य बाहर होंगे उस समय यदि वह इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे, तो क्या इस सम्बन्ध में उनसे जो रुपया चार्ज किया जाता है वह लिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर :** यह सुविधा दिल्ली में और बाहर काम पर होने पर प्राप्त होगी।

†**एक माननीय सदस्य :** वह सत्रों के बीच के काल में छूट चाहते हैं।

†**श्री करमरकर :** छूट का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू में खुले अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना केन्द्र के डाक्टर के कोकीन का इंजेक्शन देते ही श्री वि० द० त्रिपाठी की मृत्यु हो गई ?

†**श्री करमरकर :** मैं ने इस मामले की विस्तृत जांच की है। मैं स्वयं वहां गया था और पूछताछ करने पर पता लगा कि वह सदस्य-विशेष को पिछले तीन दिन से 'ब्रोंकाइटिस' और तीव्र ज्वर था। डाक्टर सामान्य रूप से पेनिसिलीन का इंजेक्शन लगाने से पूर्व मरीज से यह पूछ लेते हैं—इन माननीय सदस्य से भी यह पूछा गया था—कि उन पर पेनिसिलीन की प्रतिक्रिया बुरी तो नहीं होती है। श्री त्रिपाठी ने यह कहा था कि ऐसा नहीं होता और यह कि वह कई बार पेनिसिलीन के इंजेक्शन ले चुके हैं। दुःख की बात है कि इंजेक्शन लगते ही रोगी की मृत्यु हो गई। यह अशुभ बात है। मैं ने उस पेनिसिलीन की शीशी ले ली है। मैं उसमें बची पेनिसिलीन की रसायनिक परीक्षा कराऊंगा। इसी बीच में, मैं ने उसके बनाने वाले से कहा है कि वह उस शीशी-विशेष के साथ बनी सारी पेनिसिलीन का देश भर में वितरण बन्द कर दें। यह बहुत ही अशुभ बात है और मुझे इसका बड़ा दुःख है। परन्तु यह मैं अवश्य कह सकता हूं कि डाक्टर ने सदस्य को बचाने का भरसक प्रयत्न किया और इसके वे माननीय सदस्य साक्षी हैं जो घटना के समय वहां उपस्थित थे।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** पहिले कानपुर में पेनिसिलीन के इंजेक्शनों से कुछ मृत्युएं हो गई थीं और सरकार ने जांच करने को कहा था। उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

†**श्री करमरकर :** मेरा विचार है कि उस समय पेनिसिलीन में कोई दोष नहीं पाया गया था। कुछ माननीय सदस्यों को विदित है कि लाखों रोगियों में कोई एक रोगी ऐसा होता है जिसे पेनिसिलीन माफिक नहीं आती और उस पर पेनिसिलीन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने सभी डाक्टरों से कह दिया है कि वे इसका बार बार प्रयोग न करें अपितु केवल उस समय ही प्रयोग करें जबकि वे ऐसा करना अनिवार्य समझें।

†**श्री गोरे :** यह पेनिसिलीन कहां की बनी हुई थी ?

†**श्री करमरकर :** पिम्परी में बनी थी। मैं समझता हूं कि पेनिसिलीन प्रौकेन से पेनिसिलीन का बुरा असर खत्म हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना

\+
*१५९. श्री भक्त दर्शन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वाल्वी :
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुग्रा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय दुग्धशाला से दूध का वितरण आरम्भ हो गया है;

(ख) प्रति दिन कितना दूध नगर के किन-किन भागों में वितरित किया जाता है;

(ग) अब तक दूध के कितने डिपो खोले जा चुके हैं;

(घ) केन्द्रीय दुग्धशाला के खुलने से कितने दूध विक्रेताओं और दुग्धशाला चलाने वाली फर्मों का काम बन्द हो जायेगा; और

(ङ) उन्हें कौन सा दूसरा काम देने का विचार है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ङ). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

दिल्ली मिल्क स्कीम के अन्तर्गत दिल्ली में दूध देने का काम १ नवम्बर, १९५९ से आरम्भ हुआ । लगभग ३२५ मन दूध प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों तथा वेस्ट, साउथ और ईस्ट पटेलनगर,

नया और पुराना राजेन्द्र नगर, गोल मार्केट क्षेत्र, नार्थ एवेन्यू, मोती बाग, डिप्लोमेटिक एन्कलेव, मेन और ईस्ट विनय नगर तथा लोधी कालोनी में बांटा जाता है। सुबह के समय ३२ डिपों और शाम के समय ३० डिपों में काम चल रहा है।

यह केन्द्रीय डेरी जो बनाई गयी है, दिल्ली, यू० पी०, और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग ३० मिल्क कलैक्शन और चिलिंग सेन्टर्स के द्वारा दूध इकट्ठा करेगी, इनमें से १६ सेन्टर्स बन चुके हैं या बन रहे हैं। वर्तमान दूध बेचने वाले अपना दूध शहर में बेचने के बजाय मिल्क कलैक्शन और चिलिंग सेन्टर्स को दे सकते हैं। दूध बेचने वाले जो शहर में पशु रखते हैं, अपने ढोरों के साथ उन कालोनियों में जायेंगे जो कि राजधानी शहर के चारों ओर स्थापित की जायेंगी। इन कालोनियों में उत्पादित दूध भी दिल्ली मिल्क स्कीम को दिया जा सकता है। इस लिये कोई भी वास्तव में बिना काम नहीं रहेगा जिससे उसको कोई और काम के उपबन्ध की ज़रूरत पड़े।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि दिल्ली की पूरी जनसंख्या को पूरी मात्रा में शुद्ध दूध दिलाने में कब तक सफलता मिल सकेगी?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हमारा अनुमान है कि दिल्ली की जनसंख्या के लिए ६ हजार मन दूध रोज की आवश्यकता है। हमारी डेयरी स्कीम के प्लांट की कैपेसिटी भी ६००० मन दूध रोज हेंडिल करने की है। दो साल के अन्दर हम सारे शहर को सप्लाई करने का इन्तिजाम करने की आशा करते हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या यह सच है कि इस स्कीम के अन्तर्गत जितने वितरण केन्द्र खोले गए हैं उनमें केवल नवयुवती महिलाओं को विक्रेता नियुक्त किया गया है? मैं जानना चाहता हूं कि महिलाओं के द्वारा क्या दूध इसलिए बेचा जा रहा है कि उनके द्वारा बेचे जाने से वह ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** प्रथा, संस्कृति और आर्थिक कारणों की दृष्टि से इन डिपों में १२८ कालिज जाने वाली लड़कियां महिला विक्रेता के रूप में रखी गई हैं। प्रथा यह है घर में दूध का काम महिलायें करती हैं। संस्कृति की दृष्टि से, बम्बई और कलकत्ता में हमारा अनुभव यह रहा है कि जहां कहीं लड़कियां काम कर रही हैं वहां लड़कों को रखने की अपेक्षा कम शिकायतें हुई हैं। आर्थिक दृष्टि से, इन लड़कियों को कुछ सहायता मिल जाती है। हम उन्हें ५० रु० देते हैं और वे प्रातःकाल या सायंकाल केवल दो घन्टे काम करती हैं।

डा० राम सुभग सिंह : इस डेयरी में अपने मवेशियों को रखकर क्या दूध तैयार करने की योजना है। यदि नहीं, तो कब से इस प्रकार की योजना प्रारम्भ की जायेगी?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मैं ने पहिले बताया था कि दिल्ली में ६००० से ७००० मन दूध की दैनिक आवश्यकता होगी और इस संयंत्र की क्षमता ७००० मन प्रति दिन है। हमने यह योजना दीपावली वाले दिन प्रारम्भ की थी।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मेरा प्रश्न और है। क्या डेयरी में अपने ढोर रखने और इस प्रकार नगर की आवश्यकता पूर्ति करने की कोई योजना है, अथवा वे आस पास के गांवों से दूध लेते रहेंगे, नीरोगित (पैस्च्यूराइज़) करके देते रहेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वास्तव में, दिल्ली दूध संभरण योजना दिल्ली गन्दी बस्तियों और गन्दे स्थानों से उत्पन्न हुई है। नगर में ३०,००० ढोर रखे जाते हैं और दिल्ली में अनेकों स्थान गन्दी बस्तियां और गन्दे स्थान बन गये हैं। प्रधान मंत्री ने कहा था कि गन्दी बस्तियां यथाशीघ्र समाप्त होनी चाहियें। जब हमने उन लोगों से अपने ढोर दूर ले जाने को कहा तो हमें उन्हें बस्तियों में स्थान देना पड़ा। अब हमारी चार बस्तियां हैं।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** मैं यह जानना चाहता हूं कि दूध वितरण योजना के केन्द्र केवल नई दिल्ली नगर में स्थापित किये गये हैं या पुरानी दिल्ली में भी कहीं स्थापित किये गये है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : सारी दिल्ली में, पुरानी और नई दिल्ली में स्थापित किए जायेंगे। लेकिन इसका इन्तिजाम करने में समय लगेगा।

†**श्री वाजपेयी :** क्या बनने वाली चार बस्तियों में से अब तक कोई तैयार हो गई है, यदि नहीं, तो वे कब तक तैयार होंगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** पहिले हमने एक बस्ती के लिए एक बड़ी जमीन चुनी थी और ले भी ली थी। परन्तु उस क्षेत्र के रहने वालों ने संसद् तक एक जुलूस निकाला और इसका विरोध किया। तो, हमें इस मामले पर पुनः विचार करना पड़ा और इस चार बस्तियों में बांटना पड़ा। विलम्ब का यही कारण है। हमने दो बस्तियों की जमीन चुन ली है और बहुत शीघ्र ही काम प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री खुशवक्त राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि दूध वितरण केन्द्रों में जो लड़कियां रखी गई हैं उनके आने जाने के लिए क्या किसी सवारी का प्रबन्ध है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** प्राय वे उसी क्षेत्र से रखी जाती हैं। उदाहरणार्थ, नार्थ एवेन्यू के बूथों में आस पास रहने वाली लड़कियां ही रखी जाती हैं। अतः उनके लिए सवारी का प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खुशवक्त राय : नार्थ एवेन्यू में जो लड़की नियुक्त की गई है वह गोल मार्केट की रहने वाली है और उसको सुबह पांच बजे आना होता है। उसके लिए सवारी की आवश्यकता है या नहीं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हम उसे बदल कर गोल मार्केट भेजने और नार्थ एवेन्यू की ही लड़की नियुक्त करने पर विचार करेंगे।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** माननीय मंत्री ने बताया है कि दूध वितरण करने के लिये कालिज की लड़कियां रखी गई हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की कितनी लड़कियां रखी गई हैं। और यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षित लड़के रखे जायेंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मुझे इन १२८ लड़कियों का ब्यौरा ज्ञात नहीं है और न ही यह ज्ञात है कि इन में कोई अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं। ऐसे कामों में विशेषकर हमें अनुसूचित जाति की लड़कियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। यदि प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए और किसी को अस्वीकार किया गया है तो मैं देखूंगा कि वे तत्काल ही नियुक्त की जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** क्या दिया जाने वाला दूध ताज़ा दूध होता है जैसा कि नीरोगित (पैस्च्यूराइज़) होने के पश्चात् होता है या इसमें कुछ पानी मिला दिया जाता है या कुछ मक्खन कम कर दिया जाता है ? यह दूध कैसे बनता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** बम्बई और कलकत्ता की हमारी डेयरियों में तीन प्रकार का दूध वितरण किया जाता है। एक 'होल मिल्क' है। यह दूध बाहर से लेकर पैस्च्यूराइज़ किये जाने के बाद बोतलों में भरकर "होल मिल्क" के नाम से बांटा जाता है। दिल्ली में हमने इसका मूल्य ९ आने सेर रखा है। यह बहुत लोकप्रिय हुआ है। हमारा विचार "स्टैरीलाइज्ड मिल्क" भी वितरण करने का है। हमने इसके लिए संयंत्र भी लगा लिया है। यह एक वर्ष तक रखा जा सकता है। और इच्छानुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह ऐसी बोतलों में बंद होगा जिनमें वायु न जा सके। फिर, 'टान्ड मिल्क' है जिसमें दूध, सपरेटा दूध, मक्खन (चिकनाई शून्य) और पानी मिला होता है। सामान्यतया डाक्टरों का कहना है कि यह दूध बहुत अच्छा होता है। अभी तक हमने "टान्ड मिल्क" नहीं बांटा है परन्तु हमारा विचार ऐसा करने का है। बम्बई और कलकत्ता में यह बहुत लोकप्रिय है।

पटरियों और 'फिशप्लेटों' की कमी

+

†*१६०
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामंत :
श्री रा० च० माझी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू करने में पटरियों और "फिशप्लेटों" का अभाव रहा है ;

(ख) अब तक इन वस्तुओं की कितनी आवश्यकता स्वदेशीय साधनों से पूरी की गई है, और

(ग) अभाव की पूर्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अभाव नहीं रहा है अपितु कभी कभी पटरियों के मिलने में विलम्ब हुआ है।

(ख) ९,१८,०९७ टन पटरियों और ४१,५९१ टन "फिशप्लेटों" में से, जो अक्टूबर १९५९ के अन्त तक दी गई है, १,७३,३९२ टन पटरियां और ४,८९३ टन 'फिशप्लेट' स्वदेशीय साधनों से संभरण की गई थीं।

(ग) देशीय संभरण की कमी आयात द्वारा पूरी की जा रही है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** 'फिशप्लेट' किन देशों से आयात की जाती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** देशों की एक लम्बी सूची है जिसमें लक्समवर्ग, बेलजियम, कनाडा, आदि देश हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** किस किस प्रकार पटरियों का आयात किया गया है और सस्ती पटरियों की किस्म अन्य किस्मों की अपेक्षा कैसी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं प्रश्न का दूसरा भाग नहीं समझ सका। जहां तक पहिले भाग का संबंध है, हमें जिस किस्म की आवश्यकता है हम उसी का आयात करते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** मैं आयात की किस्में और यह जानना चाहता हूं कि कम मूल्य वाली किस्म उत्तम किस्म की अपेक्षा कैसी है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री जाधव :** क्या ये टूटी हुई पटरियां और 'फिशप्लेटें' पुनः स्वदेशीय पटरियां बनाने में प्रयोग की जाती हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** 'फिशप्लेटें' इस्पात के टुकडों से बनती हैं और पटरियां आइइस्को तथा टिस्को बनाते हैं। जब तक कि 'फिशप्लेट' और पटरियां ऐसी न हों कि उनका रोलिंग हो सके, तब तक वे प्रयोग नहीं हो सकती।

†**श्री नरसिंहन :** स्वदेशीय साधनों से कितना सामान मिलने की आशा थी और वह कितना प्राप्त हुआ है और क्या इससे मूल्य का कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** स्वदेशीय साधनों से ५,७०,००० टन पटरियां और ५,००० टन 'फिशप्लेट' मिलने की आशा थी। अब तक १,७३,००० टन पटरियां और ४,९०० टन 'फिशप्लेट' प्राप्त हुई हैं।

†**श्री नरसिंहन :** क्या इससे मूल्य का कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इससे माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है मैं पूरी तरह नहीं समझा।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका अभिप्राय यह है कि क्या कोई स्वदेशीय पटरी इस कारण अस्वीकार की गई कि इसका मूल्य आयात की गई पटरी की अपेक्षा कम न था।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस कारण नहीं। संभरण थोड़ा रहा है।

कृषि योग्य बेकार भूमि संबंधी समिति

+

†*१६१. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री झूलन सिंह :
श्री संगण्णा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि योग्य बेकार भूमि कितनी है यह पता लगाने की दृष्टि से विशेषज्ञ समिति ने किन किन राज्यों का अब तक भ्रमण किया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) बिहार और पंजाब राज्य ।

(ख) आशा है कि समिति एक वर्ष में अपना काम पूरा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

†**श्री रा० च० माझी** : राज्य में जिस क्षेत्र का समिति ने भ्रमण किया है क्या उसका अनुमान लगा लिया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सम्पूर्ण देश का भ्रमण करने में समिति को एक वर्ष लगेगा । वे बिहार और पंजाब का भ्रमण कर चुके हैं । वे कृषि मंत्रालय में राज्य के सांख्यकों और अन्य विशेषज्ञों से मिले थे । वे बिहार और पंजाब के उन ज़िलों के जिला बोर्डों के पास भी गये थे जो बेकार और कृषि योग्य बेकार जमीनों के लिये प्रसिद्ध हैं ।

†**श्री झूलन सिंह** : समिति के सदस्य कौन कौन हैं और वे जिस गति से यात्रा कर रहे हैं उसकी दृष्टि से उन्हें अपना प्रतिवेदन पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इसमें एक वर्ष लगेगा । सदस्यों की संख्या चार है । उनके नाम ये हैं : डा० बी० एन० उप्पल, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि आयुक्त, सभापति; डा० जे० के० बसु; भारत सरकार के मिट्टी संरक्षण के वरिष्ठ निदेशक; श्री एफ० सी० गेरा, केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ के सभापति; और श्री जे० पी० मित्तल, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के सिंचाई परामर्शदाता । ये सब सदस्य हैं । इस प्रकार चार सदस्य हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह समिति कृषि योग्य उस बेकार भूमि के सम्बन्ध में भी आंकड़े एकत्रित करेगी जो अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के पश्चात् बचेगी और यदि नहीं, तो क्या अधिकतम मात्रा निर्धारित होने के पश्चात् उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का पता लगाने के लिये कोई और समिति नियुक्त की जायेगी ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : आपकी अनुमति से मैं इस समिति के निर्देश पदों के अन्तर्गत इसे सौंपे गये विशिष्ट काम पठन करूंगा । इसका विशेष कार्य है "बंजर जमीनों के अतिरिक्त अन्य कृषि के अयोग्य ज़मीन" कही जाने वाली ज़मीन का सर्वेक्षण करना और उसे कृषि योग्य बनाने के उपयुक्त सुझाव देना; उन शर्तों का सुझाव देना जिन पर वे क्षेत्र नियत किये जायें और ऐसी ज़मीनों को कृषि योग्य बनाने में होने वाले व्यय की दृष्टि से आर्थिक पहलुओं का अनुमान लगाना है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया है कि समिति आगामी वर्ष तक अपना प्रतिवेदन देगी अर्थात् अगले वर्ष भी ये बेकार ज़मीनें प्रयोग न होंगी । क्या समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक इन कृषि योग्य ज़मीनों को आवंटित करने की कोई और कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: प्रथम योजना और द्वितीय योजना में ज़मीन को कृषि योग्य बनाने का प्रोग्राम है । यह काम भूमिहीन लोगों को ज़मीन देकर और केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ तथा राज्य ट्रैक्टर संघों द्वारा जमीन को कृषि योग्य बना कर किया जायेगा । यह कार्य हो रहा है । इसी बीच में प्राचीन सांख्यिकी की दृष्टि से कृषि योग्य बेकार ज़मीन के बारे में कुछ भ्रम था । भारत में ५$^1/_2$ करोड़ एकड़ से अधिक कृषि योग्य बेकार भूमि है । वह सारी जमीन जिसमें कृषि हो सकती है लगभग ८ करोड़ एकड़ है । अतः इस बारे में कुछ भ्रम है कि कितनी कृषि योग्य जमीन बेकार है और कितनी वास्तव में बेकार जमीन है जो कि चरागाहों, ईंधन के बनों आदि के लिये चाहिये । इस सारी ज़मीन में खेती नहीं की जा सकती । अतः यह समिति इन सब बातों का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच नहीं है कि भारत में लगभग ९४० लाख एकड़ भूमि खेती योग्य है और अब तक इसका केवल बहुत थोड़ा भाग कृषि योग्य बनाया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** नहीं। अनुमान यह है कि खेती हो सकने योग्य सारी जमीन लगभग ८ करोड़ एकड़ है जिसमें से लगभग ५$^1/_2$ करोड़ एकड़ कृषि योग्य बेकार जमीन है। मैं यह पहिले ही बता चुका हूं कि प्रथम तथा द्वितीय दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में हमने इस जमीन को जोतने का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और यह कार्य हो रहा है।

†**श्री गोरे :** क्या इसका यह अर्थ है कि खाद्यान्न का निरन्तर अभाव रहने पर भी राज्य सरकारों ने स्वयं इस कृषि योग्य बेकार जमीन का सर्वेक्षण नहीं किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उन्होंने सर्वेक्षण किया है। यदि आप चाहें तो मैं राज्यवार ब्यौरा बताने को तैयार हूं। परन्तु बात यह देखनी है कि क्या उस सारी जमीन में खेती हो सकती है या उसमें से कुछ जमीन चरागाहों के लिये चाहिये। क्योंकि ये जमीनें गांवों के पास हैं और हमें चरागाहों के लिये या ईंधन के वनों आदि के लिये कुछ जमीन चाहिये। अतः सरकार को यह विदित होना चाहिये कि ठीक कितनी जमीन में खेती हो सकती है।

†**श्री मा० कृ० गायकवाड :** बम्बई सरकार ने ऐसी जमीन भूमिहीन लोगों को देने का निश्चय किया है, अतः क्या इससे जमीन का वितरण करने में बाधा पड़ेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** नहीं। अधिक अन्न पैदा करने के लिये अपनी बेकार जमीन भूमिहीन लोगों को या उन लोगों को जो उसमें तत्काल ही खेती कर सकें, देने वाली किसी सरकार पर कोई रोक नहीं है। परन्तु देश को यह ज्ञात होना चाहिये कि कितनी जमीन में खेती हो सकती है। वैज्ञानिकों का कथन है कि कोई भी सरकार देश में उपलब्ध जमीन की एक एक तिहाई जमीन से अधिक में खेती नहीं कर सकती। मान लीजिये कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल ८१ करोड़ एकड़ है। पहाड़ों, नदियों, वनों, तलाबों और सभी बातों सहित इन ८१ करोड़ एकड़ जमीन में से हम ३२ करोड़ एकड़ जमीन में पहिले से ही खेती कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम एक तिहाई से अधिक में खेती नहीं कर सकते। हम प्रकृति का पहिले से ही अतिक्रमण कर रहे हैं और इन सब बाढ़ों, मिट्टी के कटावों, आदि का यही कारण है। अतः सरकार को विदित होना चाहिये कि हम कितनी जमीन में खेती कर सकते हैं।

डाक तथा तार बोर्ड

†*१९२. { **श्री स० चं० सामन्त :** +
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना हो जाने के पश्चात् कर्मचारियों को क्या विशेष सुविधायें दी जायेंगी; और

(ख) क्या मकान निर्माण कार्यक्रम स्वयं बोर्ड द्वारा चलाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना हो जाने से सामान्यतः आशा यह की जाती है कि कार्यकुशलता बढ़ जायेगी और डाक तथा तार सेवाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धी समस्याओं का निबटारा अधिक शीघ्रता से किया जा सकेगा जिसमें कर्मचारी वर्ग का कल्याण भी शामिल है।

(ख) बोर्ड के अधीन एक उपयुक्त निर्माण संगठन बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यह बोर्ड कब से काम करना शुरू करेगा ?

†**डा० सुब्बरायन** : बोर्ड दिसम्बर के दूसरे सप्ताह से काम करना शुरू करेगा।

†**श्री स० चं० सामंत** : विभाग के निर्माण कार्यक्रम को सरल किस प्रकार बनाया जायेगा ?

†**डा० सुब्बरायन** : यह जैसा कि मैं कह चुका हूं, विचाराधीन है। हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अपनी इमारतें बनाने के लिये हमें अलग कर्मचारी रखने होंगे।

†**श्री कासलीवाल** : क्या बोर्ड की स्थापना हो जाने के पश्चात् इस विभाग को चलाने का व्यय बढ़ेगा अथवा घट जायेगा ?

†**डा० सुब** : यह मामला ऐसा है जिसकी माननीय सदस्य पहले से कल्पना कर रहे हैं। इसका उत्तर देने से पहले मुझे उसका हिसाब लगाना होगा।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या डाक तथा तार बोर्ड की शक्तियां और कार्य वे ही हैं जो रेलवे बोर्ड के हैं अथवा उनमें अन्तर है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : वह रेलवे बोर्ड के आधार पर ही है किन्तु रेलवे का सामान्य राजस्व से कोई संबंध नहीं है। इस कारण रेलवे बोर्ड की तुलना में इस बोर्ड की शक्तियों में कुछ अन्तर है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह संविहित निकाय होगा और यदि हां, तो क्या सरकार उसके वित्तीय और प्रशासकीय कार्यकलापों पर अपना नियंत्रण रखेगी ?

†**डा० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य का यह सोचना गलत है कि यह एक संविहित निकाय होगा क्योंकि यदि यह संविहित निकाय होगा तो उसके लिये विधान बनाना पड़ेगा किन्तु उसकी शक्तियों की व्याख्या कर दी जायेगी और नियमों को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री गोरे** : क्या बोर्ड के व्यक्तियों के बारे में निश्चय कर लिया गया है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी हां, उसका निर्णय किया जा चुका है जिसे मैं सदन में दिये गये पहले वक्तव्य में बता चुका हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि यह बोर्ड कलकत्ता में स्थापित किया जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य का विचार गलत है।

†**श्री सोनावाने** : विद्यमान प्रशासन के रहते हुए इस बोर्ड की स्थापना करने के क्या लाभ हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम महसूस यह करते हैं कि यदि बोर्ड की बैठकें होती रही और वह स्वयं निर्णय करता रहा तो कार्य में शीघ्रता होगी और काम का निबटारा जल्दी किया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली में नकदी का गायब हो जाना

†*१६४. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ सितम्बर, १९५९ को जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली में एक कैशियर के रुपये रखने के बक्स में से ६,५०० रुपये के नोट गायब हो गये ;

(ख) क्या इस मामले की जांच पड़ताल की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) अभी तक मामले की जांच पड़ताल विभाग की ओर से की गई है। पुलिस की जांच अभी जारी है।

(ग) विभागीय जांच से यह पता नहीं लगाया जा सका कि यह हानि किस प्रकार हुई किन्तु इतना निश्चित हो गया है कि हानि ठेकेदार के कर्मचारी की असावधानी से हुई है।

†**श्री बैं० च० मलिक** : क्या यह सच नहीं कि चोरी बक्स के ताले अथवा सील को तोड़े बिना हुई है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : अब यह विचार किया जाता है कि चोरी करने से पहले ताला नहीं तोड़ा गया था किन्तु इतना स्पष्ट है कि किसी के पास दूसरी चाबी थी जिसने उसमें से रुपये निकाल लिये।

†**श्री जाधव** : बताया यह गया है कि सील टूटी नहीं थी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : अब पता लगा है कि उसमें सील थी ही नहीं।

कालका–हावड़ा मेल

†*१६५. **श्री गोरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालका-दिल्ली हावड़ा मेल को दिल्ली से हावड़ा तक की दूरी तय करने में २५ घंटे ३५ मीनट लगते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १९३५–३६ में दिल्ली मेल को इतनी ही दूरी तय करने में २२ घंटे ५० मिनट लगते थे ;

(ग) ट्रेन की गति में कमी हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) गति को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, १९३५ के टाइम टेबिल के अनुसार २ डाउन कालका-दिल्ली हावड़ा मेल को दिल्ली से हावड़ा पहुंचने में २३ घंटे ५९ मिनट लगते थे।

(ग) अस्थायी इंजीनियरिंग प्रतिबन्धों के लिये अधिक व्यवस्था करना, भार बढ़ जाना और निर्धारित गति का कम हो जाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अस्थायी इंजीनियरिंग प्रतिबन्धों के लिये जितने समय का उपबन्ध किया गया है उसमें पर्याप्त कमी हो जाने और सेक्शन पर और गाड़ियां चलाकर जब तक भार तथा भीड़-भाड़ में कमी नहीं की जाती तब तक इस गाड़ी के सम्पूर्ण यात्रा काल में पर्याप्त कमी कर सकना संभव नहीं हो सकेगा। तत्काल कोई ऐसी संभावना नहीं पाई जाती है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ इंजीनियरिंग प्रतिबन्ध होने के कारण गति नहीं बढ़ाई जा सकती ? क्या वे प्रतिबन्ध चलाने वाली डी लक्स गाड़ियों के लिये लागू नहीं होते ?

श्री शाहनवाज खां : निस्सन्देह वे प्रतिबन्ध लागू होते हैं। यदि इंजीनियरिंग प्रतिबन्ध न हों तो डी लक्स गाड़ियों को तो और भी कम समय लगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** तो फिर डी लक्स गाड़ियों को कालका मेल से कम समय क्यों लगता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** वह कम स्थानों पर ठहरती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरूआ। श्री खुशवक्त राय।

जहां कहीं एक प्रश्न एक से अधिक सदस्यों के नाम होता है तो यदि मैं पहला नाम पुकारता हूं और वह सदस्य उपस्थित नहीं है, तो अन्य लोग जिनके नाम वह प्रश्न है, खड़े हो सकते हैं। ऐसी दशा में एक के बाद दूसरे को बुलाकर समय नष्ट करने के बजाय मैं उनमें से किसी भी एक सदस्य का नाम पुकारूंगा।

†**श्री पाणिग्रही :** यदि वे सारे ही सदस्य खड़े हो जाते हैं तो ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर मैं उनमें से किसी एक का नाम पुकारूंगा।

सहकारी खेती

+

†*१९६. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री हेम बरूआ :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बसुमतारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओझा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी खेती सबंन्धी कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या है, और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कारंवाई करने का विचार करती है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् पिछली बार यह जवाब दिया गया था कि कमेटी की नियुक्ति के बाद दो महीने में रिपोर्ट आ जायेगी, लेकिन अभी तक भी काम पूरा नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है ?

†**श्री ब० सं० मूर्ति** : इसके अनेक कारण हैं। पहले तो यह कि समिति को कई राज्यों का दौरा करना था, उसके पश्चात् कई गैर-सरकारी और सहकारी समितियों के कार्यकर्त्ताओं से भेंट करनी थी और साक्ष्य लेने तथा उसकी जांच करनी थी। इन्हीं कारणोंवश समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सहकारी सम्मिलित खेती संबंधी कार्यकारी दल ने अपना काम कब से शुरू किया था और सरकार को यँगोस्लाविया और इजरायल जाने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ गई जबकि इस प्रकार की समिति पहले ही उन स्थानों का दौरा कर चुकी थी ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : ऐसा विदेश से अधिक जानकारी एकत्र करने की दृष्टि से किया गया था ।

†**श्री पाणिग्रही** : जब तक समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तब तक क्या सरकार आगामी तीन वर्षों में सारे देश में सहकारी खेती लागू करने के कार्यक्रम पर दृढ़ रहेगी ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : समिति की नियुक्ति सहकारी खेती का अध्ययन करने और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उपाय सुधारने सुझाने के लिये की गई है ।

†**डा० राम० सुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि विशेष समिति अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिय विदेश गई है । सरकारी समितियों द्वारा सहकारिता का अध्ययन करने के लिये चीन तथा अन्य देशों में जो जानकारी एकत्र की गई है उसका सरकार के इस अनुभाग द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : हम सहकारी खेती आन्दोलन चला रहे हैं और कुछ अन्य देश भी ऐसे हैं जो इनके बारे में प्रयोग कर रहे हैं । अतः अच्छा यह होगा कि हम उन से अधिकाधिक जानकारी एकत्र करले जिस मे हमारे तरीके जहां तक संभव हो सके दोषरहित सिद्ध हो सके ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस कार्यकारी दल के मार्ग में वे विशेष कठिनाइयां क्या हैं जो निर्वारित समय के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में आ रही हैं ; क्योंकि प्रतिदिन समय बढ़ाया चला जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : माननीय सदस्य इस समिति के एक सदस्य हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समिति को अनेक राज्यों का दौरा करना पड़ा, अनेक पदाधिकारीयों और गैर-सरकारी लोगों से भेंट करनी पड़ी एवं फार्मों में जाकर साक्ष्य एकत्र कर उनकी जांच करनी पड़ी। इन्हीं कारणों से देर हो गई ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या यह सच है कि बहुत से राज्य सहकारी खेती लागू करने के विरोध में हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : माननीय सदस्य का विचार सही नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी-अभी आपने कृषियोग्य बेकार भूमि के बारे में सुना। अधिकांश पदाधिकारी आफिस के काम में लगे हुए हैं और वे सभी समिति के सदस्य हैं और यह समिति इस संबंध में आगामी वर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इस समिति के बहुत से सदस्य ऐसे भी हैं जो बहुत कम बैठकों में उपस्थित होते हैं और बहुधा बैठकों को स्थगित कर दिया जाता है । सरकार इस प्रकार की समितियों का बनाना रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इस समिति का गठन उपलब्ध विशेषज्ञ ज्ञान का उचित उपयोग करने के विचार से किया गया था और यदि उसके कुछ पदाधिकारियों को कुछ और काम करना पड़ता है, जो समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाते तो डा० राम सुभग सिंह जैसे सदस्य का काम यह है कि वह अपने साथी सदस्यों को यथा शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये तैयार करें।

†**श्री रघुबीर सहाय** : क्या हम यह समझें कि जब तक प्रतिवेदन नहीं आता है तब तक सहकारी खेती की दिशा में सभी आवश्यक शर्तों के पूरी हो जाने पर भी कुछ भी प्रगति नहीं होगी ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जी नहीं, यह कहना सच नहीं है कि काम रोक दिया गया है। कार्यक्रम को अवस्थाओं में बांट कर कार्यान्वित किया जा रहा है । समिति केवल विशेषज्ञ ज्ञान के लिये बनाई गई है ।

दिल्ली में चिड़िया घर

\+
१६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चिड़ियाघर के निर्माण में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) उस पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ;

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५**]

(ख) लगभग अन्य १० सालों में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १.६० करोड़ रुपये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पिछले पांच या सात वर्षों से इस चिड़िया घर का निर्माण किया जा रहा है, और अभी दस वर्ष और लगेंगे । में जानना चाहता हूं कि आखिर इतनी धीमी चाल से क्यों काम किया जा रहा है ?

डा० पं० शा० देशमुख : काम तो प्लैन के मुताबिक हो रहा है । सेकन्ड फाइव इअर प्लैन में हमने ६६ लाख रु० खर्च करने का इन्तजाम किया था । इस में से लगभग ३८ या ४० लाख रु० खर्च हुआ है । यह काफी काम्प्लिकेटेड काम है और केजेज को प्लैन्स के अनुसार बनाने में काफी समय लगता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या दर्शकों के लाभ के लिये इस पार्क में गाइडों की व्यवस्था है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अभी तक हमारे पास अधिक गाइड नहीं हैं किन्तु सम्भवतः यथा समय उनकी व्यवस्था हो जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अभी इसको पूरा करने में दस वर्ष लगेंगे । लेकिन १ नवम्बर को उन्होंने इस का विधिवत उद्घाटन भी कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जब वह पूरा नहीं हुआ था, तो उसका उद्घाटन क्यों कर दिया गया ।

डा० पं० शा० देशमुख : उद्घाटन के पहले से ही वहां पर काफी लोगों की भीड़ होने लगी थी और उन की डिमान्ड थी कि इस में उन को प्रवेश दिया जाय, और प्रवेश दिया भी गया था । उद्घाटन के पेश्तर ही हमें उस से लगभग ५० हजार रु० की आमदनी भी हो चुकी थी । हालांकि यह अपूर्ण है लेकिन फिर भी इस में काफी देखने लायक चीजें हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गार्डन को तैयार करने में और इसमें जो परिन्द और जानवर हैं उन को हासिल करने में किन किन मुल्कों से हमें सहायता मिली है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये उसकी पूर्व सूचना चाहूंगा ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिये निवास-स्थान

+

†१६६ { **श्री पद्म देव** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन को प्रोत्साहित देने की योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कम आय वाले पर्यटकों के लिये निवास-स्थान बनाये गये हैं ; और

(ख) कितने विश्राम-गृहों में बिस्तरों का भी प्रबन्ध किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हिमाचल प्रदेश में कम आय वाले पर्यटकों के लिए एक विश्राम गृह नारकण्डा में अभी तैयार किया जा रहा है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में वहां के सरकारी निर्माण विभाग के ८४ और बन विभाग के ८८ विश्राम गृहों में से अभी सभी विश्राम गृहों में जहां भी जगह होती है पर्यटकों को भी ठहरने की सुविधा दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पद्म देव :** माननीय मंत्री को यह मालूम है कि जो सरकारी विश्रामालय हैं वह इतने छोटे हैं कि उन के अन्दर २,३ या ४ व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में नहीं ठहर सकते। ऐसी स्थिति में क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिस से लोग प्रोत्साहित हो कर वहां विश्रामालय बनाये और क्या सरकार इस में उनकी कोई सहायता करती है ?

†**श्री राज बहादुर :** आम तौर पर से यह अनुभव हुआ है कि जो विश्रामगृह हैं उन में काफी लोग ठहर सकते हैं, और ठहर जाते हैं। हमारे पास इस तरह की कोई विशेष शिकायतें नहीं आई हैं। लेकिन नहरकोंडा के लिये, जो कि एक पापुलर जगह है, हमारी एक स्कीम विशेष रूप से है और वहां लो इनकम ग्रुप का विश्रामगृह तैयार किया जा रहा है।

श्री कासलीवाल : आप ने कहा है कि लो इनकम ग्रुप के लिये बनाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इसका किराया क्या लेते हैं ?

श्री राज बहादुर : अभी बन रहा है। जब बन जायेगा तो किराया स्टेट गवर्नमेंट के मश्विरे से लिया जायगा।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री को यह मालूम है कि धार्मिक तौर पर और सौन्दर्य के लिहाज से रणुका और रिवालसर यह तो बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं। क्या उन में लोगों के ठहरने का काई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री राज बहादुर : हमारी योजनायें तीन प्रकार की होती हैं। उन में से पहली जो विदेशी पर्यटकों के सम्बन्ध में होती हैं, उन को हम देखते हैं। दूसरी भारतीय पर्यटकों के सम्बन्ध में होती हैं, दूसरी किस्म की जो योजनायें होती हैं वह सम्बद्ध राज्य सरकारों से मश्विरा कर के तैयार की जाती हैं। यदि इन दो स्थानों के बारे मे कोई ऐसी योजना आयगी तो उन पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली में यातायात से होने वाली मृत्यु

†१७०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यातायात से होने वाली मृत्युओं की संख्या में ३३ प्रतिशत वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली की सड़कों पर इस से अधिक यातायात की गुंजाइश नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कारवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में यातायात से होने वाली मृत्युओं की संख्या ९७ है जो कि १९५८–५९ के इसी साल की तुलना में २६ प्रतिशत अधिक है।

(ख) निम्न कारणों से यातायात में पर्याप्त वृद्धि हो गई है :—

(१) गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने से ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) जनसंख्या के बढ़ जाने से ;

(३) अधिक बड़ी गाड़ियों के चलने से ;

इस में दिल्ली की कुछ सड़कों पर भीड़ अधिक हो जाती है ।

(ग) प्राधिकार द्वारा निम्न औपचारिक उपाय किये जा रहे हैं :—

(१) जहां कहीं आवश्यकता है वहां सड़क चौड़ी की जा रही है ;

(२) साइकिलों के लिये अलग मार्ग की व्यवस्था की जा रही है ;

(३) कुछ सड़कों पर एक ओर से यातायात लागू किया जा रहा है ;

(४) पैदल चलने वालों के लिये फुटपाथ की व्यवस्था की जा रही है ;

(५) सड़क पर अधिक प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है ;

(६) कुछ अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों मे भारी गाड़ियों के आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** दिल्ली के किन-किन क्षेत्रों में इस में सुधार किया जा रहा है तथा सम्पूर्ण दिल्ली में इन सुधारों से लाभ उठाने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** इस समय जैसी स्थिति है, सभी भागों में ये उपाय नहीं किये जा सकते । जिन सड़कों और गलियों से अधिक भीड़-भाड़ रहती है तथा जहां पर दुर्घटनायें अधिक होती हैं और हम उसी के आधार पर अपनी योजना बनाते हैं जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** क्या अधिक यातायात के समय मोटरगाड़ियों द्वारा बारम्बार और बेतरतीब से पीछे की सवारियों से आगे निकल जाने पर नियंत्रण लगाने के लिये कोई कार्यवाई की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** इसके लिये यातायात पुलिस है जिसका विशेष दायित्व होता है कि वह गाड़ियों में जाने वाले लोगों द्वारा इस प्रकार के कार्य का पता लगायें ।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि कनाठ सर्कस में ही यातायात के नियमों को तोड़कर लाल रोशनी होने पर भी मोटरें सड़क को पार कर लेती हैं और फिर भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती ?

श्री राज बहादुर : मैं यह बात नहीं कहता कि यातायात के नियमों को तोड़ा नहीं जाता, निस्सन्देह ऐसा होता है किन्तु उसके लिये यातायात पुलिस रहती है । मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे मैं देखता हूं कि उन लोगों की संख्या काफी है जिसके विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिये कार्रवाई की गई है और इस प्रकार यातायात सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने वालों में से कुछ लोगों को दण्ड भी दिया गया है ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले :** दिल्ली में यातायात विनियमों को लागू न करना अपमान की चीज है । नियम और विनियमों को उचित रूप से लागू करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस कटाक्ष को नहीं मानता कि यह अपमानजनक चीज़ है। वस्तुतः हाल के कुछ महीनों में, जहां तक यातायात पुलिस के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, कुछ निश्चित सुधार हुये हैं। यातायात पुलिस की संख्या में स्थान-स्थान पर वृद्धि कर दी गई है। किन्तु मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक वर्ष पूर्व जहां तक यातायात पुलिस का सम्बन्ध है, हम आवश्यकता की दृष्टि से छः वर्ष पीछे थे। फिलहाल, यातायात पुलिस की जितनी आवश्यकता थी उतनी संख्या कर लेने पर भी, यातायात सम्बन्धी भीड़-भाड़ की दृष्टि से और जितने यातायात के लिये प्रबन्ध करना होता है, हम लगभग ढाई वर्ष पीछे हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : मैं देखती हूं कि यद्यपि यातायात पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है और बिना सीखे लोगों को यातायात में लगा दिया गया है। यातायात के काम पर सीखे-सिखाये लोगों को रखने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाने, प्रति वर्ष लगभग १० प्रतिशत मोटर गाड़ियों में वृद्धि हो जाने और पैदल चलने वालों एवं साइकिल वालों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये यातायात पुलिस की संख्या और उन्हें प्रशिक्षण के प्रबन्ध को देखते हुये कहीं अधिक है। प्रशिक्षण का प्रबन्ध तो है किन्तु हम आवश्यकता को पूरी करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि रात में बहुत सी साइकिलें बत्ती के बिना चलती हैं ? यदि हां, तो उस पर नियंत्रण करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : दिल्ली में ३ $^1/_2$–४ लाख के लगभग साइकिलें चलती हैं और सामान्य अनुभव यह है कि उनमें से बहुत से लोग यातायात सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन पर नियंत्रण लगाने के लिये क्या कार्यवाई की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने यातायात पुलिस की संख्या बढ़ा दी है। हम उल्लंघन करने वालों को अधिक से अधिक संख्या में पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रयोजन के लिये हमारे पास एक संगठित दल है। हम इतना ही कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गंगा पुल पर दुर्घटनायें

†*१५६. { **श्री द्वा० ना० तिवारी** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोकामेह-सिमरिया घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के गंगा घाट पर मई और अक्तूबर, १९५९ के बीच बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) यदि हां, तो उन दुर्घटनाओं की संख्या कितनी थी, वे किस प्रकार की थीं और उनमें कितने व्यक्ति मरे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन दुर्घटनाओं की जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) जी नहीं। केवल एक दुर्घटना हुई थी; जिसमें तीन व्यक्ति, एक बच्चा और उसके माता-पिता, जो पुल के किनारे के पैदल के रास्ते पर जाते समय नदी में गिर गये थे। यह दुर्घटना अचानक हो गई थी।

डाक द्वारा तारों का भेजा जाना

†*१६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में भेजने के लिये दिये गये तार सामान्य डाक की भांति विमान द्वारा भेजे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) देर तक होने वाली अन्त-र्बाधा होने पर ही कुछ तार इस प्रकार भेजे जा रहे हैं।

(ख) कोई विशेष कार्रवाई इस मामले में करने का विचार नहीं है क्योंकि कभी कभी आंधियों तथा अन्य प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण तार के ऊपरी सर्किटों में कभी -कभी अन्तर्बाधा उपस्थित हो जाती है।

वृक्ष लगाना

†*१७१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मार्ग के किनारे वृक्ष लगाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कितना खण्ड रेलों ने इस योजना को कार्यान्वित किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) वृक्षों को लगाने के बारे में तब से काफी प्रगति हुई है। रेल मार्ग, स्टेशन यार्डों और रेलवे बस्तियों में इस वर्षा ऋतु के दौरान में लगभग ३ $^1/_2$ लाख वृक्ष लगाये गये हैं।

(ख) अखिल भारतीय रेलें इस योजना को कार्यान्वित कर रही हैं।

तम्बाकू उद्योग का नियमितकरण

†*१७२. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने तम्बाकू उद्योग के नियमितकरण की योजना प्रकाशित कर दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मंदी को रोकने हेतु तम्बाकू के उत्पादन का नियमितकरण करने के बारे में प्रारूप योजना तैयार करने के लिये एक समिति बनाई जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी भी समिति की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये फिलहाल कोई समिति बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

अण्डमान से लकड़ी मंगाना

†*१७३. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान सरकार टिम्बर डिपो, कलकत्ता द्वारा १५ जनवरी, १९५९ को लगभग १७० टन लकड़ी फिर से नीलाम की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका कितना मूल्य मिला ;

(ग) क्या यही लकड़ी लगभग दो साल पहले नीलाम की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उस समय इसका कितना मूल्य मिला था ; और

(ङ) उसके फिर से नीलाम करने के कारण क्या हैं और दूसरे नीलाम में हुई हानि को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है तथा लगभग दो वर्षों तक उसे पुनः नीलाम ने करने के लिये, जिसमें वह खराब हुई, उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (ङ). एक. विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५६]**

थंगासेरी में पत्तन

†*१७४. { **श्री कोडियान** : **श्री वारियर** : **श्री त० ब० विट्ठल राव** : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थगांसेरी (क्विलोन) में एक लाइटरेज पोर्ट (पत्तन) के विकास के संबंध में केरल सरकार से योजना प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली-मास्को विमान सेवा

†*१७५. डा० राम सुभग सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-मास्को विमान सेवा के कार्य का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या अवस्था है ; और

(ग) क्या उड़ानों की संख्या को बढ़ाने के संबंध में कोई योजना है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). एयर इंडिया इन्टरनेशनल तथा एयरोफ्लाट के प्रतिनिधियों द्वारा वैमानिक स्तर पर दिल्ली-मास्को विमान सेवा के कार्य का पुनरीक्षण किया गया है । बारम्बारता के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि १ अप्रैल, १९६० से प्रत्येक विमान की प्रत्येक ओर से सप्ताह में एक बारम्बारता की अपेक्षा दो कर दी जायें ।

पोचमपद परियोजना

†*१७६. श्री रामम् :
श्री वें० वें० राव :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पोचमपद परियोजना के संबंध में आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) क्या इस परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि अभी परियोजना के बारे में विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†*१७७. श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हेम राज :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८**]

दुर्गापुर में डाक सेवा

†*१७८. { **श्री राधा रमण :**
श्री साधन गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में डाक तथा तार सेवाओं की व्यवस्था अपर्याप्त है और इन दिनों और भी खराब हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का सुधार करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) यद्यपि दुर्गापुर की डाक तथा तार सेवाओं की व्यवस्था में कोई विशेष कमी नहीं है, तथापि क्योंकि दुर्गापुर बस्ती शीघ्रता से विकसित होती जा रही है, इसलिये संभव है वहां पर्याप्त सुविधायें संभरित करने में कुछ विलम्ब हो गया हो ।

(ख) और (ग). सरकार इस समस्या की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान दे रही है और यहां पर डाक सेवा की प्रगति के संबंध में सभी संभव कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसके लिये और अधिक कर्मचारियों के लिये मंजूरी दे दी गयी है ; बहुत से लैटर बक्स लगा दिये गये हैं और एक विभागीय तार घर स्थापित करने और ७५०/१००० तारों के लिये एक स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने की योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। दफ्तर तथा निवास संबंधी स्थानों की कमी की समस्या को हल करने के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि इस समस्या से बहुत सा काम रुका हुआ था ।

टेलीफोन विभाग के विरुद्ध अधिक वसूली की शिकायतें

†*१७९. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्रा० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग के विरुद्ध ऐसी कई शिकायतें आयी हैं कि ग्राहकों से अधिक वसूली की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोक थाम करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) इस संबंध में कोई अधिक शिकायतें नहीं आयी हैं। प्रतिमास जारी किये जाने वाले हजारों बिलों की तुलना में यदि कुछ एक बिलों के संबंध में शिकायत आयी है, तो वह नगण्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन मामलों के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है, उनके बारे में जांच की जाती है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

खानपुर गांव में बैल-शक्ति परियोजना

†*१८०. **श्री आचार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के खानपुर गांव में प्रारम्भ की गयी बैल-शक्ति परियोजना सफल सिद्ध नहीं हुई है ; और

(ख) क्या यह सच नहीं है कि फोर्ड फाउन्डेशन ने जेनेरेटर, पम्प, वर्कशाप और ईंटों का भट्टा बन्द कर दिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख). जी, नहीं । गांवों में प्रयोग के लिये बैल-शक्ति से चलने वाले उपकरणों का परीक्षण करने के लिये खानपुर परियोजना के अन्तर्गत अभी तक अनुसंधान तथा विकास कार्य चल रहे हैं और परियोजना समाप्त नहीं की गयी है ।

दिल्ली-मास्को रेडियो-टेलीप्रिंटर सम्पर्क

†*१८१. { **श्री साधन गुप्त** :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋतु विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संबंध में जानकारी लेने देने के संबंध में नई दिल्ली और मास्को के बीच एक रेडियो-टेलीप्रिंटर सम्पर्क स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों से भी इसी प्रकार के सम्पर्क स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) अन्य किन किन देशों से सम्पर्क स्थापित किये जायेंगे और किस किस तिथि को स्थापित किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, अभी नहीं । यह विचार किया गया है कि ऋतु विज्ञान संबंधी आंकड़ों के लेन देन के लिये नई दिल्ली और मास्को के बीच १ जनवरी, १९६० से एक रेडियो-टेलीप्रिंटर सम्पर्क स्थापित किया जाये ।

(ख) और (ग). टोकियो से भी उसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है । आशा है कि वह सम्पर्क मार्च, १९६१ तक स्थापित हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-अमरीका विमान सेवा

†*१८२. {श्री कमल सिंह :
श्री इगनेस बेक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल के विमानों की सेवा को अमरीका तक बढ़ाने के संबंध में अमरीका की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीकी असैनिक विमान बोर्ड ने एयर एंडिया इन्टरनेशनल को एक परमिट दे दिया है जिसके अनुसार वह भारत से पश्चिमी एशिया, यूरोप और कनाडा के मार्ग से न्यूयार्क तक उड़ान कर सकता है ।

खांडसारी के एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

†*१८३. {डा० गंगाधर शिव :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब चीनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध नहीं हटाया गया है, तो खांडसारी से ऐसा प्रतिबन्ध क्यों हटा दिया गया है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश में अक्तूबर के मास में और १५ नवम्बर, १९५९ तक प्रत्येक सप्ताह में खांडसारी का क्या भाव रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) उत्तर प्रदेश से खांडसारी बाहर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध १–१०–५९ से हटा दिया गया था क्योंकि ऐसी कई रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं कि राज्य में स्थानीय मांग से अधिक खांडसारी इकट्ठी हो गयी थी और अन्य राज्यों में इसकी मांग बढ़ गयी थी ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

गाड़ी में डकैती

†*१८४. **श्री हाल्दर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ नवम्बर, १९५९ की शाम को अमृतसर और जालन्धर के बीच एक चलती हुई गाड़ी म दो स्त्रियों को लूट लिया गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उसी रात को जालन्धर और हमीरा के बीच एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में एक महिला यात्री को घायल कर दिया गया था ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । यह दुर्घटना १–११–५९ को लगभग ७ बजे सायं को हुई थी ।

(ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुरक्षा कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) लगभग सभी रात्रि-सवारी गाड़ियों के साथ पुलिस भेजी जाती है ।

(२) गाड़ियों के मध्य में और संभवतः जनाने डिब्बे के साथ के डिब्बे को पुलिस के लिये रक्षित रखा जा रहा है ;

(३) गश्त के काम को बढ़ा दिया गया है ।

(४) विशेष सुरक्षा बल तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा गश्ती दस्तों और गाड़ियों के आकस्मिक परीक्षण किये जाया करेंगे ।

(५) प्रसिद्ध चैक पोस्ट्स पर पुलिस पिकेट्स का प्रबन्ध किया जाता है और बड़े पैमाने पर गश्त की जाती है ।

(६) अपराधों की रोकथाम करने के उपायों के बारे में सोच विचार करने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस, सिविल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों की समय समय पर संयुक्त बैठकें होती हैं ।

(७) रेलगाड़ियों के डिब्बों में सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि बाहिर से कोई व्यक्ति अन्दर घुस न सके, जैसे कि खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगवा दी गई हैं, अन्दर से दरवाज़े बन्द करने की चिटखनियां और खिड़कियों को अन्दर से बन्द करने की सांकलें लगवा दी गयी हैं ।

(८) जहां तक हो सकता है, जनाने डिब्बे गाड़ी के मध्य में ही लगाये जाते हैं ।

(९) चालकों, गार्डों और टीटियों को विशेष रूप से येहिदायतें दे दी गई हैं कि वे महिला यात्रियों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें, विशेष रूप से उस समय तो और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये जब कि महिलायें अकेली यात्रा कर रही हों और वे इस बात की अच्छी प्रकार से जांच कर लें कि उन कमरों में सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण ठीक प्रकार से काम कर रहे हों ।

(१०) ऊंचे दर्जे के डिब्बों में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को इस बात की अनुमति है कि वे रात के समय तीसरे दर्जे के टिकट पर एक सहायक को अपने साथ रख सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(११) यात्रियों को इस बात की हिदायतें दे दी गई हैं कि वे इस बात की अच्छी प्रकार से जांच कर लिया करें कि दरवाजों और खिड़कियों की चिटखनियां अच्छी प्रकार से बन्द हैं, ताकि बाहर से कोई अनुचित व्यक्ति प्रवेश न कर सके ;

(१२) लाउड स्पीकरों और नोटिसों के द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है और यात्रियों को सचेत कर दिया जाता है कि वे जेबकतरों और अन्य समाज विरोधी व्यक्तियों से सावधान रहें ;

(१३) भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १०८ को संशोधित कर दिया गया है और बिना उचित कारण के खतरे की जंजीर खींचने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा कर २५० रुपये कर दिया गया है या उसके बदले तीन मास तक के लिये कारावास दिया जा सकता है ।

(१४) रेलवे सुरक्षा बल की गुप्त वार्ता शाखा पुलिस की सहायता से रेलवे में अपराध करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखती है और इस प्रकार की सूचनाये जिला पुलिस या सम्बन्धित सरकारी रेलवे पुलिस के पास भेज देती हैं ।

बिना आवाज़ वाली गाड़ियां

†*१८५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गाड़ियों की आवाज कम करने और उनकी रफ्तार बढ़ाने के प्रश्न के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : रेलवे मंत्रालय गाड़ियों की आवाज़ कम करने और उनकी रफ्तार बढ़ाने के प्रश्न पर अभी तक विचार कर रहा है ।

'कृषि-भवन' में अग्निकांड

†*१८६. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री वाजपेयी :
श्री आसर :
श्री हेम राज :

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम बरुआ :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ सितम्बर, १९५९ को कृषि भवन में एक अग्निकांड हुआ था ;

(ख) उससे कितनी क्षति हुई थी ; और

(ग) अग्निकांड का वास्तविक कारण क्या था ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) उससे कुछ पुरानी वस्तुयें, कुछ पेटियां और कुछ प्रदर्शनी का सामान जल गया था।

(ग) अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है।

डीजल तेल में पैट्रोल का मिलाया जाना

†*१८७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क विकास परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल तेल में १० प्रतिशत पैट्रोल भी मिला लिया जाये ;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने इस बात का परीक्षण कर लिया है कि उस मिश्रण का क्या प्रभाव होता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). स्टोर करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और वितरण में प्रशासनीय कठिनाइयों के कारण डीजल तेल में १० प्रतिशत पैट्रोल मिला देने की योजना छोड़ दी गई है। फिर भी इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने तेल शोधक कम्पनियों को परामर्श दिया है कि वे सीधे ही एक ऐसा मिश्रण तैयार करें जिससे अत्यधिक गति के डीजल तेल के निर्माण को बढ़ाया जा सके और अतिरिक्त मोटर स्पिरिट को कम किया जा सके।

चांदवली पत्तन

†*१८८. श्री बै० च० मलिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदवली पत्तन से ...ल का निर्यात करने सम्बन्धी मामले के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर दिया गया है ; अ...

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) खाद्य विभाग ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से तथा उसके लिये चांदबली पत्तन से कलकत्ता को चावल तथा धान भेजे जायें और इसके लिये एजेन्ट नियुक्त कर दिये गये हैं ।

अमृतसर–पठानकोट सेक्शन पर विस्फोट

†*१८९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ जनवरी, १९५९ को अमृतसर-पठानकोट सेक्शन पर सरना और भरोली के बीच जो विस्फोट हुआ था, उसकी पुलिस जांच के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). इस सम्बन्ध में अभी तक और कोई प्रगति नहीं हुई है । फिर भी पुलिस जांच जारी है ।

कुष्ठ निरोधी कार्य

†*१९०. **श्री कोडियान :** क्या स्वास्थ्य मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ट निरोधी कार्य में प्रतिवर्ष ६० डाक्टरों को प्रशिक्षण देने की योजना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** इस सम्बन्ध में प्रथम प्रशिक्षण कोर्स २ सितम्बर, १९५९ को नागपुर के मेडिकल कालेज तथा अस्पताल में प्रारम्भ कर दिया गया है और उसमें विभिन्न राज्यों के ७ डाक्टर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये मकान

†*१९१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न नगर निकायों से यह कह दिया है कि वे निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को मकान बनाने की अनुमति दे दिया करें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

कम आय के व्यक्तियों को कम लागत के मकान बनाने की अनुमति देने से सम्बन्ध रखने वाली स्थानीय निकायों की इमारत-उपविधियों में संशोधन करने के प्रश्न पर २२ से २४ अक्तूबर,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ तक हैदराबाद में केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद् की पांचवीं बैठक में विचार किया गया था और उस में निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था :—

"यह संकल्प किया गया कि भारतीय मानक संस्था द्वारा अपनायी गयी इमारत-उप-विधियों की भारतीय संहिता को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना चाहिये और ऐसा करते समय वह संहिता स्थानीय आवश्यकताओं और कम लागत के मकानों के निर्माण कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से संशोधित की जा सकती है ।"

वह संकल्प राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ताकि वे उस पर उचित कार्यवाही कर सकें ।

यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद

†*१९२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पांडे : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया से पोत खरीदने के सम्बन्ध में भारत और योगोस्लाविया में हो रही बात चीत पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) क्योंकि अब भारतीय जहाज मालिक सस्ते दामों पर उपलब्ध पुराने जहाज खरीदने के लिये उत्सुक हैं, इसलिये उन्हें नये जहाज खरीदने के संबंध म कोई रुचि नहीं दिखाई देती है । इसलिये बात चीत आगे नहीं बढ़ सकी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पुनर्गठन

†*१९३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पांडे :
श्री विद्या चरण शुक्ल : }

क्या सिचाई और विद्युत मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पुनर्गठन की योजना के सम्बन्ध में फैसला कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस योजना का रूप क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जम्मू और काश्मीर को मिलाने के लिये रज्जुपथ[1]

†*१९४. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री तै० अ० मेहदी : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर जिले को जम्मू से मिलाने के लिये एक रज्जुपथ (रोपवे) बनवाने के सम्बन्ध में कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । कुछ एक प्रारम्भिक जांच सम्बन्धी कार्य तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही प्रारम्भ कर दिये गये हैं ।

दिल्ली के अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी

†*१९५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये १९५९ में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अगस्त, १९५९ में दिल्ली और नई दिल्ली के चार सरकारी अस्पतालों में मेडिकल अफसरों के २१ स्थान खाली थे । इस समय केवल ११ स्थान खाली हैं ; और उन में से भी ४ अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र भेज दिये गये हैं । शेष स्थानों को भरने के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति

†२७२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकारी

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ropeway.

समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०]

गया के निकट रेलवे दुर्घटना

†२७३. **श्री रामजी वर्मा :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ सितम्बर, १९५९ को गया स्टेशन के समीप गया-मुगलसराय पैसेंजर गाड़ी एक पाइलट इंजन से टकरा गयी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटना ग्रस्त लोगों को प्रतिकर के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ८–९–१९५९ को प्रातः ६ बज कर ४९ मिनट पर जब संख्या ३४९ अप गया-मुगलसराय पैसेंजर गया स्टेशन से रवाना हो रही थी, तो एक इंजन (कोचिंग यार्ड पाइलट) पैसेंजर गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गया जिसके परिणाम स्वरूप इंजन पटरी से उत्तर गया और उलट गया । पैसेंजर गाडी से यात्रा करने वाले तीन यात्रियों को हल्की चोटें आयीं। दुर्घटना आदमियों की गलती से हुई ।

(ग) अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है ।

शारदा नदी पर रेलवे पुल का छज्जा

२७४. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर भीरा खेड़ी और पलिया रेलवे स्टेशनों के बीच शारदा नदी पर रेलवे पुल का छज्जा बनाने मे देरी के क्या कारण हैं, और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें०रामवस्वामी): (क) यद्यपि इस काम की योजना और अनुमानित खर्च के बारे में अंतिम फैसला कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे मान लिया है, फिर भी काम अभी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी इस बात की मंजूरी नहीं मिली है कि वह रेलवे को पुल की मूल लागत का कुछ हिस्सा देगी या उस हिस्से का सूद ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए अभी यह बताना संभव नहीं है कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम

†२७५. **श्री धनागर :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम[1] के खाते रखने में अनियमितताओं के कारण अक्तूबर और नवम्बर, १९५८ में १६,६४४ रुपये की हानि हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कथित उपक्रम ने १४४ मामलों में छूट दी ;

(ग) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**सिचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं । यह राशि अप्रैल से अगस्त, १९५८ तक के पांच महीनों के लिये है और उपक्रम द्वारा यह सम्बन्धित उपभोक्ताओं से वसूल कर ली गयी है ।

(ख) और (ग). जी हां । यह बताया गया है कि कुछ क्लेरिकल गलती के कारण छूट दी गयी थी और इसका पता लगने पर इस गलती को दूर कर दिया गया ।

शकूरबस्ती में ऊपरी पुल

†२७६. **श्री धनागर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकूरबस्ती में एक ऊपरी पुल बनाने के लिये जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है या की जावेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) यार्ड के आर-पार एक पैदल ऊपरी पूल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और यह कार्य १९५९-६० में किये जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची में सम्मिलित है ।

मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के लम्बित मामले

†२७७. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५९ को मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले लम्बित थे ; और

(ख) लम्बित मामलों का स्वरूप क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ३१ अक्तूबर, १९५९ को २१२ मामले ।

(ख) ये मामले विभिन्न दुराचार और अनियमितताओं के बारे में है जिनसे रेलवे को हानि हुई, अर्थात्

(१) श्रम अथवा पासों का दुरुपयोग ।

(२) रेलवे के सामान का अनुचित उपयोग ।

(३) कर्तव्यहीनता जिससे प्रशासन को हानि हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Delhi Electricity Supply Undertaking.

(४) अवैध भेंट मांगना और स्वीकार करना ।

(५) कपट, जालसाजी और धोखा ।

(६) इंजीनियरिंग कार्यों के बारे में अनियमितता, उदाहरणतः मिट्टी का काम, पत्थरों का ढेर, निर्माण-कार्य पर निम्न किस्म का सामान लगाना आदि ।

(७) बर्थों के रक्षण में अनियमितता ।

मध्य रेलवे में स्टेशनों पर प्रतीक्षालय

†२७८. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में जिन स्टेशनों पर १९५८–५९ में प्रतीक्षालय बनाये गये, उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) उन स्टेशनों के क्या नाम हैं जिन पर १९५९–६० में प्रतीक्षालय बनाये जाने का प्रस्ताव है और उन पर क्या अनुमानित लागत आयेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). वर्ष १९५८–५९ में कोई नये प्रतीक्षालय नहीं बनाये गये और १९५९–६० में नये प्रतीक्षालय बनानें के कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

नागार्जुन सागर परियोजना में विदेशी

†२७९. **श्री पांगरकर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नागार्जुन सागर परियोजना में कितने विदेशी नियोजित हैं और पृथक पृथक उनके क्या वेतन हैं ; और

(ख) इन विदेशियों के स्थान पर भारतीयों को कब तक रखा जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) नागार्जुन सागर परियोजना में अभी तक किसी विदेशी को नहीं रखा गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई राज्य में सिंचाई और विद्युत्-योजनायें

†२८०. **श्री पांगरकर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन बम्बई राज्य को बड़ी और छोटी सिंचाई और विद्युत् योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ख) यह आवंटन किन योजनाओं के लिये किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये बम्बई में छोटी और बड़ी सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये आवंटित कुल धनराशि निम्न प्रकार है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनायें . . ७७८२.८ लाख

(२) विद्युत् परियोजनायें . . . . ५७४६.६ लाख

(ख) योजनाओं की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]

बम्बई राज्य में गांवों में बिजली लगाना

†२८१. **श्री पांगरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने १६५८–५६ में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये कोई सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) १६५६–६० में कितना धन दिया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) रोजगार की सुविधा बढ़ाने के लिये, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कायक्रम है, विद्युत् सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार ने ४३ लाख रुपये का ऋण मांगा था ।

(ख) यह धन मंजूर कर लिया गया ।

(ग) ३० लाख रुपये ।

बम्बई राज्य में मीन-क्षेत्रों का विकास

†२८२. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई सरकार को मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** चालू वर्ष, १६५६-६० में बम्बई सरकार को मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कुल ३७.७० लाख रुपये का आवंटन किया गया ।

कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के अधीन बिहार को अनुदान

†२८३. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के अधीन बिहार को १६५६–६० में कुल कितना धन दिया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से १६५८ के अन्त तक बिहार सरकार द्वारा कुष्ठ रोग के नियंत्रण पर कुल कितना धन खर्च किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** १६५६–६० में बिहार को कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के लिये अस्थायी रूप से ३.६५ लाख रुपये की राशि दी गयी है और बिहार सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १६५८ के अन्त तक ११,३३,५०० रुपये खर्च किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर

२८४. श्री सरजू पांडेय : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून (राजपुर) में प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण संस्था में इस समय कितने प्रशिक्षणार्थी शिक्षा पा रहे हैं ;

(ख) इस संस्था की स्थापना के बाद से अब तक कितने प्रशिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं ; और

(ग) इस अवधि में इस संस्था पर कितना व्यय हुआ ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति) : (क) २०।

(ख) २५।

(ग) १,०७,२१०·२५ रुपये (जिसमें ४२,७०४·८० रुपये अनावर्ती के भी शामिल हैं) ३०–९–१९५९ तक ।

केन्द्रीय अध्ययन तथा अनुसंधान संस्था

२८५. श्री सरजू पांडेय : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसूरी की सामुदायिक विकास सम्बन्धी केन्द्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान संस्था में इस समय कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं ;

(ख) उसकी स्थापना से अब तक कुल कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ; और

(ग) इस संस्था में प्रशिक्षण का मुख्य विषय क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति) : (क) २८ ।

(ख) २६० ।

(ग) (१) सामुदायिक विकास का दर्शन, धारणा तथा उद्देश्य ।

(२) सामुदायिक विकास की तकनीक—रीति तथा प्रणाली ।

(३) समाजवादी व्यवस्था का विकास और कल्याण राज्य तथा सामुदायिक विकास कार्य-क्रम ।

(४) लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण सहित लोकतंत्र का विकास ।

(५) भारतीय ग्राम्य जातियों की अल्प-विकास सम्बन्धी समस्यायें ।

(६) लोक प्रशासन—विधि तथा पुलिस राज्य का कल्याण राज्य में परिवर्तन ।

(७) कृषि सहकारिता तथा सम्बद्ध विषय ।

उड़ीसा में चिल्का झील में मीन-क्षेत्र

†२८६. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि चिल्का झील के द्वार में रेत भर जाने से उड़ीसा में चिल्का झील से मछली निकालने में प्रति वर्ष कमी हो रही है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने चिल्का झील के प्रवेश द्वार पर से मिट्टी हटाने के लिये कोई योजना भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब भेजी गयी थी ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार चिल्का में मीन-क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से मिट्टी साफ करने के लिये कोई सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के बारे में अब क्या स्थिति है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, हां । तथापि यह मंजर नहीं की गयी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार बोर्ड

२८७. **श्री सरजू पांडे :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार विभाग द्वारा १६५८–५६ में कितनी समितियां व बोर्ड बनाये गये ;

(ख) क्या उनके लिये कोई संसद् सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य मनोनीत किये गये ; और

(ग) यदि हां, तो वे किस राजनैतिक दल के सदस्य थे ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) १६५८–५६ के दौरन उत्तर प्रदेश में डाक तार विभाग द्वारा कोई भी समिति या सलाहकार बोर्ड नहीं बनाया गया । फिर भी, इस प्रदेश में १६५८–५६ के पूर्व बनाई गई निम्नलिखित सलाहकार समितियों का कार्य जारी है और किसी एक सदस्य की पदावधि समाप्त होने पर यथा-समय नये सदस्य नामजद किए जाते रहे हैं ।

(१) एक प्रादेशिक डाक-तार सलाहकार समिति ।

(२) आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ तथा वाराणसी में ७ टेलीफोन सलाहकार समितियां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

९. टेलीफोन सलाहकार समितियां

संसद् सदस्य	७ कांग्रेसी
(प्रत्येक समिति में एक सदस्य)	
विधान सभा सदस्य	७ कांग्रेसी
(प्रत्येक समिति में एक सदस्य)	

प्रादेशिक डाक-तार सलाहकार समिति

संसद् सदस्य	४ कांग्रेसी
विधान सभा सदस्य	१ कांग्रेसी

लखनऊ बरेली लाइन पर भोजनालय

२८८. **श्री खुशवक्त राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ-बरेली सेक्शन के किसी भी रेलवे स्टेशन पर मांसाहारी और शाकाहारी भोजनालय नहीं हैं ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के लखीमपुर खेरी, सीतापुर, पीलीभीत और गोला गोकरनाथ स्टेशनों पर ऐसे भोजनालय खोलने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन भोजनालयों के लिये इमारतें बनाई जा चुकी हैं और उनके लिये मंजूरी मिलने के बाद भी अभी तक ये खोले नहीं गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ-बरेली सेक्शन में लखनऊ जं० और पीलीभीत स्टेशनों पर शाकाहारी भोजनालय और लखनऊ जं० और मैलानी स्टेशनों पर सामिष भोजनालय हैं ।

(ख) लखीमपुर खीरी और सीतापुर स्टेशनों में से किसी पर भोजनालय खोलने का विचार नहीं है । इन स्टेशनों पर चाय की दुकानें पहले से मौजूद हैं । खान-पान की यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

पीलीभीत स्टेशन पर पहले से एक भोजनालय मौजूद है और गोला गोकरनाथ स्टेशन पर एक भोजनालय खोलने का विचार है ।

(ग) और (घ). गोला गोकरनाथ स्टेशन पर भोजनालय का कमरा बनाया गया है। बिजली मिलते ही यह भोजनालय खोल दिया जायेगा । भोजनालय चलाने के लिए ठेकेदार का चुनाव किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†२८९. **श्री कालिका सिंह :** क्या रेलवे मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजखरसावांबडा जमदा लाइन को दोहरी बनाने में लगे ठेकेदारों को मिट्टी के काम और नामतोल में बढ़े हुए वर्गीकरण के आधार पर किये गये अधिक भुगतानों के मामलों की जांच पड़ताल पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या पता लगा ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग). विभागीय जांच अन्तिम प्रक्रम पर है और इसका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है । इस मामले को जांच पड़ताल के लिये विशेष पुलिस संस्थान को सौंपने का भी फैसला किया गया है ।

बटाला स्टेशन पर रेलवे को आय

†२९०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे पर बटाला स्टेशन पर १९५९ में अब तक माहवार सामान और यात्री यातायात से कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

जालन्धर स्टेशन

†२९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर रेलवे स्टेशन के यार्ड के नव-निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख). जालन्धर सिटी अथवा कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड के नव-निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, अतिरिक्त खनिज और सामान के यातायात के लिये जालन्धर सिटी स्टेशन पर एक अतिरिक्त-साइडिंग और एक गुड्स प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । यह आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा और अगले वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

सहकारी फल तथा वनस्पति विपणन योजना

†२९२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिये कोई सहकारी फल तथा बनस्पति विपणन और शीत संग्रहागार योजना बनायी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख). जी, नहीं । हिमाचल प्रदेश के लिये ऐसी कोई योजना नहीं बनायी गयी है और न ही द्वितीय योजना में शामिल की गयी है ।

इर्विन अस्पताल, दिल्ली

†२९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में और कितनी नई शैयाओं की व्यवस्था की गयी थी ; और

(ख) १९५९–६० में और कितनी नई शैयाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५८–५९ में १३७ और नई शैयाओं की व्यवस्था की गयी थी ।

(ख) शून्य ।

पंजाब में स्वास्थ्य योजनायें

†२९४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ और १९५९–६० में अमरीका से प्राप्त राशि में से पंजाब को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि दी गयी है :—

(१) मेडिकल कालेज और सम्बद्ध संस्थाएं ;
(२) ओरीयेन्टेशन ट्रेनिग प्रोजेक्ट ;
(३) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना ;
(४) तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम ;
(५) राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम ;
(६) फीलपांव तथा कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

	१९५८–५९	१९५९–६०
	(रुपये)	(रुपये)
(१)	१२.०४४·०४	शून्य
(२) . .	शून्य	शून्य
(३) . .	शून्य	शून्य
(४) . .	शून्य	शून्य
(५) . .	१८,७३,१३७	३५,२२,०९३ (आवंटित)
(६) . . .	शून्य	शून्य

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में बिजली का खराब हो जाना

†२६५. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई से नवम्बर, १९५९ तक की अवधि में नई दिल्ली में कई बार बिजली खराब हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका किस किस क्षेत्र पर असर पड़ा था ; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) उसका निम्नलिखित क्षेत्रों पर असर पड़ा था :—

(१) कनाट प्लेस और कनाट सर्कस
(२) डिप्लोमेटिक एनक्लेव
(३) कृषि भवन, उद्योग भवन और विज्ञान भवन
(४) बड़ौदा हाउस तथा जयपुर हाउस
(५) पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नयी इमारतें
(६) बाराखंभा रोड तथा फायर ब्रिगेड लेन
(७) डी० आई० जेड एरिया
(८) संसद् भवन
(९) शान नगर
(१०) लाजपत नगर तथा डिफेन्स कालोनी क्षेत्र
(११) जोर बाग, गल्फ लिंक रोड तथा सुन्दर नगर क्षेत्र
(१२) मथुरा रोड तथा हार्डिग एवेन्यू
(१३) मोती बाग तथा विनय नगर क्षेत्र
(१४) कर्जन लेन
(१५) तुगलक लेन तथा रेस कोर्स एरिया
(१६) ईस्ट एण्ड वेस्ट आफ नार्थ ब्लाक
(१७) अपर एयर लेबरेटरी
(१८) काका नगर
(१९) तीस जनवरी मार्ग तथा कार्नवालिस रोड

(ग) फीडरों और लाइनों पर अधिक भार पड़ने से ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुंभ मेले के लिये विशेष प्रबन्ध

†२९६. श्री श्रीनारायण दास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी वर्ष के प्रारम्भ में इलाहाबाद में होने वाले अर्धकुंभ के मेले के लिये सम्पूर्ण देश से आने वाले यात्रियों के लिये रेलवे द्वारा विशेष रूप से कोई प्रबन्ध किये गये हैं ; और यदि हां, तो क्या क्या ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन और राज्य सरकारों में बातचीत चल रही है औद्योगिक उत्पादन को जारी रखने के लिये अत्यावश्क वस्तुओं के यातायात की व्यवस्था को जारी रखते हुए रेलवे की क्षमता के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी । राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे कम दूरस्थ स्थानों से यथासंभव अधिक यात्रियों के लियें सड़क परिवहन की व्यवस्था करने का प्रयत्न करें ।

शिमला में अस्पताल

२९७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार के लिए शिमला के किन-किन अस्पतालों को मान्यता दी गई है ;

(ख) क्या उन में कोई ईसाई धर्म प्रचारकों का अस्पताल भी है और यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि इन अस्पतालों के रोगियों से ईसाई धर्म के अनुयायी बनने के लिए कहा जाता है ; और

(घ) ईसाई धर्म प्रचारकों के इन अस्पतालों को सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के इलाज के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि देती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) (१) हिमाचल प्रदेश अस्पताल (आमतौर पर जो स्नोडन अस्पताल के नाम से विख्यात है), शिमला ;

(२) सिविल तथा मिलिटेरी डिस्पेन्सरी, शिमला ;

(३) रिपन अस्पताल, शिमला ; और

(४) शिमला आरोग्याश्रम तथा अस्पताल, शिमला ।

(ख) जी हां ; शिमला आरोग्याश्रम तथा अस्पताल, शिमला, जो सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट मिशन के द्वारा चलाया जाता है ।

(ग) जी हां हाल ही में श्री प्रकाश वीर शास्त्री, संसद सदस्य से एक ऐसी शिकायत मिली थी और पंजाब सरकार से परामर्श करके इस विषय में छानबीन की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के इलाज के लिए इस अस्पताल को कोई धनराशि नहीं देती। वे कर्मचारी, जो इस अस्पताल में इलाज कराते हैं, अपने इलाज पर हुए खर्च की उतनी राशि सरकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं जितनी कि चालू नियमों के अनुसार दी जा सकती है।

हिसार (पंजाब) में मैडीकल कालेज

†२९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिसार में एक मेडिकल कालिज स्थापित करने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना को मंजूर कर लिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, नहीं।

(ख) किसी भी मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये भारत सरकार की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं।

स्वास्थ्य कार्यों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी

†२९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त:**
श्री पद्म देव:

क्या स्वास्थ्य मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक स्वास्थ्य कार्यों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके लिये संसाधनों के सम्बन्ध में अनुमान लगाने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकारी दल ने बहुत सी राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक बातचीत की है। कुछ एक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अन्तिम निर्णय तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के रूप और क्षेत्र पर निर्भर करता है।

दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रादेशिक कार्यालय की इमारत

†३००. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रादेशिक कार्यालय के लिये इन्द्रप्रस्थ एस्टेट (दिल्ली) में इमारत बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रादेशिक कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिये और भवन की एयर कंडिशनिंग के लिये २० अक्तूबर, १९५९ की खर्च की मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से यह कह दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दे, जैसे कि ब्योरेवार नक्शे तैयार करना, ब्योरेवार प्राक्कलन तैयार करना और टैण्डर मंगाना आदि । उन से यह भी कह दिया गया है कि वे निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ कर दें ।

खोसला समिति का प्रतिवेदन

†३०१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अमजद अली :
श्री साधन गुप्त :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पांडे :
श्री आचार :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या रेलवे मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलों की हालत पर विचार करने और उनके सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने के बारे में नियुक्त की गयी खोसला समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या-क्या सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी ह ;

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

(ग) रिपोर्ट विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत नेपाल डाक करार

†३०२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक और तार के संचार के सम्बन्ध में करार करने के लिये भारत और नेपाल में चल रही बातचीत के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : अभी तक और कोई प्रगति नहीं हुई है और मामले की अभी वैसी ही स्थिति है ।

†मूल अंग्रेजी में

हिंदुस्तान शिपयार्ड

†३०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने मैसर्स लूब्रेकर फ्लेण्डरवेक, पश्चिमी जर्मनी के साथ मालवाही पोतों के निर्माण के सम्बन्ध में औपचारिक करार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में अभी तक जर्मनी की उस फर्म से बातचीत चल रही है ।

गोदाम

†३०४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री पद्म देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ सितम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदाम निर्माण सम्बन्धी संकलित जानकारी के बारे में पुस्तिकायें तैयार हो गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) छोटे-छोटे गोदामों के लिये स्टैण्डर्ड निर्धारित करने के सम्बन्ध में योजना परियोजनाओं की समिति के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और स्टैण्डर्ड निर्धारित करने के बाद पुस्तिकाएं पूरी की जा सकेंगी ।

(ख) पूरी हो जाने के बाद इन पुस्तिकाओं की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ।

भारतीय यात्रा अभिकर्ता सन्था

†३०५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सरजू पांडे :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह ४ अगस्त, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय यात्रा अभिकर्ता सन्था की इस प्रार्थना पर विचार कर लिया है कि विदेशों को जाने वाले भारतीयों के लिये विदेशी मुद्रा भत्ते बढ़ा दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मामले पर पुनः विचार किया गया है, परन्तु फिलहाल विदेशों को जाने वाले भारतीयों के विदेशी मुद्रा भत्ते को बढ़ाना संभव नहीं है ।

उचित अवसर पर इस पर पुनः विचार किया जायेगा ।

सार्वजनिक टेलीफोन

†३०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अतेली और कुणाद में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां ।

(ख) **मण्डी अतेली** : इस स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव २६-१०-१९५९ को मंजूर कर दिया गया है । इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

कुणाद : यह मान लिया जाता है प्रयोजन गुड़गांव जिले के कुण्ड से है । इस स्थान पर सार्वजनिक टेलीफ़ोन लगाने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है । क्योंकि यह उन स्थानों में शामिल नहीं हैं जिनमें निर्धारित नीति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जा सकते हैं, इसलिये ऐसी कोई पार्टी होनी चाहिये जो विभाग को कोई क्षति न होने देने की गारंटी कर सके । इस बारे में पूछताछ की जा रही है कि संबंधित पार्टियों से अपेक्षित गारंटी प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं । यदि गारंटी मिल जाय तो सार्वजनिक टेलीफोन लगाया जा सकता है ।

भारत में टेलीप्रिंटरों का निर्माण

३०८. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में टेलीप्रिंटरों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : उन पार्टियों के साथ जिन्होंने इस प्रयोजना में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है बातचीत शुरू होने वाली है ।

†मूल अंग्रेजी में

धान की खरीद

†३०९. श्री स० मो० बनर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धान की खरीद के बारे में कोई एक-सी नीति निर्धारित करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह नीति क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). भिन्न-भिन्न राज्यों की अवस्था भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं और इस बात का निर्णय राज्य सरकारों पर है कि वह धान खरीदना आरम्भ करेंगी अथवा नहीं, और यदि खरीदेंगी तो खरीदने का तरीका क्या होगा। विभिन्न राज्यों में धान का क्रय-मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिया है ।

बुढ़ापे की दवा

३१०. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया के डा० सी० आई० परहोन ने 'बुढ़ापे की दवा' नामक किसी औषधि का आविष्कार किया है ।

(ख) क्या डा० परहोन ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि बुढ़ापा एक रोग है जिसका उपचार किया जा सकता है ; और

(ग) क्या भारत में भी इस प्रकार का अनुसंधान करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सरकार के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गंगा-जल

†३११. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा जल में बड़े स्वास्थ्य दायक गुण होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा में अर्जित करने के लिये सरकार का विचार इसे बोतलों में भरकर आविया-जल की तरह विदेश भेजने का है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में मिट्टी का कटाव

†३१२. { श्री पद्म देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर १९५९-६० में अब तक भूमि के कटाव के बारे में कार्य किया गया है और उस पर कितना व्यय हुआ है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : हिमाचल प्रदेश में भूमि संरक्षण कार्य निम्न स्थानों पर चालू है ।

कृषि भूमि

१. महासू जिला में अरकी और कुनीहार के क्षेत्र तथा बिलासपुर, कुनीहार और बिलासपुर जिला में सुन्गल के क्षेत्र ।

वन क्षेत्र

१. चम्बा शहर के आसपास का क्षेत्र

२. सिरखड कैचमेन्ट बिलासपुर डिवीजन के अन्तर्गत पेनल डिमान्सट्रेशन प्लाट

३. नैनादेवी डिमान्सट्रेशन प्लाट गमभर खड कैचमेन्ट प्लाट। रामपुर (नोगरी खड के ऊपर सतलुज नदी के बायें किनारे)

४. महासू और बिलासपुर जिला

५. नाहन, राजगढ़ और जुब्बल वन डिवीजन

इसके अतिरिक्त चम्बा, सिरमूर और शिमला के हलकों के उन क्षेत्रों की जिनमें पहले वनरोपण किया गया था, देखभाल की जा रही है ।

१-४-१९५९ से ३०-९-१९५९ तक ऊपर दिये हुए कार्य पर २,२२,१४२ रुपये की रकम खर्च की गयी है ।

इम्फाल में नया अस्पताल

†३१३. श्री ले० अचौ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इम्फाल में नये अस्पताल का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह आशा की जाती है कि नये अस्पताल का निर्माण द्वितीय योजना अवधि में आरम्भ हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में मछली पकड़ने की सहकारी समिति

†३१४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की निंगथिबिखोंग सेनापति लोंग्खुन फिशिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को वास्तव में ऋण के ३,००० रुपये दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या इस ऋण के लिये और किसी ने भी आवेदन किया था और इस सोसायटी को यह ऋण किस प्रकार दे दिया गया ; और

(ग) इस ऋण की शर्तें क्या हैं और यह ऋण किस प्रयोजन के लिये मंजूर किया जाता है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जवाहर सुरंग

†३१५. { श्री दी० बं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर सुरंग को, जिससे जम्मू तथा काश्मीर के लिये सभी ऋतुओं में खुली रहने वाली सड़क की व्यवस्था हो जायेगी, पूरा करने में अब तक किये गये कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : जवाहर-सुरंग के पश्चिमी और पूर्वी ट्यूबों की प्रगति का विवरण नीचे दिया जाता है :—

पश्चिमी ट्यूब

(१) पाइलट हेडिंग और पूरे सेक्शन तक चौड़ा करने का काम पूरा हो गया है ।

(२) लाइनिंग का काम प्रायः पूरा हो गया है ।

(३) सड़क, फुटपाथ आदि का काम प्रायः पूरा हो गया है ।

पूर्वी ट्यूब

(१) पाइलट हेडिंग पूरी हो चुकी है ।

(२) पूरे सेक्शन तक चौड़ा करने का काम ८० प्रतिशत पूरा हो गया है

(३) सुरंग की लाइनिंग का काम चल रहा है प्रायः ५० प्रतिशत पूरा हो गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

चण्डीगढ़ का हवाई अड्डा

†३१६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के हवाई अड्डे को विकसित करने की योजना को अंतिम रूप प्रदान करने में कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) चण्डीगढ़ के वर्त्तमान हवाई अड्डे पर १५००×३३ गज के एक सभी मौसमों में काम देने वाले धावन पथ और आवश्यक टैक्सी-ट्रैकों व एप्रन, प्रविधिक एवं रिहायशी इमारतों की व्यवस्था कर दी गयी है । आवश्यक उपकरणों और कर्मचारियों की भी वहां व्यवस्था कर दी गयी है और यह हवाई अड्डा असैनिक उड्डयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूर्णतः सुसज्जित है । फिलहाल और कोई विकास कार्य करने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जालन्धर-मुकेरियन रेलवे लाइन का टूट जाना

†३१७. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या रेलवे मंत्री जालन्धर-मुकेरियन रेलवे लाइन पर यातायात बन्द कर दिये जाने से सम्बन्धित २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइन को इतनी जल्दी जल्दी इस प्रकार टूट जाने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) लाइन इस प्रकार टूट जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). जालन्धर-मुकेरियन सेक्शन पर ऐसी पहाड़ी जल-धारायें हैं जो होशियारपुर के निकट उप-शिवालिक श्रृंगों से निकल कर बलखाती हुई मैदानों में आती हैं और वहां बाढ़ लाकर रेलवे लाइनों को तोड़ देती हैं । पंजाब सरकार इन में से कुछ धाराओं को एक निर्धारित मार्ग से प्रवाहित करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर रही है । एक पुल, जो पिछले मानसून में टूट गया था, अतिरिक्त जल-मार्ग बना कर फिर से बनाया जायेगा । एक अन्य स्थान पर, जहां लाइन टूट गयी थी, समुचित जल मार्ग सहित एक और पुल का निर्माण किया जाने वाला है ।

मुकेरियन—पठानकोट सेक्शन पर चक्की पुल के निकट वाले कटाव पर मिटटी खिसक गयी है । इसे पूरी तरह रोकना सभव नहीं है । फिर भी ऊपर लटके अंशों को हटाने का हर वर्ष प्रयास किया जाता है । कटाव के ढलान को इस वर्ष और भी चपटा कर देने का प्रस्ताव है और आशा है कि इससे भविष्य में मिटटी खिसकने की घटनायें कम से कम हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये निर्माणों पर व्यय

†३१८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नये निर्माणों के लिये जिन ६६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी उनमें से योजना के आरम्भ से ले कर सितम्बर, १९५९ तक इस प्रयोजन के लिये कुल कितना व्यय हो चुका है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड को इस पूरी राशि का उपयोग हो जाने की आशा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी कमी रह जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ३६.६६ करोड़ रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कावेरी पर रेल का पुल

†३१९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के बंगलौर-मैसूर सेक्शन पर सेरिंगपटनम् और पांडवपुरा के बीच कावेरी नदी पर बने रेल के पुल को सुदृढ़ बनाने का कार्य इस समय किस प्रावस्था में है ;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ; और

(ग) इस के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** दक्षिण रेलवे के बंगलौर–मैसूर सेक्शन पर सेरिंगपटनम् के निकट कावेरी और कावेरी—दक्षिण नदियों पर ३ रेल के पुल हैं । इन तीनों पुलों के पुर्ननिर्माण को रेलवे के १९५९–६० के निर्माण कायक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया है । ब्यौरेवार योजनायें और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और प्राक्कलन मंजूर होने के बाद सामान जमा होते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आशा की जाती है कि यह कार्य वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

नैनीताल एक्सप्रेस का पटरी पर से उतरना

†३२०. **श्री कुम्भार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २ सितम्बर, १९५९ को मैलानीपीलीभीत सैक्शन पर ८ डाउन नैनीताल एक्सप्रेस किन कारणों से पटरी पर से उतर गयी थी ;

(ख) क्या कोई जांच की गयी थी ; और

(ग) यदि हां तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी—भोजीपुरा सैक्शन के सेरामऊ स्टेशन पर २–९–५९ को ८ डाउन नैनीताल एक्सप्रेस के पटरी पर से उतर जाने की जो घटना हुई थी उसके सम्बन्ध में जांच कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से की थी ।

रेलवे प्रशासन जांच समिति की कार्यवाहियों पर गौर कर रहा है ।

मरीबहल स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी पर से उतरना

†३२१. श्री कुम्भार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ अगस्त, १९५९ को दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायपुर-वाल्टेयर सैक्शन पर तितिलागढ़ और मरीबहल स्टेशनों के बीच ५२९ नं० की मालगाड़ी पटरी पर से उतर गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे ; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी क्षति हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २५–८–५९ को लगभग ६.३५ बजे जिस समय ५३५ अप थ्रू मालगाड़ी दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायपुर-विजियानगरन सैक्शन के मरीबहल-तितिलागढ़ स्टेशनों के बीच चल रही थी तब उसका एक डिब्बा पटरी पर से उतर गया ।

(ख) मशीनी उपकरण के काम न करने के कारण यह दुर्घटना हुई ।

(ग) लगभग छः हजार रुपये ।

सरकारी कर्मचारियों को चश्मों का संभरण

†३२२. श्री सें० अ० मेंहदी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आप्टीशियंस एसोसियेशन ने सरकारी कर्मचारियों को चश्मों का संभरण करने के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का ६ चश्मे वालों की एक तालिका बना लेने के निश्चय का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी योजना का कारण क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). ऐसे चश्मे वालों की एक तालिका बना लेने का निश्चय किया गया था जो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को उचित कीमतों पर चश्मों का संभरण कर सकें ।

दिल्ली आप्टीशियंस एसोसियशन ने सरकारी निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है । एसोसियेशन के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है और उसके प्रतिनिधियों से भी विचार-विनिमय कर लिया गया है । अभी तो इस योजना की परीक्षा की जा रही है और इसे जारी रखने के प्रश्न पर छः महीने बाद विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रेकोमा

†३२३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेकोमा (आंख का एक रोग) को रोकने के लिये देशव्यापी आन्दोलन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का आन्दोलन किया जा रहा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) ट्रेकोमा नियंत्रण अग्रिम परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर, यह विचार किया गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में जहां ट्रेकोमा लोक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये एक जटिल समस्या है, किसी एक सामुदायिक विकास खंड के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आसपास सीमित स्तर पर जन आन्दोलन किया जाय । इस जन आन्दोलन का प्रारम्भिक प्रक्रम तीन वर्षों की अवधि तक अर्थात दिसम्बर १६५६ से दिसम्बर १६६२ तक रहेगा । इस प्रकार जो अनुभव प्राप्त होगा, उसका उपयोग प्रक्रिया और प्रशासन संबंधी ज्ञान प्राप्ति के लिये किया जायगा जो कि देशव्यापी जन आन्दोलन को सफलतापूर्वक चलाने के लिये आवश्यक है । इस समय का उपयोग राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने तथा देश व्यापी जन आन्दोलन की सफलता के लिये अपेक्षित कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये किया जायेगा ।

जन आन्दोलन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(१) लोगों को इस समस्या की गम्भीरता, संक्रमण के स्रोत, रोग फैलने का तरीका व रोकने के उपायों के बारे में शिक्षा देना ।

(२) क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर, सविराम चिकित्सा का सब से सस्ते व प्रभावशाली तरीके की खोज करना ।

(३) ग्रामीणों को स्वयं दवा डालने का सब से सरल व सस्ते तरीके के प्रशिक्षण का पता लगाना ।

(४) इस बात का पता लगाना कि, क्या उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने और इसे जारी रखने के लिये, वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों से पर्याप्त व अनुपूरक सहायता ली जा सकती है यदि हां तो कितनी सहायता ली जा सकती है ।

(५) लोगों में रियायती मूल्य वाली दवाई खरीदने की आदत डलवाना ।

(६) रोग-चिकित्सा तथा आपरेशन संबंधी अनुसंधान जारी रखना, ट्रेकोमा वायरस तथा आंखों को बाहर की ओर से हानि पहुंचाने वाले अन्य वायरसों का कल्चर (निर्माण) करने के लिये केन्द्र की स्थापना ।

(७) लोक स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जन आन्दोलन में नियुक्त करने के लिये प्रशिक्षण देना ।

(८) राष्ट्र-व्यापी, जन-नियंत्रण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भरवासुमेरपुर से हरपालपुर तक रेलवे लाइन

३२४. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुन्देलखंड डिवीजन में भरवासुमेरपुर से हरपालपुर तक बनायी जाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में, जिसका सर्वेक्षण बहुत पहले किया जा चुका है, नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिये कोई प्राथमिकता रखी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । हां, १९२६–२७ में सुमेरपुर और हरपालपुर के बीच (६८ मील) रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में यातायात सर्वे किया गया था जो १०० मील लम्बी सुमेरपुर छतरपुर प्रस्तावित लाइन का एक हिस्सा है । इस लाइन को बनाना उचित नहीं समझा गया ।

(ख) जी हां । दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन नयी लाइनों के बनाने का सुझाव भेजा है, उसमें सुमेरपुर से छतरपुर तक एक लाइन बनाने की भी सिफारिश की गयी है और अग्रता के क्रम में इस लाइन को तेरहवां स्थान दिया गया है ।

उड़ीसा में नहर-परिवहन

†३२५. **श्री पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परदीप बन्दरगाह तक लोहे अयस्क पहुंचाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में नहर परिवहन का सुधार करने के लिये १२ लाख रुपये दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या सुधार हुए हैं ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में झूम और वन उत्पाद[1]

†३२६. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि त्रिपुरा का १५०० मील का क्षेत्र जो चिटगांव पहाड़ी सीमांत से मिला हुआ है, उसका समस्त झूम और बनउत्पाद परिवहन व संचारों की उपयुक्त सुविधा न होने के कारण पाकिस्तान के मार्ग से बाहर भेजा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दोर्णाकल में नया अस्पताल

†३२७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के दोर्णाकल जंकशन में बनने वाले नये अस्पताल के नक्शे तथा प्राक्कलनों का अंतिम रूप से निश्चिय हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Forest Products.

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ;

(ग) निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ; और

(घ) अस्पताल में कितने पलंग होंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) दोर्णाकल जंकशन में एक चिकित्सालय है, इस समय वहां कोई अन्य अस्पताल और चिकित्सालय खोलने का कोई इरादा नहीं है ।

(ख) से (घ). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि-ऋण

†३२८. **श्री दशरथ देब :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्होंने १६५६ में अभी तक कृषि-ऋण के लिए प्रार्थनापत्र दिए हैं ;

(ख) उसी अवधि में कितने व्यक्तियों को कृषि-ऋण की मंजूरी दी गई है ;

(ग) मंजूर किए गए ऋण की उच्चतम और निम्नतम राशि क्या है ;

(घ) क्या मधुबन, सदर और त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों ने ऐसे ऋण के लिए प्रार्थनापत्र दिए थे ;

(ङ) यदि हा, तो उनमें से कितनों को ऐसा ऋण मंजूर किया गया ;

(च) क्या किन्हीं विस्थापित व्यक्तियों ने, जिन्हें ऋण मंजूर किया गया था, उसके लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) २०८६६ ।

(ख) १०३५ ।

(ग) मंजूर किए गए ऋण की अधिकतम राशि २५० रुपए और न्यूनतम ८ रुपए है ।

(घ) त्रिपुरा के सदर सब-डिवीजन की मधुबन कोलोनी के विस्थापित व्यक्तियों ने ऋण के लिए प्रार्थनापत्र दिए थे ।

(ङ) २२ ।

(च) जी, हां ।

(छ) चूंकि वह ऋण मधुबन कोलोनी के १०६ विस्थापित व्यक्तियों को सामूहिक रूप से मंजूर किया था इसलिए उन्होंने उसे लेने से इन्कार कर दिया ।

कुतुबरोड, दिल्ली में फलों के लिये नई रेलवे साइडिंग

†३२९. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुतुबरोड पर स्थित फलों को चढ़ाने व उतारने की नई रेलवे साइडिंग स्थास्थ्य के लिए बहुत हानिकर है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) फल चढ़ाने व उतारने की रेलवे साइडिंग को कूड़ा रखने के स्थानों से अलग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). कुतुब रोड पर फल चढ़ाने व उतारने की रेलवे साईडिंग कूड़ा लादने वाले प्लेटफार्म से लगभग १ फर्लांग की दूरी पर स्थित है। इसलिए इन प्लेटफार्मों के कारण किसी प्रकार की बीमारी फैलने की संभावना नहीं है। क्योंकि प्रायः सभी फल डलियों अथवा पेटियों में बन्द रहते हैं। फिर भी उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिनटेन्डेन्ट दिल्ली नगर निगम के परामर्श से कूड़े के ट्रकों के लिए सीधे कुतुब रोड की ओर से प्रवेश के लिए व्यवस्था कर रहे हैं।

बहुदा नदी परियोजना

†३३०. श्री संगणा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १५ अप्रैल, १९५९ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुदा नदी परियोजना संबंधी प्राक्कलनों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). बहुदा नदी परियोजना के अनुसंधान के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा एक प्राक्कलन तैयार किया गया था और व्यय करने की सहमति के लिए उड़ीसा सरकार को भेज दिया गया था। अब उड़ीसा सरकार ने हमें सूचित किया है कि ये अनुसंधान उन्हीं के इंजीनियरों द्वारा किए जायेंगे।

खाद्यपदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत

†३३१. श्री वें० प० नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत का कैलौरी में नवीनतम प्राक्कलन क्या है ; और

(ख) उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है अर्थात् (१) खाद्यान्न (२) प्रोटीन (३) चर्बी तथा चर्बीयुक्त एसिड और (४) विटामिन की मात्रा अलग अलग कितनी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). खाद्य पदार्थों की कैलौरी में खपत के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक विवरण संलग्न है जिसमें १९५५-५८ में हुए सर्वेक्षणों के अनुसार खाद्य पदार्थों की खपत दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]

स्पीती और लाहौल जाने वाले पर्यटक

†३३२. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में अभी तक कितने विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों ने स्पीती और लाहौल (हिमाचल प्रदेश) का भ्रमण किया ; और

(ख) १९५८ की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३१ अक्तूबर, १९५९ तक स्पीती और लाहौल का भ्रमण करने वाले विदेशी और भारतीय पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :

विदेशी	भारतीय
३४	२१६

(ख) इन आंकड़ों से मालूम होता है वर्ष १९५८ की अपेक्षा उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष १९५८ की संख्या निम्न प्रकार थी :

विदेशी	भारतीय
१३	१४२

स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

†३३३ श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कीरतपुर साहिब और नांगल बांध स्टेशनों पर १९५९–६० में किस प्रकार की यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है ; और

(ख) उन पर कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १९५९–६० में कीरतपुर साहिब स्टेशन पर कोई भी यात्री सुविधाकार्य कराने का प्रस्ताव नहीं है। परन्तु नांगल बांध स्टेशन के प्लेटफार्म पर ५५,००० रुपए की लागत से छत बनाने का प्रस्ताव है। जैसे ही लागत अंश के संबंध में पंजाब सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी वह कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

पासच्योर इन्स्टीट्यूट, कुन्नूर

†३३५. { श्री वासुदेवन नायर :
श्री ई० प० नायर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या ट्रापिकल इयोसिनोफीलिया के संबंध में पासच्योर इन्स्टीट्यूट, कुन्नूर अथवा भारत की किसी अन्य गवेषणा संस्था में गवेषणा की जा रही है ; और

(ख) उसकी भारत में वृद्धि होने के संकेत क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) यह कहना कठिन है कि इस रोग की वास्तव में वृद्धि हो रही है। जो वृद्धि मालूम होती है उसका कारण किसी हद तक डाक्टरों द्वारा उसकी दशा की जानकारी और विश्लेषण को अच्छी सुविधायें हो सकता है।

राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद्

†३३६. श्री हेमराज : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद् की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उनके द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिशों की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उनमें से कौन सी स्वीकार की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

नौवहन सेवा

†३३७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५८ और ३१ मार्च, १९५९ के दोनों वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने कितने टन के वजन के मशीनरी संयंत्र केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा उनके नियन्त्रण में चल रहे विभिन्न निकायों द्वारा अलग अलग आयात किये गये ;

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा में इन चीजों को भारतीय अथवा विदेशी जहाजों द्वारा ढोया गया ; और

(ग) इन दो वर्षों में भारतीय और विदेशी जहाजों को अलग अलग भाड़े की कितनी कितनी राशि दी गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

काठगोदाम के पास रेल दुर्घटना

†३३८. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ अक्तूबर, १९५९ को काठगोदाम और हलद्वानी के बीच कोई रेल दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो घटना का विस्तृत व्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में जांच के परिणाम क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). २–१०–१९५९ को २.३० बजे डाउन ब्लास्ट ट्रेन नं० २ पूर्वोत्तर रेलवे के काठगोदाम-भोजीपुरा सेक्शन पर हलद्वानी स्टेशन पर कैच साइडिंग में घुस कर 'डेड एंड' से टकरा गयी। परिणामस्वरूप, इंजिन और तीन डिब्बे उलट गये और एक डिब्बा पटरी से उतर गया। रेस्ट वान (विश्राम के डिब्बे) में जा रहे एक ड्राइवर (चालक) की तुरन्त मृत्यु हो गयी। तीन व्यक्ति इंजिन के और ४ व्यक्ति बाहर के जो कि स्टेशन के पास बनी अनधिकृत झोपड़ियों में रह रहे थे घायल हो गये।

रेलवे को इससे १७ हजार रुपये की हानि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ी का रोका जाना

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री वाजपेयी से २००० विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ी रोकने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। यह समाचार आज के समाचारपत्रों के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। यह गड़बड़ किस कारण हुई थी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** कल नई-दिल्ली—अमृतसर सवारी गाड़ी नई दिल्ली से लगभग ११ मिनट देर से चली और शहादरा २० मिनट देर से पहुंची। वहां पर विद्यार्थियों की भीड़ थी। उन्होंने गाड़ी को चलने नहीं दिया। पहले, हमने सोचा कि वे शायद गाड़ियों के देर से चलने के बारे में विरोध प्रकट कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि एक और गाड़ी चलाई जाये। दिल्ली तथा गाजियाबाद के बीच गाड़ी चलाने की क्षमता बहुत सीमित है। वहां पर बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग तथा सिग्नैलिंग का काम हो रहा है। सच तो यह है कि हम इस लाइन पर जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको ही चलाना कठिन हो रहा है। और संभव है कि कभी हमें एक अथवा दो गाड़ी बन्द भी करनी पड़ें। इसलिए अतिरिक्त नई गाड़ी चलाने के प्रश्न पर पूरी तरह जांच कर ली गई है और इस समय नई गाड़ी चलाना एकदम असंभव है। जब निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा तब हम कुछ अधिक गाड़ियां चला सकेंगे।

उनकी यही मांग थी। उन्होंने गाड़ी को लगभग ५-६ घंटे तक रोके रखा। जिलाधीश ने वहां जा कर उनसे बात की और उन्होंने १२.१० बजे गाड़ी को चलने दिया।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सवाल यह नहीं है कि विद्यार्थियों ने जो कुछ किया वह अच्छा किया और उनका समर्थन किया जाय। सवाल यह है कि यदि रेलवेज़ कोई नई रेलगाड़ी नहीं चला सकती तो दिल्ली से जो हजारों विद्यार्थी उत्तर प्रदेश और पंजाब को जाते हैं क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक यातायात का साधन सरकार तय नहीं कर सकती? क्या सरकार मोटर बसों की व्यवस्था नहीं कर सकती? पिछले महीने सोनीपत जाने वाले विद्यार्थियों ने.......

†**अध्यक्ष महोदय :** स्थगन प्रस्ताव को अपनी अनुमति देने से पूर्व मैं माननीय सदस्य को भाषण देने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। मैंने एक सीमित प्रश्न पर उन्हें बोलने की अनुमति दी थी। प्रत्यक्ष है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या विद्यार्थियों के लिए यातायात के अन्य किसी साधन की व्यवस्था नहीं हो सकती है?

†**श्री शाहनवाज खां :** दूसरा रास्ता यही है कि विद्यार्थी बसों से यात्रा करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : जो कुछ संभव है सब कुछ किया जा रहा है। विद्यार्थी देश के भावी प्रशासक हैं और उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये और अपना समय बरबाद करने के साथ साथ अन्य यात्रियों का समय बरबाद नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों का इस प्रकार का व्यवहार बहुत अनुचित है ; हमें विद्यार्थियों को ऐसे काम करने का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत तथा चीन की सरकारों के बीच आये गये और पत्र

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या २ के निकलने के बाद, जो १६ नवम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, भारत के प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच जिन पत्रों का आदान प्रदान हुआ उन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१६८५/५९]

निचली दामोदर घाटी में बाढ़ के बारे में वक्तव्य

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : मैं निचली दामोदर घाटी में हाल की बाढ़ के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—१६८६/५९]

आपकी अनुमति से, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जो वक्तव्य मैंने अभी सभा पटल पर रखा है उसमें दामोदर घाटी निगम द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर सरकार के विचार बताये गये हैं। मैंने कल कहा था कि अब तक जो तथ्य हमें मिले हैं उनके आधार पर मैं जांच कराने की मांग स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैंने सुझाव दिया था कि पश्चिमी बंगाल के सदस्य कृपया मेरे कमरे में मुझ से मिलें और जो कुछ सामग्री उनके पास हो उससे मुझे अवगत करायें जिससे मैं इस मामले में निर्णय ले सकूं। इस मामले के सम्बन्ध में मैं अब भी विचार करने को तत्पर हूं और यदि सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर जांच समिति बनाना आवश्यक समझूंगा तो अवश्य बनाऊंगा।

दिल्ली (भवन निर्माण कार्य पर नियन्त्रण) विनियमों में संशोधन

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं दिल्ली (भवन निर्माण कार्य पर नियंत्रण) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली (भवन निर्माण कार्य पर नियंत्रण) विनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ११ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४९३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१६८७/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ १२(१४२)/५५—परिवहन की, जो दिल्ली गजट में प्रकाशित हुई थी, एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—१५९८/५९]

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के लेखा परीक्षित लेखे

†**श्री राज बहादुर** : मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) प्राधिकार के वर्ष १९५५–५६ का लेखा-जोखा।

(२) प्राधिकार के वर्ष १९५५–५६ के हानि-लाभ का लेखा।

(३) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के महाप्रबन्धक द्वारा वर्ष १९५५–५६ के लिए वित्तीय समीक्षा।

(४) प्राधिकार के वर्ष १९५५–५६ के वार्षिक लेखे के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

(५) प्राधिकार वर्ष १९५५–५६ का चालू लेखा।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम के अधीन नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५८ की धारा २४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २५ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४४ में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, १९५९।

(२) दिनांक १५ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या ९३५ में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, १९५९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—१५७९/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं** अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा ६ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) आयात खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री का निषेध) आदेश, १९५९ में कुछ और आगे संशोधन करने वाली दिनांक १२ सितम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १०५२।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

(२) चीनी (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ अक्तूबर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ११११ ।

(३) पश्चिमी बंगाल गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ अक्तूबर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ११५३ ।

(४) दिल्ली गेहूं और उत्पाद (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अक्तूबर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२०३ ।

(५) दिनांक ४ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३४ और १२३५ ।

(६) चीनी (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५९ में संशोधन करने वाली दिनांक ६ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३७ ।

(७) दिनांक ६ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३८ ।

(८) मद्रास धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक ९ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१६८९/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन आदेश

†**श्री अ० म० थामस :** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा ६ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) कृष्णा जिला (आन्ध्र प्रदेश में) मिलों, व्यापारियों और बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १३४ आदेशों का विवरण ।

(२) जिला गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में मिलों, व्यापारियों और बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १७३ आदेशों का विवरण ।

(३) जिला पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में मिलों, व्यापारियों, बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १७६ आदेशों का विवरण ।

(४) जिला गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में मिलों, व्यापारियों, बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १४६ आदेशों का विवरण ।

(५) रेलवे माल गोदामों से चावल और धान के लाने ले जाने पर निषेध और प्रतिबन्ध लगाने के बारे में रेलवे प्राधिकारियों को जारी किये गये दो आदेशों का विवरण ।

(६) जिला कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ मिलों, व्यापारियों को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये तीन आदेशों का विवरण ।

(७) पूर्वी जिला गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ मिलों, व्यापारियों को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये दो आदेशों का विवरण ।

(८) जिला पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ मिलों, व्यापारियों को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये नौ आदेशों का विवरण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) जिला गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में मिलों, व्यापारियों को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये १८३ आदेशों का विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१६६०/५६]

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, २३ नवम्बर, १६५६ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज की कार्य सूची से बचे सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

(२) विधि व्यवसायी विधेयक, १६५६ तथा केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १६५६ पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना ।

(३) मंगलवार, २४ नवम्बर, १६५६ को ३ बजे श्री च० का० भट्टाचार्य तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के वर्ष १६५७ तथा १६५८ के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(४) २५ नवम्बर, १६५६ को प्रश्नों के पश्चात् प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में श्वेत-पत्र संख्या २, जो १६ नवम्बर, १६५६ को सभा पटल पर रखा गया था और उसके बाद भारत तथा चीन की सरकारों के बीच हुए पत्र-व्यवहार पर चर्चा ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : माननीय संसद्-कार्य मंत्री का ध्यान मैं इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समिति में यह निर्णय किया गया था कि अभी घोषित कार्य-सूची के पैरा (३) में दी गई प्रत्येक मद के लिए २ घंटे दिये जायेंगे । समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के १६५७ तथा १६५८ के दो वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार के लिए दो सदस्यों ने सूचनायें दी हैं । मेरा विचार था कि दोनों प्रस्तावों के लिए दो-दो घंटे निश्चित किये गये हैं । परन्तु अब इससे पता लगता है कि दोनों प्रस्तावों के लिए दो ही घंटे निश्चित हैं, जो कि बहुत कम हैं । मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक के लिए दो-दो घंटे दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मद पर बाद में विचार होगा । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य कार्यवाही के बीच में इस प्रकार क्यों बाधा उत्पन्न करते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर की शुद्धि

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : श्रीमान्, ४-८-१६५६ को श्री अ० मु० तारिक ने तारांकित प्रश्न संख्या ७६ पूछा था; इसका भाग (ग) इस प्रकार था :

"यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बुरारी (दिल्ली) गांव के कृषकों ने इस पानी से अपनी भूमि की सिचाई की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली नगरपालिका निगम से आवेदन किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

इस का उत्तर मैंने यह दिया था;

"सम्बन्धित प्राधिकार, अर्थात् दिल्ली नगरपालिका निगम से ज्ञात हुआ है कि उनसे ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।"

यह उत्तर दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दिया गया था। उन्होंने बाद में बताया है कि बुरारी गांव के एक व्यक्ति, श्री देवीचन्द का आवेदन पत्र निगम को जून १९५८ में प्राप्त हुआ था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि गन्दे पानी को उनकी भूमि की सिंचाई के लिए दे दिया जाए और उस पर विचार हो रहा है । जिस क्षेत्र में से पानी की नाली निकालनी होगी उसका अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि उसमें अभी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले दिया गया उत्तर भी ठीक ही था क्योंकि यह तथ्य है कि बुरारी (दिल्ली) गांव के किसानों से भूमि की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने का कोई आवेदन पत्र नहीं मिला था, अपितु आवेदन पत्र केवल एक व्यक्ति से मिला था ।

कार्य मंत्रणा समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १९ नवम्बर, १९५९ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†श्री च० का० भट्टाचार्य : (पश्चिम दिनाजपुर) : क्या मैं दुबारा अपनी बात कह सकता हूं कि समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के १९५७ तथा १९५८ के वार्षिक प्रतिवेदनों को दो-दो घंटे दिये जायें ?

†अध्यक्ष महोदय : मुझे आधा घंटा बढ़ा सकने का अधिकार है और इस चर्चा के लिये मैं बढ़ा दूंगा; इतना काफ़ी होगा । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १९ नवम्बर, १९५९ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : श्री गो० ब० पन्त की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि केरल राज्य विधान मण्डल की विधान बनाने की शक्तियों को राष्ट्रपति को सौंपने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि केरल राज्य विधान मण्डल की विधान बनाने की शक्तियों को राष्ट्रपति को सौंपने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री दातार :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

———

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री दातार द्वारा १९ नवम्बर, १९५९ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण जारी रखें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) **:** इसकी चर्चा के लिये समय बहुत कम रखा गया है। तीन लाख जनता के भाग्य का निबटारा करने वाले, इतने एक महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। मैं न तो तेलगू हूं और न मद्रासी। मैं तो आपके सामने राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही रख रहा हूं। तीन लाख जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाने का निर्णय करने से पहले संसद् को उसके औचित्य से पूरी तरह सहमत हो लेना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** समय-निर्धारण तो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर ही किया जाता है। मैं माननीय सदस्य को कुछ अधिक समय दे सकता हूं, लेकिन उन्हें भी यह ध्यान रखना चाहिये कि विधेयक के लिये जो समय दिया गया है उसे तो मानना ही पड़ेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा समिति फिर से विचार कर सकती है। मैं चाहता हूं कि अन्य सदस्यों को बोलने के लिये पूरा समय दिया जाये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) **:** क्या मुझे भी मनमाना समय दिया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पंडित भार्गव को मनमाना समय नहीं दिया जा रहा है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं गांव संख्या १२९ और १५० की बात कर रहा था। मैं बता रहा था कि श्री पाटस्कर ने मद्रास सरकार के मानचित्र के आधार पर इन दोनों गांवों को संस्पर्शी मान कर गलती की है। मैं ने सभापति महोदय से दोनों मानचित्रों पर गौर करने के लिये कहा था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं तो इसके पक्ष या विपक्ष में मतदान भी नहीं कर सकता। माननीय सदस्य को सभा को सहमत करने का प्रयास करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री खाडिकलकर** (अहमदनगर) : माननीय सदस्य ने कहा है कि पंचाट ग़लत था। वह पंचाट नहीं, बल्कि दो पक्षों के बीच हुआ एक समझौता था।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** माननीय सदस्य यही तो गलती करते हैं। वह दो मंत्रियों के बीच सिद्धान्तों क बारे में एक समझौता है।

†**श्री पलनियाण्डी** (पेरम्बलूर) : उस पर विधान-मण्डल में चर्चा भी हुई थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इसी समय पंडित भार्गव की बातों का उत्तर नहीं देंगे। पहले हमें उनकी बात सुननी है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** इस मामले में कोई भी मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था। यदि वह मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट होता, तो मैं उसका इस तरह जिक्र न करता। मेरा अनुरोध है कि आप इन मानचित्रों को स्वयं देखें।

मद्रास सरकार के मानचित्र में गांव संख्या १२९ और १५० को परस्पर संस्पर्शी दिखाया गया है। और, इसी को श्री पाटस्कर ने आधार बनाया था। लेकिन संक्षिप्त नक्शे में भी उन दोनों को संस्पर्शी नहीं बताया गया है। उन दोनों के बीच गांव संख्या १३२ आ जाता है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : यह सही है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आशा है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे। इन दोनों गांवों को संस्पर्शी बता कर ४-५ गांवों को मद्रास को दे दिया गया है। इसे रोका जाना चाहिए।

इसी तरह गांव संख्या २०१ भी मद्रास को दे दिया गया है। गांव संख्या १९६ और २०० में कोई भी आबादी नहीं है, पर हैं वे आन्ध्र तिरुत्तानी तालुक के गांव ही, मद्रास के नहीं।

वहां चूंकि कोई भी आबादी नहीं है, इसलिए उसकी कोई भाषा भी नहीं है।

†**श्री त्यागी :** गांवों के नामों से उनकी भाषा का पता चल सकता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** उनके नाम तो आन्ध्र की भाषा के ही हैं। गांव २०१, १९५ और १७६ इन दोनों गांवों के साथ संस्पर्शी हैं। संक्षिप्त नक्शे और इस मानचित्र के अनुसार भी, ये गांव मद्रास के साथ संस्पर्शी नहीं हैं।

इस मानचित्र को, अध्यक्ष के आदेश के बावजूद, सभा में पेश नहीं किया गया है। यहां मेरे पास उसकी एक प्रति मौजूद है। गृह-कार्य मंत्री ने तो एक बार यहां तक कहा था कि ऐसा कोई मानचित्र तैयार ही नहीं किया गया था। लेकिन बाद में, उन्हें मानना पड़ा था कि यह मानचित्र तैयार किया गया था। कोई भी व्यक्ति इन ४७ गांवों में स्वयं जाकर देख सकता है कि ये आन्ध्र बहुमत वाले गांव हैं और चित्तूर ज़िले के पुत्तूर ताल्लुक़ में ये सभी गांव परस्पर संस्पर्शी हैं। कोई भी वहां जाकर देख सकता है कि पुत्तूर ताल्लुक़ का गांव संख्या १३५ इन गांवों से सटा हुआ है। और, मद्रास सरकार द्वारा तैयार कराया गया मानचित्र एकदम ग़लत है। उसे जान बूझ कर ग़लत बनाया गया है।

दुनिया के इतिहास में हमें शायद ही कोई दूसरी ऐसी मिसाल मिले कि ४७ गांवों की स्थिति ग़लत ढंग से दिखाकर किसी दूसरे राज्य में उनको हस्तांतरित कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस मानचित्र का सत्यापन करा लें। मुझे श्री पाटस्कर की ईमानदारी पर जरा भी शक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने पक्षपात किया है। लेकिन यदि कोई गलती करता है, तो उसे बताना ही पड़ेगा।

निर्धारित किये गये चार सिद्धान्तों में से एक यह था कि सीमा रेखाओं को संस्पर्शी होना चाहिये। लेकिन एक स्थान पर पुत्तूर का गांव संख्या १३५ बीच में आ जाता है। एक ग़लत मानचित्र के आधार पर इस तरह ४७ गांवों को एक-दूसरे राज्य को नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकार का एक उदाहरण मैंने गांव संख्या १३४—गोपालपुरम्—का दिया था। वह भी मद्रास को दे दिया गया है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : गांव का नाम ही तामिल भाषा का है, जिससे प्रकट है कि वह मद्रास का है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : नाम से कुछ भी पता नहीं चल सकता। पहले कभी वह मद्रास के संयुक्त राज्य मे था और तभी उसका यह नाम पड़ गया होगा। असल चीज़ तो यह देखनी है कि वहां की जनता का बहुमत किस भाषा का प्रयोग करता है। सभा से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ग़लत मानचित्र के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के ४७ गांव मद्रास को दे देने की ग़लती को ठीक कर लिया जाये।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने केवल एक संक्षिप्त नक्शा ही सभा में पेश किया है। मैंने इससे पहले कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। जनगणना मानचित्र मद्रास सरकार का ही है और उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उसमें ग़लतियां हैं।

हमने मांग की थी कि १९५७-५८ में तैयार कराया गया मानचित्र सभा में पेश किया जाये, लेकिन माननीय मंत्री ने उसे पेश ही नहीं किया है। पर माननीय मंत्री ने भी जो नक्शा पेश किया है, उससे भी स्पष्ट है कि संस्पर्शिता के आधार पर कम से कम १२५ गांव आन्ध्र में ही रहने चाहिए। मैं दोनों मानचित्रों की तुलना करने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्पर्शिता को ग़लत ढंग से दिखाया गया है। मैंने इसके जो ग्यारह उदाहरण पेश किये हैं, माननीय मंत्री उन सभी से सहमत हैं। केवल एक गांव संख्या २०७ के बारे में मेरे कथन से वह सहमत नहीं हैं। उन्होंने यह नहीं माना कि गांव संख्या २०७ भी संस्पर्शी है। पर सर्वेक्षण-मानचित्र में २०७ और २०४ को संस्पर्शी दिखाया गया है।

ऐसे सभी मामलों में हमें तथ्य को देखना चाहिए। ऐसे मामलों में ऐसा कोई मध्यस्थ नियुक्त करने का लाभ ही क्या जो गांवों में स्वयं जाकर उनकी स्थिति नहीं देखता? माननीय मंत्री श्री दातार हम सभी के सम्मान के पात्र हैं। यह सही है, लेकिन कल उन्होंने कुछ ग़लत बातें कही थीं। उन्होंने यह ग़लत कहा था कि मैंने जिन चीज़ों का उल्लेख किया है, उन पर वहां की विधान सभा और परिषद् ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी।

माननीय मंत्री को आन्ध्र विधान मण्डल के इन दोनों वाद-विवादों का अध्ययन करना चाहिए। कम से कम दो सदस्यों ने इस प्रतिवेदन पर बड़ा सख्त ऐतराज किया था। वहां के मुख्य मंत्री ने भी जो भाषण दिया था, उसमें एक सफाई सी दी गई थी। श्री संजीव रेड्डी ने स्वयं ही स्वीकार किया था कि ये मानचित्र ग़लत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मुख्य मंत्री ने मानचित्रों को गलत मानते हुए भी, इस प्रतिवेदन के लिए वहां जो सफाई पेश की थी उसका कारण एक ही है। और, वह है कांग्रेस दल का अनुशासन। उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध दल का अनुशासन मानकर चलना पड़ा था। विधान सभा में पाटस्कर के इस प्रतिवेदन की आलोचना करने वाले सदस्य अधिक थे, इससे सहमत होने वाले कम। केवल दो सदस्य ही इससे सहमत थे--श्री मीर काजिम अली खां और श्री संजीव रेड्डी। मैं आपको उन सदस्यों के नाम भी पढ़ कर सुना सकता हूं जिन्होंने इस विधेयक का और भी जोरदार तरीके से विरोध किया था। लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ा दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिए अधिक समय देने का प्रश्न सभा के सामने रख दूंगा।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा द्वारा २१ अगस्त, १९५९ को आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ पर विचार तथा उसे पारित करने के लिये नियत किया गया समय (**देखिये** कार्य-मंत्रणा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन) पांच घंटे से बढ़ाकर छैः घंटे कर दिया जाये।"

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह बहुत कम है। मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि समय बढ़ा कर २० घंट कर दिया जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर)**: मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि समय १० घंटे कर दिया जाये।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में,—

"छैः घंटे" के स्थान पर "सात घन्टे" रख दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दी० चं० शर्मा का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में,—

"छैः घंटे के स्थान पर "सात घन्टे" रख दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री सत्यनारायण सिंह के प्रस्ताव को संशोधित रूप में रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि इस सभा द्वारा २१ अगस्त, १९५९ को आन्ध्र और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ पर विचार तथा उसे पारित करने के लिये नियत किया गया समय (**देखिये** कार्य-मंत्रणा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन) पांच घंटे से बढ़ाकर सात घन्टे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा अनुरोध है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने भाषण को यथासंभव संक्षिप्त बनायें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** परिषद् के भी दो सदस्यों ने इसका विरोध किया था और कुछ संशोधन भी पेश किये थे। परिषद् में केवल छः सदस्यों ने भाषण किये थे, जिनमें से दो ने इसका विरोध किया था।

विधान सभा में दस सदस्य बोले थे, जिनमें से आठ ने प्रतिवेदन की बड़ी कटु आलोचना की थी। मैंने भी इसकी उतनी कटु आलोचना नहीं की है। आठ सदस्यों के विरोध करने पर और विधान मण्डल की सहमति लिये बिना ही, मुख्य मंत्री को इससे सहमत नहीं होना चाहिये था। इसका उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। मानचित्र की भी बड़ी ही कटुआलोचना की गई थी। यहां तक कि मुख्य मंत्री को सफाई देते हुए कहना पड़ा था कि वह प्रतिवेदन को इसीलिये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने श्री पाटस्कर को मध्यस्थ स्वीकार कर लिया था। और सभा ने बिना किसी मतदान या मतविभाजन के ही इस प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया था। असल में, आन्ध्र विधान सभा में इसे एक दलगत प्रश्न बना दिया गया था। माननीय मंत्री को स्वयं ही वह वाद विवाद पढ़ना चाहिये।

श्री पाटस्कर ने मद्रास सरकार द्वारा तैयार कराये गये मानचित्र को ही आधार बनाया था। उन्होंने दूसरे मानचित्रों को देखा तक नहीं। वह मानचित्र श्री अरुणाचलम् ने तैयार किया था। १९५१ की जन-गणना के आंकड़े बिल्कुल ही गलत थे। इतने गलत कि राज्य पुनर्गठन आयोग को भी अपने प्रतिवेदन में इसकी टीका करनी पड़ी थी। श्री अरुणाचलम् की नियुक्ति मद्रास सरकार ने की थी। मद्रास सरकार के कहने पर ही, केन्द्रीय सरकार ने उनसे मानचित्र तैयार करने के लिये कहा था। लेकिन उन्होंने मानचित्र तैयार करने के लिये एक विचित्र तरीका अपनाया। उन्होंने कलैक्टर के दफ्तर में जाकर जनगणना की पर्चियां हासिल कर लीं। उन पर्चियों में उन क्षेत्रों की भाषाओं और सीमाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने गांवों के नाम देखकर ही दूसरी सभी बातों का अनुमान लगा लिया। इतना ही नहीं, बहुत सी पर्चियों में तो मातृभाषा के सम्बन्ध में भी कोई जानकारी नहीं जुटाई गई थी। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि उन्होंने गांव के नाम से और समुदाय के नाम से ही मातृभाषा का अनुमान लगा लिया है।

उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि तिरुत्तानी ताल्लुक़ की सीमायें भी एक मोटे तौर पर दिखा दी गई हैं। सीमा सम्बंधी विवाद में 'एक मोटे तौर पर' सीमायें दिखाने की बात करना बड़ा ही विचित्र है। ऐसे विवादों में तो सीमायें बड़े ही सूक्ष्म रूप से सही-सही दिखाई जानी चाहिये थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

श्री अर्पुथानाथन् ने अपने प्रतिवेदन में स्वयं ही स्वीकार किया है कि मानचित्र ऐसे ही कल्पित आधारों पर, अनुमान से तैयार किया गया है। इसलिये सीमायें निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये इस मानचित्र को उचित आधार नहीं बनाया जा सकता। इसमें कई गांवों की सीमायें तक नहीं दिखाई गई हैं। तब उनकी संस्पर्शिता कैसे सिद्ध की जा सकती है ? याचिका संख्या ३५ में बताया गया है कि इस मानचित्र में ८२ गावों की स्थिति ग़लत दिखाई गई है। इस तथ्य का सत्यापन किया जा सकता है। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि श्री अर्पुथानाथन् द्वारा तैयार किये गये इस मानचित्र में कई गांवों का विस्तार ग़लत दिखाया गया है और वह जनगणना गुटका में दिये गये उनके विस्तार से मेल नहीं खाता।

गांव संख्या १५० इसका एक उदाहरण है। इसलिये इस मानचित्र से गांवों की संस्पर्शिता का ठीक-ठीक पता नहीं चल सकता। इसलिये ऐसे एक मानचित्र को आधार बनाना बिल्कुल ही ग़लत था।

दोनों सरकारों के बीच समझौता यह हुआ था कि सीमा-निर्धारण का कार्य गांव को इकाई मानकर किया जायेगा। लेकिन गांव की परिभाषायें भी तो भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। राजस्व के हिसाब से गांव कहलाने वाली इकाई को माना ही नहीं गया। इसमें तो जनगणना के हिसाब से गांव कहलाने वाली इकाई को ही आधार बनाया गया है।

और, श्री अर्पुथानाथन् ने तो जनगणना के हिसाब से गांव कहलाने वाली इकाइयों में से भी मद्रास की कई इकाइयों को तोड़ कर कई भागों में विभक्त कर दिया है। उन्होंने कुछ झोंपड़ियों को भी जनगणना के अंक दे दिये हैं। जब कि आन्ध्र प्रदेश के गांवों की इकाइयों को इस तरह विभक्त नहीं किया गया है। आन्ध्र के गांव संख्या ६०, ६३, ६९, ७, ४५, ४६ और ८२ इसके उदाहरण हैं। दूसरी ओर मद्रास के गांवों की संख्या २६ ०, ११४, ११६ और ११७ को विभक्त किया गया है। यह सर्वथा अनुचित है।

१९४८ के अधिनियम ३७ की धारा १५ और १९३९ के अधिनियम २४ की धारा १३ के अनुसार, ऐसे मानचित्र अवैध होते हैं। विधि की व्यवस्था के अनुसार जनगणना पर्चियों को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। ज्यादा अच्छा और आसान तरीका तो यह था इस छोटे से क्षेत्र में फिर से जनगणना करा ली जाती।

और फिर गांवों की संस्पर्शिता का प्रश्न तो एक ऐसा प्रश्न है कि मध्यस्थ को स्वयं वहीं जाकर उन गांवों के राजस्व रिकार्ड देखने चाहिये थे।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस अवस्था पर भी कम से कम दो स्थानों का निरीक्षण तो कराना ही चाहिये—पुत्तूर ताल्लुक़ के गांव संख्या १३४ और १३५ का। असल में यह काम श्री पाटस्कर को करना चाहिये था। इसके बारे में कई आपत्तियां भी उनके सामने उठाई गई थीं, फिर भी उन्होंने इसका कष्ट नहीं किया।

श्री पाटस्कर ने तो मद्रास सरकार के मानचित्र को ही आंख मूंदकर आधार मान लिया और उस मानचित्र की कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूं। लोगों के विरोध करने पर भी, श्री पाटस्कर ने दूसरा मानचित्र तैयार कराने की बात नहीं सोची।

आप अनुमान लगा सकते हैं कि आन्ध्र के इन ३१८ गांवों की जनता को इससे कितना कष्ट हो जायेगा। इन तेलगू-भाषी बहुमत वाले गांवों की जनता को भी मद्रास राज्य के शासन में रहना पड़ेगा। यह तो सरासर अन्याय है।

दूसरे राज्य को हस्तांतरित किये जाने पर, इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम बदल जायेंगे, किसानों के लिये भू-धारणावधि बदल जायेगी, आय-कर विधि और प्रति व्यक्ति आय तक बदल जायेगी। उनके जीवन का पूरा ढांचा ही बदल जायेगा।

१९५१ की जनगणना में तिरुतानी ताल्लुक में तामिल-भाषियों की जनसंख्या १,२१,८५९ थी, लेकिन श्री अर्युथानाथन् ने उसे १,४०,९६१ बना दिया। और तेलगू-भाषियों की संख्या १,०२,५८५ से घटाकर १५,००० कर दी गई है—और इस प्रकार वहां तामिल-भाषियों का बहुमत दिखा दिया गया है। मैं पूछता हूं कि १९५१ की जनगणना को आधार ही क्यों माना गया? फिर से नयी जनगणना क्यों नहीं कराई गई? दो मुख्य मंत्री कुछ ऐसे सिद्धान्तों को मानने के बारे में कोई समझौता कैसे कर सकते हैं। जिनकी भर्त्सना राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में भी की गई थी।

याचिका संख्या ३५ में बड़े ब्यौरेवार ढंग से सिद्ध किया गया है कि १९५१ की जनगणना के आंकड़े बिल्कुल ग़लत हैं।

१९४१ की जनगणना के आंकड़े अब सुलभ नहीं हैं।

१९३१ और १९५१ की जनगणनाओं में भी बड़ी अंधेरगर्दी है। १२ गांवों में; तामिल-भाषियों की जन संख्या तो १०.५ प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन तेलगू-भाषियों की जनसंख्या उसी काल में ६ प्रतिशत घटी है। है न विचित्र सी बात? इसलिये यह आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं हैं।

अब प्रश्न यह है कि इस समस्या का हल किन सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिये? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है कि ज़िलों और ताल्लुकों तक को तो विभक्त किया जा सकता है, पर गांवों की इकाइयों को नहीं तोड़ना चाहिये। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि किसी क्षेत्र की ७० प्रतिशत जनसंख्या एक ही भाषा-भाषी हो, तो उस क्षेत्र को एक भाषीय क्षेत्र ही माना जाना चाहिये।

आयोग ने यह भी कहा है कि विभाजन के लिये गांवों को ही मुख्य इकाइयां नहीं माना जाना चाहिये।

हमारे प्रधान मंत्री ने, और आयोग ने भी, कहा है कि भाषा को ही विभाजन का मानदण्ड नहीं बनाया जाना चाहिये। दर आयोग ने भी कहा था कि भाषायी राज्यों के निर्माण का कोई भी आधार नहीं है। सभी जानते हैं कि भाषावार राज्यों के गठन से बम्बई और गुजरात में कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि ऐसा कोई भी परिवर्तन करने से पहले यह विचार लेना चाहिये कि उससे हर रूप में जनता का कल्याण पहले से अधिक होगा या नहीं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं आज फिर दोहराता हूं कि आन्ध्र के मुख्य मंत्री ने यह समझौता करके ग़लत किया है। उन्हें इस से सहमत नहीं होना चाहिये था।

संविधान के अनुच्छेद १६३ और १६७ में राज्याधिकारियों और राज्य के मंत्रियों की कार्यपालक शक्ति का निरूपण किया गया है उनकी शक्तियां राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों तक ही सीमित हैं। राज्य सरकारें गांवों के हस्तांतरण का समझौता नहीं कर सकतीं। वह तो सिर्फ भारत सरकार ही कर सकती है।

और जहां तक गांवों की संस्पर्शिता का सम्बन्ध है, उसके निर्धारण के लिये भी गलत आधार चुना गया था। तेलगू-भाषियों के बहुमत वाले गांव भी मद्रास सरकार को दे दिये गये हैं।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने मद्रास राज्य के सम्बन्ध में विचार किया था और वे इसी निस्कर्ष पर पहुंचे थे कि भाषायी बहुमत के आधार पर वहां किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। देवीकुलम् और पीरमेडु के बारे में, उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कहा था। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह भिन्न-भिन्न स्थानों की समस्याओं का हल करने के लिये भिन्न-भिन्न सिद्धान्त अपनाना चाहते हैं?

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कई बार कहा है कि वह इसे मानने के लिये बाध्य नहीं हैं और वह राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा नियमित सिद्धान्तों को ही इस समस्या पर लागू करना चाहते हैं। यदि दो मुख्य मंत्री किसी एक व्यक्ति को मध्यस्थ मान लेते हैं, तो यह संसद् तो उस मध्यस्थ की बात मानने के लिये बाध्य नहीं है। और वह भी एक ऐसे निर्णय को जिसे मानने से उन दो में से एक मुख्य मंत्री ने बार-बार इन्कार किया है।

फिर एक सिद्धान्त यह भी था कि यदि किसी एक राज्य में कोई सिंचाई परियोजना है, तो उसका आर्थिक लाभ उसी राज्य को मिलना चाहिये। तब फिर अरानियार परियोजना से लाभान्वित होने वाले २० गांव मद्रास को क्यों दे दिये गये हैं?

आन्ध्र प्रदेश की भूमि में उजाड़ पड़े क्षेत्रों को भी मद्रास को दे दिया गया है।

बड़े दुख की बात है कि विधान मंडल में इतना विरोध होने पर भी, इसे इस तरह से निबटा दिया गया है।

पहले पंचाट के समय आन्ध्र की जनता में बड़ा रोष था। जनता ने अपने मुख्य मंत्री के सामने प्रतिनिधित्व किया था और उसे आश्वासन दिया गया था कि कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जायेगा, आन्ध्र की एक इंच भूमि भी नहीं जाने दी जायेगी। कुछ गांवों के सम्बन्ध में पंचाट के पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया था। श्री पाटस्कर ने केवल उन्हीं गांवों के प्रश्न पर, पंचाट के उतने ही भाग का, पुनरीक्षण किया था। और उन में से तीन गांव—कृष्णागिरी, इत्यादि आन्ध्र में ही रहने दिये गये थे। आन्ध्र के मुख्य मंत्री इससे खुश हो गये थे, लेकिन इसके साथ ही उनके ३१८ गांव भी मद्रास को दे दिये गये थे।

हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार जोर देकर कहा है कि राज्यों के पुनर्गठन में प्रशासकीय सुविधा को काफी महत्व दिया जाना चाहिये।

प्रशासकीय सुविधा के विचार से ही १९११ में चित्तूर को एक अलग ज़िला बना दिया गया था। वहां हर काम वर्षों से तेलगू भाषा में ही होता रहा है। इसलिये वह तेलगू-क्षेत्र ही माना जायेगा। तिरुतानी ताल्लुक़ में भी वहां की ९० प्रतिशत सम्पत्तियां तेलगू लोगों के ही हाथों में है। उनकी इस क्षेत्र में बड़ी गहरी जड़ें हैं। विभाजन समिति और मंत्रियों का भी यही विश्वास था कि ये क्षेत्र तेलगू क्षेत्र हैं, इनके बारे में कोई शंका नहीं है। लेकिन आन्ध्र के विभाजन के बाद इन क्षेत्रों के बारे में भी सीमा-विवाद उठ खड़े हुए। वैसे सीमावर्ती सभी क्षेत्रों में जन संख्या मिली जुली तो होती ही है। उनको स्थानांतरित करने से उन में परस्पर वैमनस्य और अशांति ही बढ़ सकती है।

इन क्षेत्रों की जनता के लिये यह एक जीवन-मरण का प्रश्न है। जनता को अपनी भूमि से अपने क्षेत्र, और उसके वातावरण से, उसकी सभी चीज़ों से प्रेम होता है। इन क्षेत्रों की जनता को भी है। हमें इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिये। इसका प्रभाव ३,३०,००० लोगों पर पड़ेगा। श्री पाटस्कर ने यह महसूस नहीं किया कि इतने सारे लोगों को उनके अपने वातावरण से उखाड़ कर, उनकी जड़ें उखाड़कर, उन्हें दूसरे राज्यों में बसाने के क्या नतीजे निकल सकते हैं। जब कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि राज्यों के पुनर्गठन में जनता की इच्छा को ही सर्वोपरि मानना चाहिये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इसी सिद्धान्त को सबसे आगे रखा है। आन्ध्र प्रदेश की जनता इस निर्णय से बहुत दुःखी है। वह इसका विरोध कर रही है। मद्रास राज्य की जनता भी यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के ही पक्ष में है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि यथापूर्व स्थिति ही बनाये रखी जाये। सैंकड़ों वर्षों से एक स्थान पर रहने वाले लोगों को अन्य स्थानों पर नहीं भेजा जाना चाहिये।

चित्तूर और तिरुतानी की जनता सैंकड़ों वर्षों से तेलगू-भाषी रही है। उनकी संस्कृति, आचार-विचार और प्रथायें सभी तामिल-भाषियों से भिन्न हैं।

इसलिये न्याय का तकाजा यही है कि माननीय मंत्री को अपनी ओर से कम से कम एक प्रतिनिधि भेज कर यह पता लगवाना चाहिये कि इस मानचित्र में जो ब्यौरा जुटाया गया है, वह सही भी है या नहीं। साक्ष्य अधिनियम की धारा ३५ के अनुसार, ये दोनों मानचित्र बिल्कुल ही बेमानी हैं। यह सभा इन सभी बातों की अच्छी तरह से जांच कर सकती है। हमें स्वयं ही संस्पर्शिता के बारे में सत्यापन करना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि इन सिद्धान्तों को उचित रूप से लागू भी किया गया है, या नहीं।

आप से मेरा अनुरोध है कि जनता के हित में आप माननीय मंत्रियों पर प्रभाव डालें और यह अन्याय न होने दें। यह इस सभा का कर्तव्य है कि जनता की इच्छा के विरुद्ध जनसंख्या का अदान-प्रदान न होने दें।

मैं श्री पाटस्कर के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहता। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने एक ही पक्ष की बात सुनी है और उसकी भी स्वयं जांच नहीं की है।

इसलिये मेरा विनम्र अनुरोध है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री को कम से कम मेरा यह प्रस्ताव तो मान ही लेना चाहिये कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर विचार करने का मूल प्रस्ताव तथा उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने और लोकमत जानने के लिए परिचालित करने के अन्य दो प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरसिंहन** (कृष्णगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि पंडित ठाकुर दास जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने में पर्याप्त समय लिया है परन्तु मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता । उन्होंने श्री पाटस्कर के हल में दोष निकालने का प्रयत्न किया है । इस हल को संबंधित दोनों विधान-मण्डलों ने स्वीकार किया था । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन भाषा विवादों से किस प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं । ऐसी परिस्थिति में कम से कम मद्रास के मामले में यह आवश्यक हो गया कि किसी प्रकार के समझौते द्वारा इन कठिनाइयों का अन्त किया जाय ।

पंडित ठाकुर दास ने आन्ध्र विधान-सभा में हुई चर्चा से उद्धरण प्रस्तुत किए परन्तु मद्रास विधान-सभा में हुई चर्चा का कोई उल्लेख नहीं किया । प्रादेशिक दावों के संबंध में इतिहास का समर्थन किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है । उदाहरण के लिए तामिल भाषी तिरुपति का दावा करना चाहते थे । पुराने लोगों के अनुसार तिरुवेंकटगिरी हमारे राज्यक्षेत्र में था परन्तु श्री पाटस्कर के प्रतिवेदन को स्वीकार करके तिरुपति का दावा छोड़ दिया गया । ऐसी परिस्थिति में यदि इस हल में—जो एक समझौते का परिणाम है—छिद्रान्वेषण किया जाएगा तो इस कहानी का कभी भी अन्त नहीं हो सकेगा । इसलिए मैं सभा से श्री पाटस्कर के प्रतिवेदन के निम्न शब्दों पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि यदि आन्ध्र और मद्रास की सरकारें इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लें तो भाषायी विवाद के लम्बे अध्याय का अन्त हो जाएगा और वे राज्य सामाजिक शैक्षिक तथा आर्थिक प्रगति पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे । मैं चाहता हूं कि सभा इस परामर्श को स्वीकार कर ले । इस विवाद को बनाए रखने से कोई लाभ नहीं होगा । इस संबंध में देर करने से दोनों राज्यों की जनता की हानि होगी । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन-चार गांव आन्ध्र में मिला दिए गए हैं । उनको वापस करने का दावा किया जा सकता है । परन्तु मैं इसे ठीक नहीं समझता क्योंकि अब यह विवाद सर्वथा समाप्त किया जाना चाहिए ।

प्रत्येक क्षेत्र में—चाहे वह राजनीति हो अथवा प्रशासन—हम प्रत्यायोजित विधान के अभ्यस्त हैं । इसलिए किसी प्रशासकीय अथवा सामाजिक मामले का निर्णय नेताओं पर छोड़ देने में कोई हानि नहीं है । कोई भी हल ऐसा नहीं हो सकता जो प्रशासकीय, सामाजिक तथा अन्य विचार से सर्वथा ठीक हो । इसलिए मैं सभा से अपील करता हूं कि वह विलम्बकारी प्रस्तावों को स्वीकार न करे । उन्हें स्वीकार करने से नई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। दोनों राज्य के मुख्य मंत्री श्री पाटस्कर के हल को स्वीकार करने को तैयार हैं । यदि अन्य राज्य भी उनका अनुकरण करें तो वह भारत के लिए बड़ी खुशी का दिन होगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पुरानी बातों को न उखाड़ा जाय । हमें इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए । यही नहीं, मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने पर उसे यथाशीघ्र लागू भी किया जाय ।

इस बहस के दौरान कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो श्री पाटस्कर को अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए थी । श्री पाटस्कर ने अत्याधिक परिश्रम करके यह हल निकाला है जिसके लिए वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं । अन्त में मैं फिर यही अपील करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की जाय और उसे यथाशीघ्र लागू भी किया जाय ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नरसिंहन् की अपील का समर्थन करता हूँ । इस सीमा-विवाद को समाप्त कर देना चाहिए । मैंने पंडित ठाकुरदास भार्गव के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है । उन्होंने अपने भाषण में चार बातों पर जोर दिया है—संस्पर्शता, जनसंख्या का बहुमत, गांवों की स्थिति और नक्शे । जहां तक संस्पर्शता और

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों की गलत स्थिति का संबंध है मेरा निवेदन है कि हो सकता है कुछ गांव जो किसी राज्य में रखे गए हैं उसमें नहीं रखे जाने चाहिए थे। परन्तु जब दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर कोई निर्णय किया जा चुका है तो फिर उससे पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

जहां तक नक्शों का संबंध है, मंत्रालय के अनुसार नवीनतम नक्शा १९३५ का है। परन्तु मेरे माननीय मित्र ने जिस नक्शे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है वह १९५१ का है। उस नक्शे के अनुसार यदि कुछ गांवों को इधर से उधर ले जाया जाएगा तो बहुत सी कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी जिनको हम हल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने से सारी योजना के नष्ट हो जाने की संभावना रहेगी। १०० में से ९९ मामलों में संस्पर्शता और जनसंख्या के बहुमत का विचार किया गया है, एक गोपालपुरम् के मामले को छोड़कर।

जब आन्ध्र राज्य का निर्माण किया गया था तो यह समझौता हुआ था कि सीमा संबंधी विवाद बाद में एक आयोग द्वारा सुलझा लिए जायेंगे। यह निर्णय किया गया था कि विवाद-ग्रस्त क्षेत्रों के ग्राम-वार भाषायी आंकड़े तैयार किए जायें। इस जनगणना कार्य की देखभाल के लिए मद्रास सरकार के उप-सचिव श्री अरपुतनाथन् को अधीक्षक और आन्ध्र के एक डिप्टी कलक्टर श्री भीमशंकरन् को उप-अधीक्षक नियुक्त किया गया था। दोनों राज्य सरकारों के बीच हुए एक करार के अनुसार इन अधिकारियों ने कार्य किया।

जहां तक गांवों के सर्वेक्षण का प्रश्न है, ४०० या ५०० गांवों का सर्वेक्षण करना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए उन्होंने कुछ सिद्धान्त निश्चित किए जिसमें से एक यह था कि पहाड़ियों, वनों और नदियों जैसी भौगोलिक विशेषताओं को दोनों राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा समझा जाएगा और सिंचाई संसाधनों और उनके बांधों को एक ही राज्य में रखा जाएगा। पंडित भार्गव ने कहा कि चूंकि अरनियार परियोजना आन्ध्र में गई है इसलिए बांध भी आन्ध्र को मिलना चाहिए। परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि इसके विरुद्ध यह तर्क भी उपस्थित किया जा सकता है कि चूंकि बांध मद्रास राज्य में है इसलिए वह परियोजना भी मद्रास में ही रहनी चाहिए। मेरा विचार है कि पंडित ठाकुर दास आन्ध्र के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं।

जहा तक कृष्णगिरी तालुक के तीन गांवों का संबंध है, उनके संबंध में गृह मंत्रालय ने श्री पास्टस्कर से अनुरोध किया था कि वह अपने पंचाट पर पुनर्विचार करें कि वे आन्ध्र को दे दिए जायें क्योंकि वैसा करने से उसका होसूर से सीधा सम्पर्क हो जाएगा जहां तैलगू भाषी लोग रहते हैं। परन्तु उन्होंने यह कारण स्वीकार नहीं किया। ये गांव जंगलों से घिरे हुए हैं इसलिए भौगोलिक विचार से वे आन्ध्र की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। फिर ये गांव मद्रास को क्यों दिए गए हैं? उनमें अधिकांश आन्ध्र लोग बसे हुए हैं इसलिए उन्हें आन्ध्र में ही मिलाया जाना चाहिए था। परन्तु प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण उन्हें मद्रास में मिलाया गया है। आन्ध्रवासी यह बात नहीं समझ रहे हैं कि इन गावों को लेने से उनपर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ पड़ेगी। जंगल होने के कारण वहां कोई अधिकारी जाना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार कोई लाभ तो होगा नहीं और व्यर्थ की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।

जहां तक तिरुपत्तूर का संबंध है, उस तालुक में दो तालाब हैं। वे आन्ध्र में कहे जाते हैं। बांध (आयाकट) मद्रास राज्य में है। अब ये तालाब मद्रास को हस्तान्तरित कर दिए

गए हैं क्योंकि बांध का लाभ केवल मद्रास ही उठा सकता है। परन्तु अरनियार परियोजना के संबंध में इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया जिसके लिए मद्रास राज्य ने बहुत सा धन व्यय किया था। मद्रास सरकार को यह आशा थी कि इतना व्यय करने के कारण वह परियोजना उसी के क्षेत्र में दे दी जाएगी परन्तु वैसा नहीं हुआ।

इस विधेयक के अनुसार दोनों राज्यों के बीच राज्यक्षेत्र का जो आदान-प्रदान होगा उसके परिणामस्वरूप मद्रास में २,४०,३५७ जनसंख्या और ४०५.१५ वर्ग मील क्षेत्र सम्मिलित होगा। दूसरी ओर मद्रास के १५१ गांव, जिनकी जनसंख्या ९५,५४६ है, आन्ध्र में सम्मिलित होंगे। इन गांवों का क्षेत्रफल ३२६.३९ वर्ग मील है। इस प्रकार मद्रास को $१^१/_२$ लाख अधिक जनसंख्या मिलेगी जिसके कारण उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जो नए लोग आयेंगे उनके लिए समस्त सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। इस क्षेत्र में १९५३ के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। न वहां स्कूल हैं और न सड़कें ही। इसलिए इस विधेयक को शीघ्र पारित किया जाना चाहिए ताकि वहां की जनता को यथाशीघ्र समस्त सुख-सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने राज्य पुनर्गठन आयोग का भी उल्लेख किया। मैं उसके संबंध में विस्तारपूर्वक न कहकर केवल संक्षिप्त निर्देश करना चाहता हूं। जहां तक आन्ध्र-मद्रास सीमा विवादों का संबंध है, आयोग ने यह मत व्यक्त किया है कि वे दोनों सरकारों के बीच वार्ता द्वारा हल हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में उसने कोई सिफारिश करना आवश्यक नहीं समझा। मद्रास और आन्ध्र के बीच बातचीत चल रही थी और वे समझौते के निकट पहुंच चुके थे। इसलिए आयोग ने उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात मान लेने का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रश्न को नए सिरे से शुरू किया जाय जिससे अनेक उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए और इस विधेयक को स्वीकार करके इस विवाद का अन्त कर देना चाहिए।

जहां तक मद्रास की सीमाओं का संबंध है उसकी उत्तरी सीमा तिरुपति है और दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी है। तिरुतन्नि तालुक के उत्तर-पश्चिम में जो ११–१२ गांव है वे तैलगू भाषी है और उनका आन्ध्र को दिया जाना ठीक ही है। परन्तु अब वे चाहते हैं कि उनके दक्षिण में जो गांव है वे भी उन्हें दे दिए जायें। यदि वे गांव भी उन्हें दे दिए जायें तो वास्तव में तिरुतन्नी आन्ध्र में चला जाएगा। मेरा निवेदन है कि यदि भौगोलिक विशेषताओं को राज्य की सीमा माना जाय तो ये गांव, जो आन्ध्र में सम्मिलित किए गए हैं, तामिल क्षेत्र में मिलने चाहिए। मेरा निवेदन है कि पाटस्कर पंचाट में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है उसे यहां लागू किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उसने बड़ी तत्परता से कार्य किया है। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरा निवेदन है कि सभा भी उसे स्वीकृति प्रदान करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह चर्चा सोमवार को जारी रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सि० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन से, जो १९ नवम्बर, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

हैदराबाद अथवा बंगलौर में लोक-सभा का सत्र होने के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री प्रकाश वीर शास्त्री के उस संकल्प पर आगे विचार करेगी जो उहोंने लोक सभा के सत्र के हैदराबाद अथवा बंगलौर में बुलाए जाने के संबंध में ४ सितम्बर, १९५९ को प्रस्तुत किया था। श्री प्रकाशवीर शास्त्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्रीः (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह प्रस्ताव एक ऐसी स्थिति में उपस्थित करने जा रहा हूं जब कि भारत की चारदीवारी पर चारों ओर से हमारे शत्रु आकर हमारी एकता को चुनौती दे रहे हैं : गत अधिवेशन में जिस समय कि मैंने अपना यह प्रस्ताव पेश किया था तो उस समय मैंने थोड़ा सा यह दर्शाने का प्रयत्न किया था कि विभाजन से पूर्व भारतवर्ष की स्थिति आज से भिन्न थी और वह इस तरह कि पहले दिल्ली भारत वर्ष के मध्य में स्थित था लेकिन आज इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि भारतवर्ष का बार बार विभाजन हो जाने से पहले ब्रह्म देश बर्मा को इस देश से प्रथक होना पड़ा और उसके पश्चात कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की आईं कि सन् १९५७ में हमारे दुर्भाग्य से इस देश का विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ। अब उसका परिणाम यह है कि दिल्ली जो पहले भारतवर्ष के मध्य में माना जाता था अब वह भारत के लगभग कटि प्रदेश में स्थित एक नगर है और जब कि उत्तर में हमारा शत्रु आकर हमारी सीमा पर हमारा दरवाजा खटखटा रहा है ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें कि लोकसभा का एक अधिवेशन साल में दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर में अवश्य हुआ करे। इससे हमारी सरकार इस बात की आदी हो जायगी कि अगर कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की हो जायं कि हमें दिल्ली से जो कि एक कटिप्रदेश पर स्थित नगर है, अगर यहां से हमको एक साथ अपने आफिसेज़ सरकारी कार्यवाही और रिकार्डस इत्यादि सुरक्षित रखने के लिए यहां से अन्यत्र ले जाना पड़े तो पहले से हम उस चीज़ के लिए भी उद्यत हो जायं।

एक बहुत बड़ी कठिनाई जो कि शासन को इसे स्वीकार करने के रास्ते में पेश आ रही है और जिसके लिए मुझे अनुमान है कि हमारे माननीय मंत्री उसका उत्तर भी देंगे कि आर्थिक

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कठिनाई इस मामले में बहुत बड़ी बाधा है । लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद या बंगलौर में करेंगे तो एक बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाई

(श्री च० रा० पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए)

आकर के खड़ी होगी । ऐसे समय में जब कि हम कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य से निकल रहे हैं और जब कि पैसे का मूल्य हमारे लिए बहुत बढ़ गया है, ऐसे समय में हम इस भार को अपने देश के लिए वहन कर भी सकेंगे या नहीं ? इसके उत्तर में मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पैसे का सम्बन्ध है उसकी अपेक्षा भारत की एकता का मूल्य उससे भी कहीं अधिक है । दक्षिण भारत में इस प्रकार की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है कि उत्तर भारत वाले उनकी एक प्रकार से उपेक्षा कर रहे हैं । हमने अगर इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया तो मुझे भय है कि आगे चल कर यह प्रवृत्ति और भी गम्भीर रूप धारण न कर ले । केन्द्र की राजधानी दिल्ली होने से दक्षिण प्रदेश के देशवासी इस प्रकार अनुभव कर रहे हैं कि हम दक्षिण वालों को उपनगरों की स्थिति में बनाकर फेंक दिया गया है और यह प्रवृत्ति अगर बढ़ने दी गई और इसके निराकरण का उपाय नहीं किया गया तो यह खतरनाक रूप धारण कर सकती है और यह हमारी देश की एकता के लिए अहितकर सिद्ध होगा जो कि सर्वथा अांवांछनीय ही होगा ।

जहां तक आर्थिक योजनाओं का सम्बन्ध है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह सोचना कि हमारे माननीय सदस्यों को हैदराबाद या बंगलौर में सेशन होने से उनको हैदराबाद या बंगलौर बहुत दूर जाना पड़ेगा ठीक नहीं है । मैं इस स्थिति का स्पष्टीकरण और जानकारी इस भाषा में देना चाहता हूं कि बंगाल, बिहार और आसाम से जो हमारे भाई लोकसभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली आते हैं तो कलकत्ते से दिल्ली ८९५ मील इस समय है लेकिन हैदराबाद जाने के लिए वे विजयवाड़ा होते हुए आयेंगे तो कलकत्ते से हैदराबाद केवल ९८७ मील रहेगा । जिसका कि अर्थ यह हुआ कि हैदराबाद में सेशन होने से उनको केवल ९२ मील ही अधिक यात्रा करनी पड़ेगी । इसी तरह से बंगलौर में यदि लोकसभा का अधिवेशन किया जाय तो कलकत्ते से बंगलौर सीधे रास्ते से १२५० मील दूर है और उनको कलकत्ते से दिल्ली आने की अपेक्षा केवल ३५८ मील की यात्रा ही अधिक करनी पड़ेगी । इसलिए यात्रा पर बहुत अधिक व्यय सदस्यों पर करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है । अब यह सोचना कि उत्तरप्रदेश के और दूसरे स्थान के लोगों को दूर जाना पड़ेगा तो उसके लिए तो यह है कि उसी प्रकार से केरल, मद्रास और दक्षिण के अन्य स्थान के लोगों को जब यहां दिल्ली आना पड़ता है तो इतनी अधिक दूरी उनको भी करनी पड़ती है । अब जहां तक सरकारी कर्मचारियों को वहां पर ले जाने वाले व्यय का संबंध है उसके बारे में मैंने केन्द्रीय सरकार की रिसर्च और रेफ्रेंस ब्रांच से कुछ आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयत्न किया कि अगर लोकसभा का एक अधिवेशन दिल्ली से बाहर होता है तो दिल्ली से बाहर होने वाले इस अधिवेशन में हमारा कितना व्यय होगा । स्थिति यह है कि अगर बंगलौर या हैदराबाद में अधिवेशन होता है तो भारत सरकार के जो कर्मचारी वहां पर पहुंचेगे उनकी संख्या लगभग ७०० से १००० के बीच में होगी जिनका कि जाना वहां पर आवश्यक होगा और उसके लिए उनके ऊपर २८ लाख से ४२ लाख के मध्य में खर्च करना पड़ेगा । इसी प्रकार लोकसभा से सम्बन्धित जो कर्मचारी हैं अगर सदन

का एक अधिवेशन बैंगलौर या हैदराबाद में किया जाता है तो उसमें लगभग १५० कर्मचारियों की वहां पर आवश्यकता होगी जिसके कि लिए ४ लाख से ६ लाख रुपये के मध्य में उन पर व्यय करना अपेक्षित होगा। इसी प्रकार संसद सदस्यों के निवास और अधिवेशन सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था करने पर जो राशि खर्च होगी वह ५० हजार रुपये के लगभग पड़ेगी। दिल्ली से समय समय पर जो सूचनाएं अपेक्षित मंत्रियों को मंगानी होंगी या वहां से जो सूचनाएं भेजनी होंगी और उन पर जो खर्च आयेगा वह ८००० रुपये के लगभग आयेगा। दूसरे इस बीच में जो आवश्यक यात्राएं करनी पड़ेंगी उन यात्राओं पर जो व्यय होगा वह लगभग १० लाख रुपये के पड़ेगा। इस प्रकार से सब धनराशि अगर मिला ली जाये तो करीब ५१-५२ लाख के लगभग जाकर पहुंचती है। और अगर उसको थोड़ा और भी बढ़ा लिया जाय तो भी मेरी समझ में भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि दिल्ली में जब लोक सभा का अधिवेशन चलता है और उसको देखने के लिए जो हमारे दर्शक भाई इधर उधर से देखने के लिए आते हैं तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोगों की संख्या का अनुपात भी सरकार को लेना होगा उनमें ९५ प्रतिशतः इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि उत्तर भारत से सम्बन्धित होते हैं और ५ प्रतिशतः लोग इस प्रकार के होते हैं जो कि दक्षिण भारत के होते हैं जो कि इतनी दूर की यात्रा करके हमारी लोकसभा के सत्र को देखने आते हैं। लेकिन अगर हम लोक सभा का अधिवेशन दक्षिण भारत में करते हैं तो मेरा अपना मत यह है कि जिस तरह उत्तर भारत की जनता दक्षिण की लोकतंत्री परम्पराओं और तत्वों से परिचित होती है उसी तरह दक्षिण भारत के लोग भी लोकसभा की परम्पराओं, व्यवस्थाओं और कार्यों से अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जहां तक व्यय का सम्बन्ध है उसको हमको थोड़े रूप में इस तरह भी सोचना पड़ेगा कि दक्षिण भारत से हमारे केन्द्र को जो पैसा मिलता है उसकी मात्रा भी कितनी है?

जहां तक बन्दरगाहों का सम्बन्ध है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर भारत में केवल एक बड़ा बन्दरगाह है और तीन छोटे बन्दरगाह हैं जबकि दक्षिणी भारत में ६ बड़े बंदरगाह हैं, ३४ छोटे बन्दरगाह हैं और १७ बीच की कोटि के बन्दरगाह हैं। उनसे जो आयात निर्यात के रूप में हमें आय होती है वह दक्षिणी भारत से विशेष रूप से अधिक होती है।

इसके साथ ही इस विषय में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सोचना कि लोक-सभा का साल में एक अधिवेशन दक्षिण में किया जाया करे, इस प्रकार की एक नई परम्परा को जो जन्म दिया जा रहा है तो उनका ऐसा सोचना सही नहीं होगा क्योंकि अब से पहले भी यह परम्परा चालू थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में भी हमारी सेन्ट्रल असेम्बली का एक अधिवेशन शिमले के अन्दर हुआ करता था। जब कि इस प्रकार की स्थिति थी कि सेन्ट्रल असेम्बली का अधिवेशन वहां होता था तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ यह था कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी और उस समय के सदस्य होते थे वह जब स्थान परिवर्तन करते थे तो मस्तिष्क के अन्दर एक विशेष प्रकार की ताजगी होती थी। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके लिए दफ्तर की एक विशेष प्रकार की दीवारें वही घुटा हुआ वातावरण और वही साल के ३६५ दिन बराबर उनका एक ही स्थान पर एक ढर्रे से काम चलाना उससे उनके दिमागों के अन्दर एक थकान, बासीपन और ऊबने का सा अनुभव होने लगता था। और यह ठीक है कि स्थान परिवर्तन वाली चीज़ होने से उनके अन्दर

ताजगी और एक उत्सुकता भी रहेगी और उसके साथ ही हमारी सरकारी कार्यों में कुछ थोड़ी सी तेजी और कार्यपटुता भी आयेगी।

दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां तक सदन का एक अधिवेशन उधर ले जाने का सम्बन्ध है अभी तक उत्तर भारत के जितने सदस्य हैं क्योंकि दिल्ली में ही लोकसभा के तीनों अधिवेशन होते हैं उससे दक्षिण भारत की जो समस्याएं हैं, जो परम्पराएं हैं उससे उत्तर भारत के सदस्यगण सर्वथा अछूते और अपरिचित ही रह जाते हैं। दक्षिण की कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं जिन पर जब यहां पर विचार होता है तो उत्तर भारत के लोग जिस समय दक्षिण के भाई उन समस्याओं पर विचार प्रकट करते हैं तो उसको बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं लेकिन अगर उन्हीं सारी बातों को अपनी आंखों से देखें और देख कर विचार करें तो मेरा अपना अनुमान है कि उत्तर और दक्षिण दोनों को निकट होने में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ेगी।

इसी प्रकार से भारतवर्ष का जो इस समय अधिक प्रचलित नाम है "हिन्दुस्थान" है, हिन्दुस्थान का जो मूल रूप इस समय दिखाई देता है वह दक्षिण भारत में ही दिखाई देता है। क्योंकि उत्तर भारत पर जो विदेशियों द्वारा समय समय पर हमले हुए हैं उन हमलों से उत्तर भारत की संस्कृति पर्याप्त लड़खड़ा कर रह गई है। उत्तर भारत में हमको भारत की मूल संस्कृति के दर्शन होते लेकिन दक्षिण भारत में हिन्दुस्तान की मूल संस्कृति, वहां की प्राचीन परम्पराओं आदि के दर्शन आज भी हो सकते हैं। दक्षिण भारत के अन्दर आज भी प्राचीन भारत की झांकी देखने को मिल सकती है और वहां के देवालय इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दक्षिण भारत में यदि हम अधिवेशन करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दक्षिण भारत की संस्कृति, व परम्पराओं से सुगमता के साथ परिचित हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त अगर लोकसभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होता है तो इससे हमारे पर्यटन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दक्षिण भारत के जो कुटीर उद्योग हैं उनको विशेष रूप से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा अपना अनुमान है कि इस प्रकार की परम्पराओं का हमको श्रीगणेश करना ही चाहिये और अगर हमने अपनी वतमान उपेक्षा की नीति दक्षिण भारत के प्रति जारी रक्खी तो हम दक्षिण भारत की बहुत सी पम्पराओं से अपरिचित और अछूते रह जायेंगे।

अन्य स्वाधीन देश समय और परिस्थिति के आधार पर अपनी राजधानियों में भी परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान जो अभी कल तक हमारा ही एक भाग था और जो सन् १९४७ के बाद से हमसे पृथक हुआ है उस पाकिस्तान ने भी देश की स्थिति और दुनिया के वातावरण को देख कर निश्चय किया कि कराची बिल्कुल समुद्र के निकट स्थित है और किसी समय भी वहां इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जिससे केन्द्र की राजधानी को तरह तरह के संकट उत्पन्न हो जायें। यह सोच कर पाकिस्तान के शासकों ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने देश की राजधानी कराची से उठा कर रावलपिण्डी ले गये। आवश्यक स्थिति में दूसरे स्थानों के लोग समय और वातावरण के आधार पर अपनी राजधानी में परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन यह मेरा प्रश्न तो कोई राजधानी में परिवतन का नहीं है वरन् यह तो एक बहुत साधारण सा प्रश्न है कि लोकसभा का एक अधिवेशन साल में दक्षिण में हैदराबाद अथवा बंगलौर में हुआ करे। अब से कुछ समय पहले भी इस सदन के अन्दर इस प्रकार की चर्चाएं आई थीं लेकिन दुर्भाग्य से वे चर्चाएं बड़े रूप में नहीं चल सकीं। अधिवेशन करने के लिये जगह सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां थीं कि जिनके कारण उनके ऊपर गम्भीरता से विचार नहीं हो सका। एक सबसे बड़ी कठिनाई हैदराबाद अथवा बंगलौर में लोक सभा का सेशन

करने में यह थी कि क्या वहां पर उतना बड़ा स्थान है जहां कि लोक सभा के सब सदस्य बैठ कर विचार विनिमय कर सकें। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं और मेरा अपना विश्वास है कि सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बात से परिचित भी होंगे कि बंगलौर की असेम्बली का जो भवन है वह इतना बड़ा है कि उसमें बहुत अच्छी तरह से लोकसभा का अधिवेशन हो सकता है। इसके अतिरिक्त वहां का जलवायु भी बहुत अच्छा है और यों भी बहुत से लोग वहां वर्ष में एक बार जलवायु के परिवर्तन के लिये जाया करते हैं। वहां का समशीतोष्ण जलवायु है इसलिये अगर बंगलौर में लोक-सभा का शीतकालीन अधिवेशन हो तो लोकसभा के सदस्यों को और लोक सभा के कर्मचारियों को वहां पर ठण्ड का भी मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। स्थान की भी वहां बड़ी भारी कमी नहीं है।

यह कहा जा सकता है कि बंगलौर में करनाटक असेम्बली का भी अधिवेशन होता है इसलिये कठनाई हो सकती है। किन्तु इसका तो करनाटक के शासन से पता लगाया जा सकता है कि वहां की असेम्बली का अधिवेशन कब होगा और जब उनकी असेम्बली का अधिवेशन न होता हो उस समय लोकसभा का अधिवेशन वहां रखा जा सकता है। यह तो आपस के एक एडजस्टमेंट की बात है जिसमें कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

इससे प्रकट है कि जो कठिनाइयां पीछे किसी समय थीं वे आज नहीं रही हैं। बंगलौर में बहुत बड़ा भवन लोक सभा के अधिवेशन के लिये है, और भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

इसी प्रकार हैदराबाद का मामला है। हैदराबाद दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी रियासत थी और हैदराबाद में निवास की कोई कठिनाइयां नहीं हैं जो कि दिल्ली में हैं।

दूसरा मेरा अपना अनुमान है कि बहुत से लोग वर्ष में जलवायु के परिवर्तन के लिये भी उधर जाते हैं। अब अगर लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होने लगेगा तो सदस्यों की और लोकसभा के कर्मचारियों की जलवायु बदलने की समस्या अपने आप हल हो जाएगी और उनको और किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और जो कि मेरे इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य है, वह यह है कि हमको दक्षिण भारत वालों के मध्य रह कर उनकी भावनाओं से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो सबसे बड़ा लाभ है। पिछले समय में हमने दक्षिण भारत वालों की भावनाओं का परिचय प्राप्त करने का किसी रूप में प्रयत्न भी किया है। आपको मालूम है कि हमारी संसद् के तीन भाग हैं। उसका जो सर्वोच्चि भाग है वह हमारे राष्ट्रपति हैं। हमारी संसद् का दूसरा भाग है लोक सभा और तीसरा भाग है राज्य सभा। हमारे राष्ट्रपति जी ने वर्ष में दस दिन के लिए हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में रहने का निश्चय किया है। यह निश्चय उन्होंने केवल इसी दृष्टि से किया है कि दक्षिण भारत वालों को भी यह मालूम हो कि उनका राष्ट्रपति केवल दिल्ली में ही नहीं रहता बल्कि हमारे बीच में भी रहता है और हमारा भी उससे सम्बन्ध है। यही नहीं, हमारे राष्ट्रपति जी देश का एक प्रमुख त्यौहार भी दक्षिण भारत में ही किसी स्थान पर मनाते हैं। १५ अगस्त का त्यौहार राष्ट्रपति जी दक्षिण भारत के ही किसी नगर में मनाते हैं। और राष्ट्रपति हमारी संसद् के महान् अंग हैं। हमारे राष्ट्रपति का स्थान इंगलैण्ड की महरानी की तरह नहीं है। पीछे एक समय इस प्रकार की चर्चा चली थी कि हमारे राष्ट्रपति जी का भी वही स्थान है जो कि इंगलैण्ड की महारानी का है। परन्तु ऐसा नहीं है। इंगलैण्ड की महारानी तो वंश परम्परा के अनुसार चली आ रही हैं, परन्तु हमारे राष्ट्रप्रति तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। जब इस प्रकार चुने हुए राष्ट्रपति जी वर्ष में दस दिन के लिए दक्षिण भारत में रहते हैं और दक्षिण भारत के एक नगर में देश का एक प्रमुख त्यौहार मनाते

हैं तो मैं नहीं समझता कि क्यों हमें दक्षिण भारत के भाइयों की भावनाओं का अध्ययन करने के लिये अपना अधिवेशन दक्षिण भारत में नहीं करना चाहिए। जब हमारी संसद् का सबसे बड़ा भाग वहां वर्ष में कुछ समय के लिये रहता है तो मैं नहीं समझता कि हम इस बात को क्यों सोचें कि दक्षिण भारत में लोक सभा का एक छोटा सा अधिवेशन करने में कठिनाई है। मैं समझता हूं कि वहां कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां तक भवनों का सम्बन्ध है वहां कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है। और यदि कुछ भवन बनाने भी पड़ें तो सरकार बनवा सकती है। आजकल तो सरकार निर्माण कार्य पर बहुत उदारता के साथ खर्च कर रही है। यदि आवश्यक समझा जाए तो कुछ भवन वहां बनाए जा सकते हैं। थोड़े व्यय से यह किया जा सकता है। इस कारण तो कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिये। आप देखें कि पंजाब में पटियाला में बहुत से भवन होते हुए भी चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया और विदेशियों को ले जाकर उसे दिखाया जाता है। तो जहां तक कुछ भवन और बनाने का सम्बन्ध है यह काम सरकार कर सकती है और इस कारण कठिनाई नहीं आने वाली। जो भवन वहां बनेंगे वह लोक सभा के अधिवेशन में काम आवेंगे और इसके अतिरिक्त भी उनका उपयोग होता रहेगा।

इन सब बातों के आधार पर मैं समझता हूं कि लोक सभा का एक अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में करने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से भी यह निवेदन करता हूं कि वे भी थोड़ी उदारता से इस पर विचार करें। सदन के अधिकांश सदस्यों की यह इच्छा है कि लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हो। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव पर पूर्ण विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री पद्मदेव (चम्बा) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव इस समय इस सदन में उपस्थित किया गया है, एक बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ से, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इसमें शक नहीं कि जब से हम स्वतन्त्र हुए हैं हमारे पास अधिकारों की भरमार है। बहुत बड़े बड़े अधिकार हमारे हैं और उनके लिए प्रस्ताव रूप में या जिस ढंग से भी हो सकता है हम हर वक्त मांग करते हैं। पर ऐसा कभी दुर्भाग्य से ही समय आता है जबकि जब हम उन प्रस्तावों की पूर्ति के लिये आय का भी कोई प्रस्ताव उपस्थित करते हों।

यहां पर यह कहा गया है कि वर्तमान संकट के समय में यह बहुत जरूरी है कि लोक सभा का या राज्य सभा का एक अधिवेशन दक्षिण में हो और उसका यह परिणाम होगा कि हम लोग एक हो जायेंगे, परिचित हो जायेंगे और दक्षिण वाले भी महसूस करेंगे कि हिन्दुस्तान हमारा है। अगर तो प्रस्ताव यह होता कि राजधानी दिल्ली के बजाए किसी एक मध्य स्थान में होनी चाहिये जो आने जाने की दृष्टि से सबके लिये सुगम हो तब तो उस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन अगर यह कहा जाता है कि लोक सभा का एक अधिवेशन साल में हैदराबाद में हो तो दूसरा प्रस्ताव यह भी आ सकता है कि एक दफा कलकत्ता में भी हो, और जैसा पहले वक्ता महोदय ने कहा, यह प्रस्ताव भी आ सकता है कि शिमला में भी हो। तो लोक सभा के जो तीन अधिवेशन होते हैं उनके लिये शायद नागपुर की बात आ जाए। बम्बई की की आ जाए, तो इस प्रकार के कई प्रस्ताव हमारे सम्मुख आ सकते हैं और हमको

उन पर विचार करना होगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, वह तो बैठे हुए थे दौड़ने के लिये। लेकिन हिन्दुस्तान में तो ऐसा कोई मौका नहीं है। मुझे दुःख है इस बात का कि प्रस्तावक महोदय ने यह कहा है कि वर्तमान संकट में ऐसा हो सकता है कि हमें कहीं परिवर्तन करना पड़े इसलिये परिवर्तन की आदत डाल ले। यह बहुत ही दुखदायी बात यहां पर कही गई है। अगर हमारे अन्दर यह ख्याल पैदा हो जाये कि शायद कभी हम को दौड़ने का मौका पड़े जाये, इस लिए अभी दौड़ना सीखें, तो यह उचित नहीं है और मुझे खेद है कि यहां पर यह बात कही गई।

एक बात यह कही गई कि इसमें बहुत मामूली खर्चा होगा—कोई बीस, तीस, चालीस लाख रुपया खर्च, होगा।

एक माननीय सदस्य : साठ लाख।

श्री पद्म देव : मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया है। जिस वक्त राज्य सभा और लोक सभा के सात सौ मेम्बर यहां से वहां जाते हैं, तो लाजिमी तौर पर सात सौ बंगलों का भी प्रबन्ध होना चाहिए। उन पर कितना रुपया खर्च होगा ? वर्तमान समय में सरकार बंगलों के ही बनाने में लगी रहे, यह एक विचारणीय विषय है। इस वक्त हमारे मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर आदि कोई तीस चालीस के करीब हैं।

एक माननीय सदस्य : पचास।

श्री पद्म देव : उनके सारे दफ्तर भी वहां जाने चाहियें, क्योंकि हर वक्त यहां से टेलीफ़ोन करके फ़ाइल मंगवाना सम्भव नहीं होगा। फ़ाइल मंगवाने में कितना खर्च आयेगा, शायद इसका प्रस्तावक महोदय ने विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि टेलीफ़ोन और क्वेस्चन मंगवाने आदि पर दस हज़ार रुपए का खर्च होगा। मेरा ख्याल है कि वह इस बात का अन्दाज़ा नहीं लगा सकते कि इस पर कितना खर्च होगा। हिमाचल प्रदेश में क्वेस्चन पर एक हज़ार—और कभी उससे भी ज्यादा —रुपया खर्च आता है। और यहां पर तो सारे हिन्दुस्तान से प्रश्नों के मंगवाने का सवाल है। इसका अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस, जनसंघ या सोशलिस्ट पार्टी के सेशनों का सवाल है, उसमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि लोकसभा के अधिवेशन के सम्बन्ध में यह सोचें कि वह साल में एक दफ़ा हो और उसका यह अनुमान लगाये कि उस पर सात, दस, बीस लाख रुपया खर्च होगा, तो मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने इस विषय में अच्छी तरह से अनुमान नहीं किया है।

यह भी कहा गया है कि दक्षिण और हमारा आपस में परिचय होगा। जहां तक इस माननीय सदन के सदस्यों का सवाल है, उनको रेलवे का टिकट मिला हुआ है और जब एक सदस्य को भारतवर्ष का नागरिक चुन कर यहां भेजता है, तो वह आशा करता है कि हिमाचल प्रदेश का आदमी लाजिमी तौर पर सारे हिन्दुस्तान का चक्कर लगाए, वहां की रीति-नीति का अध्ययन करे और वहां की परि-स्थितियों को मालूम करे। सदस्यों का टिकट इसी लिये मिला हुआ है कि वे पांच साल की अवधि में सारे भारतवर्ष की गति-विधि को देखें—छः महीने वे यहां पर काम करें और बाकी छः महीने वे बाहर रहें—ताकि सारे हिन्दुस्तान से उनका अच्छी तरह से परिचय हो। हां, इतना फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि बंगलौर में जायेंगे, तो बंगलौर को अच्छी तरह से देख सकेंगे और सरकारी खर्च पर देख सकेंगे और कुछ लोग भी हम को देखेंगे। यह सब सिर्फ़ दर्शन-मेला ही रहेगा, दक्षिण के लोगों को इससे कोई फ़ायदा होगा, मैं ऐसा नहीं समझता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि कोई ऐसा प्रस्ताव होता कि दिल्ली के बजाये कोई और जगह राजधानी हो, तो इस पर विचार किया जा सकता था। मुगलों ने सोचा कि हमारी सेफ्टी हैदराबाद में होगी और निज़ाम अपने को मुगलों की आखिरी निशानी समझते थे। अगर ऐसी निशानी का ख्याल हो, तो अलग बात है, लेकिन हमारे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। अगर इससे दक्षिण को फ़ायदा पहुंचता, तो मैं कहता कि ऐसा करना चाहिए और उनको लाज़िमी तौर पर फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, लेकिन यह वहां पर अधिवेशन करने से नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि उसके लिए ज़रूरी है कि राजधानी को बदला जाये।

यहां पर इस बारे में राष्ट्रपति का भी ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने कुछ दिन वहां रहने का निश्चय किया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति और सारे मिनिस्टरों को यह निश्चय करना चाहिए कि साल में दो, तीन, चार मर्तबा दक्षिण और उत्तर दोनों का दौरा करें और लोगों में अपनी रीति-नीति का प्रचार और प्रसार करें और उन्हें बतायें कि हमारा देश क्या कर रहा है, किस चीज़ की कमी है, लोगों के लिये क्या करना चाहिये और यह मालूम करें कि लोगों के विभिन्न समस्याओं के बारे में क्या विचार हैं। इसके लिये सब को सारे देश में घूमना चाहिये। लेकिन केवल लोक सभा का अधिवेशन दक्षिण में करने से इस प्रयोजन की सिद्ध हो सकती है, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अभी माननीय पंडित जी ने जो बात कही हैं, उनमें सुहावने और लुभावने शब्द ज़रूर हैं, लेकिन जो कारण मैंने अभी बताये हैं, उनके आधार पर मैं उन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अंग्रेज़ी राज्य में जब सरकारी कार्यालय शिमला जाते थे और केन्द्रीय विधान सभा का सेशन वहां होता था, तो सारे हिन्दुस्तान में हर प्लैटफाम से बड़ा शोर मचाया जाता था कि हमारा रुपया बर्बाद किया जा रहा है सैर-सपाटे में। अगर वही प्रस्ताव लेकर हम आ गए, तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे दिमाग में अभी अंग्रेज़ी राज्य के समय का कुछ अंश मौजूद है, जो कि उसी ढंग से सोचता है। हम को कभी भी उस ढंग से नहीं सोचना चाहिये।

जहां तक सेहत का सवाल है और अगर दक्षिण की जल-वायु सेहत के लिये अच्छी है, तो माननीय सदस्यों को टिकट मिले हुए हैं, जो लोग जल-वायु के परिवर्तन के लिये वहां जाना चाहें, वे जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार मुल्क पर ऐसा टैक्स लगाना और खर्च करवाना ज्यादा तर्कसंगत नहीं दीखता है, ज्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं नजर आती है। इसलिये सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। कल अंग्रेज़ जो कुछ किया करते थे, आज उसी को हम यहां पर पेश कर रहे हैं। माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा कि उस समय केन्द्रीय विधान सभा शिमला में जाती थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जाती थी, तो सारे देश ने उसका विरोध किया था। मैं समझता हूं कि आज भी ऐसा प्रस्ताव देश के अनुकूल नहीं है और इससे न तो राजनैतिक तौर पर और न सांस्कृतिक तौर पर कोई लाभदायक परिवर्तन हो सकता है।

अभी माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि दक्षिण में हिन्दुत्व रह गया है और यहां नहीं रह गया है। क्या उनका मतलब यह है कि यहां से वह बिल्कुल ही खत्म हो जाये? अभी तो दक्षिण के लोग यहां आते हैं और यहां के लोगों को संस्कृति का कुछ रस तो पिलाते हैं। अगर हम उधर जाना शुरू कर दें, तो—उनके विचार के मुताबिक, मैं ऐसा नहीं कहता—इधर के लोगों को अभी जो कुछ भी मिलता है, उससे भी वे वंचित रह जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का सख्त विरोध करता हूं।

†श्री नागी रेड्डी (अनन्तपुर) : यह एक इस प्रकार का संकल्प है जिसको एक दम न तो स्वीकार ही किया जा सकता है और न अस्वीकार । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी राजधानी देश के किसी मध्य स्थान में होनी चाहिए थी । परन्तु कभी कभी हमसे कुछ बात जबरदस्ती मनवा ली जाती हैं और राजधानी को स्वीकार करने की बात भी कुछ ऐसी ही है ।

हमें लोक सभा तथा राज्य सभा का एक सत्र दक्षिण में करने के प्रश्न पर कुछ गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि दक्षिण में कुछ इस प्रकार की भावना है कि देश के समस्त कार्यों का प्रबन्ध लगभग उत्तर के लोग ही करते हैं । इसलिये यदि आप चाहते हैं कि देश के किसी भाग में भी ऐसी भावना न पनपे तो इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें । उदाहरण के लिये में बताता हूं कि नागार्जुन सागर योजना को केन्द्र ने अधिक सहायता नहीं दी इसलिये वह योजना एक छोटी योजना रह गई जबकि भाखड़ा योजना केन्द्र द्वारा दी गई सहायता के कारण इतनी विशाल योजना बन गई । दक्षिण में लौह अयस्क बहुतायत से पाया जाता है परन्तु इस्पात का कारखाना वहां पर कोई भी स्थापित नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि दक्षिण के लोगों में जो यह भावना है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसे दूर किया जाना बहुत जरूरी है । देश के दोनों भागों का एक सा विकास होना चाहिये मानसिक और आर्थिक । हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि लोग सारे देश को एक समझें । यदि लोक-सभा का एक सत्र दक्षिण में हो भी गया तो लोगों के मूल विचारों में अन्तर नहीं हो सकता । उसके लिये हमें अन्य प्रकार के प्रयत्न करने होंगे । इस समय हमें अनावश्यक व्यय नहीं करना चाहिये । मेरा सुझाव है कि लोक सभा का एक सत्र बंगलौर आदि में करने पर जो धन व्यय हो उसको राज्य सरकारों में बांटा जाये जिससे देश की औद्योगिक प्रगति हो । हमें इसकी कोशिश करनी चाहिये कि दक्षिण की जनता यह समझ सके कि केन्द्र उनको उत्तर की जनता के समान ही समझता है । मैं आशा करता हूं कि सरकार प्रयत्न करेगी कि दक्षिण में इस प्रकार की भावना न फैल जाये कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

†श्री असार हरवानी (फतेहपुर) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के १२ वर्ष बाद भी हम उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं । सम्पूर्ण भारत एक है । हम सभी ओर से भारतीय हैं । योजना निर्माता जब कभी किसी योजना के निर्माण की बात सोचते हैं तो उनके ध्यान में उत्तर और दक्षिण का प्रश्न नहीं होता बल्कि वे स्थान की उपयोगिता की दृष्टि से सोचते हैं ।

लोकसभा का अधिवेशन काम की बात है, यह किसी राजनीतिक दल का वार्षिक अधिवेशन नहीं है । हम जब कभी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन करते हैं तो हम ही जानते हैं कि कितनी प्रकार की कठिनाइयों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । फिर लोकसभा का अधिवेशन तो ५—६ सप्ताह और कभी कभी तो इससे भी अधिक समय तक चलता है । दूरस्थ तथा नये स्थान पर संसद् सदस्यों को ठहराने में काफी व्यय होगा तथा नाना प्रकार की कठिनाइयां होंगी । प्रतिदिन हम पुस्तकालय जाते हैं, विभिन्न मन्त्रालयों से विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिये हमें सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है । मंत्रालयों के सचिव, मंत्रियों को संसद् में आने से पूर्व उन्हें संक्षेप में बहुत सी बातें बताते हैं । बंगलौर में लोकसभा का अधिवेशन करने का अभिप्राय तो अस्थायी तौर पर राजधानी का स्थानान्तरण करना होगा । उन देशों में जहां कि संसद् प्रणाली है, संसद् का सत्र राजधानी में ही होता है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

दिल्ली भारत की राजधानी है और बड़ी शीघ्रता से इसका विकास हो रहा है । यहां सभी

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के निवासी रहते हैं। अतः संसद् का सत्र दिल्ली में ही होना चाहिये। इसलिये माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव न केवल वित्तीय दृष्टि से ही बल्कि प्रशासकीय, सांस्कृतिक भाषाई तथा राष्ट्रीय आधार पर भी वापस ले लेना चाहिये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दिनाजपुर) : इस प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार करना चाहिये। इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल एक यही बात है कि संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि लोकसभा का अधिवेशन वहां होगा। यह राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। वास्तव में देखा जाय तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का स्थान राष्ट्रपति अपने उस आमन्त्रण पत्र में उल्लेख करते हैं जो वह हमें भेजते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर यह निर्भर करता है कि वह कहीं भी लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं। शायद इसी आधार को लेकर प्रस्तावक ने यह प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त शिमला में सत्र करने का पूर्वोदाहरण भी है। लेकिन शिमला तथा दिल्ली के बीच अन्तर बहुत कम है। अतः दिल्ली की अपेक्षा बंगलौर में सत्र करना एक दूसरी ही बात है। यदि ऐसा करना सम्भव होता तो निश्चय ही हम ऐसा करने की सोचते लेकिन मेरा विचार है कि प्रशासकीय दृष्टि से ऐसा करना सम्भव नहीं है।

राजधानी से बाहर सत्र करने का अभिप्राय तो यह होगा कि ७०० संसद सदस्यों सहित दोनों सभाएं वहां जाय, मंत्रीगण वहां जाय उनके साथ उनके सचिव एवं उन सचिवों के विभाग उनके साथ जाय। इस प्रकार बहुत से व्यक्तियों को जाना पड़ेगा जो संभव नहीं है। चाहे अन्य दृष्टि से बंगलौर में सत्र करना आवश्यक एवं वांछनीय हो लेकिन खर्च की दृष्टि से यह सम्भव नहीं है। अतः मेरे विचार से दिल्ली से बाहर सत्र करना प्रशासकीय दृष्टि से एवं व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम दक्षिण और उत्तर में कोई भेद नहीं करना चाहते हैं। जो माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं वे या तो इसकी महत्ता को नहीं समझ रहे अथवा इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे। इसके विरोध सम्भवतः देश की वर्तमान असलियत की ओर नहीं देख रहे हैं। और आज देश में इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यहां इस प्रकार की कुछ चीज हो। ऐसा करना केवल उन व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक नहीं होगा जो सत्र में भाग लेने जायेंगे बल्कि उनके लिए भी लाभदायक होगा जो वहां रहते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आयेंगे और एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करेंगे।

यह ठीक है कि जब कभी कोई महत्वपूर्ण बात अथवा विचित्र बात होती है तो बहुत सी कठिनाइयां आया करती हैं। लेकिन जब वह महत्वपूर्ण समझ ली जाती है तो सभी कठिनाइयां दूर करनी पड़ती हैं और उन्हें दूर करना भी चाहिए। चूंकि रास्ते में कठिनाइयां आ रही हैं अतः उस महत्वपूर्ण वस्तु को समाप्त कर देना चाहिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर इस समय हैदराबाद अथवा बंगलौर में सत्र करना सम्भव नहीं है तो माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में जब कभी यह सम्भव होगा तो सरकार इस पर सहानुभूति से विचार करेगी और कम से कम लोक सभा का एक सत्र प्रति वर्ष दक्षिण में किया करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम) : इस मामले पर इतनी सरसरी तौर से विचार नहीं करना चाहिए और न लोगों को उत्तर और दक्षिण की दृष्टि से बांटना ही चाहिए। दक्षिण में सत्र करने में जो प्रविधिक कठिनाइयां हैं उन्हें तो एक साधारण व्यक्ति समझ सकता है लेकिन जब एकीकरण के अभाव अथवा भावना आदि की बात कही जाती है तो निश्चय ही इसका विरोध किया जायेगा। क्योंकि अभी भावात्मक एकीकरण की बहुत आवश्यकता है। दक्षिण के लोग अभी तक यह समझते हैं कि उनकी अवहेलना होती है। अथवा उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता। इस भावना को लोगों में दिल से निकालना है।

यह तो मैं समझता हूं कि बंगलौर अथवा हैदराबाद में लोक सभा का अधिवेशन करने में कुछ कठिनाइयां होंगी लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसमें बहुत खर्चा होगा क्योंकि खर्चे की बात तो बहुत ही मामूली और इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दक्षिण में अधिवेशन करने से प्रस्तावक के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है अथवा नहीं। मेरा विचार है कि दक्षिण भारत के लोग यह अनुभव करते हैं कि राजनैतिक और प्रशासकीय व्यवहार्यता जो आज प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वह उन्हें नहीं मिलती। एक अधिवेशन करके उनके मन से यह डर निकाला जा सकता है।

इस सिलसिले में एक निवेदन यह कर देना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकारी कार्यालय होने के कारण दक्षिण भारत के लोगों को वहां तक पहुंचने में कठिनाई होती है और वे अपनी बात कह नहीं पाते और अपना कार्य करा नहीं पाते। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि कुछ कार्यालय दिल्ली से हटाकर दक्षिण भी भेजे जायें।

वाद-विवाद के दौरान में इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। यह भी सम्भव नहीं है कि थोड़े से समय में इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके अतः मेरा निवेदन है कि संसद की एकसमिति बना दी जाये जो इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार कर सके। यह समिति वित्तीय कठिनाइयों, पुस्तकालय सम्बन्धी कठिनाइयों आदि के बारे में अच्छी तरह विचार करके सभा को यह सिफारिश करे कि क्या निकट भविष्य में हैदराबाद अथवा बंगलौर में लोक सभा का सत्र किया जा सकता है।

केवल इस आधार पर कि आवास की कठिनाई होगी इस प्रस्ताव को टाल देना ठीक नहीं होगा क्योंकि बंगलौर में न केवल सात सौ संसद सदस्यों के ठहरने का ही प्रबन्ध किया जा सकता है अपितु आवश्यकता पड़ने पर पूरे सचिवालय के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। हमें दक्षिण के लोगों की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए।

अन्त में मैं संसद-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को सरसरी तौर पर ही रद्द न करें। एक समिति की नियुक्ति करने के विचार से भी हमें सहमत होना चाहिए। और उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए।

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : सभापति जी, प्रस्तावक महोदय ने यह सुझाव रक्खा है कि लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण में रक्खा जाय। सुझाव की भावनाओं को यदि मद्दे नजर रक्खा जाये तो यह ठीक मालूम होता है, पर लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण में कराने से ही भारतवर्ष की भावनाओं का एकीकरण होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। यदि केवल लोक सभा का अधिवेशन

---

†मूल अंग्रेजी में

ही आकर्षण का प्रभावशाली साधन होता तो मैं उन से सहमत हो सकता था, पर आज हिन्दुस्तान में लोकसभा के अधिवेशन के अलावा और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जो कि देश को एकीकरण की ओर या देशभक्ति की ओर लाने के लिए अपने कदम उठा रहे हैं। अभी चन्द दिनों के बाद मैसूर में भारत के ३५ विश्वविद्यालयों के युवकों का वार्षिक सम्मेन हो रहा है। क्या इस सम्मेलन में हिन्दुस्तान के प्रत्येक भाग ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की संस्कृति के प्रतीक, हिन्दुस्तान की एकता के प्रतीक वहां नहीं इकटठे होंगे ? क्या वहां पर हजारों जन उनकी बातों को सुन कर और उन से प्रभावित हो कर हिन्दुस्तान की एकता की भावना अपने हृदय में नहीं लायेंगे ? आज हमारे देश भर में कई डेलिगेशन या शिष्ट मंडल जाते हैं, कई सेलेक्ट कमेटियां और दूसरे प्रकार की कमेटियां देश के प्रत्येक राज्यों का दौरा करती हैं और उन अनुभवों को ला कर इस केन्द्रीय स्थान दिल्ली में या और जगहों पर जा कर उन अनुभवों के प्रभाव को दूसरे लोगों पर डालते हैं। इसलिए केवल लोक सभा का एक अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में करा देने से ही हमारे देश की एकता में वृद्धि होगी, इस को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

कुछ और सदस्यों ने कहा कि जब हम इस समय चारों तरफ से आपत्ति से घिरे जा रहे हैं तो ऐसी हालत में हम क्यों न दिल्ली से जा कर हैदराबाद या बंगलौर में अपनी लोक सभा का अधिवेशन करायें। इस को सुन कर मुझे याद आता है कि यहां एक बार मुहम्मद तुगलक ने भी एक विचित्र बात सोची थी और उसी वक्त दिल्ली को छोड़ कर देवगिरि को अपनी राजधानी बनाई थी। अगर आज हम मुहम्मद तुगलक जैसी भावना से काम करें तो मैं नहीं समझता कि उस से क्या लाभ होगा। दिल्ली सदियों से इस देश की राजधानी रही है। दिल्ली की संस्कृति ही सदा भारत की एकता का प्रतीक रही है। भले ही राजा कहीं का रहा हो, चाहे वह दक्षिण का हो, चाहे पश्चिम का चाहे उत्तर का रहा हो या पूर्व का, हमेशा उसका केन्द्रबिन्दु दिल्ली ही रहा है। आज हम देखते हैं कि दिल्ली में हर समय राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में हिन्दुस्तान क्या, सारे संसार के प्रत्येक देश के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और उस से सब लोग सांस्कृतिक प्रेरणा लेते हैं। वास्तव में दिल्ली ही भारत की एकता का प्रतीक है। यदि हम हैदराबाद में या बंगलौर में या दक्षिण के किसी स्थान में केवल चन्द महीनों के लिए लोक सभा का अधिवेशन बुलायें तो क्या हमारी संस्कृति की वृद्धि होगी ? क्या हमारी एकता की वृद्धि होगी ? मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

यहां पर लोगों ने कहा कि हम को खर्च को नहीं देखना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि इस सदन में एक एक हजार या लाख रुपये के लिए कितनी लड़ाई होती है। दो-दो मील रेल लाइन के लिए हम यहां लड़ते हैं। केरल जैसे प्रदेश के लिए, अंडमान, निकोबार और पांडिचेरी को हम २०, २५ लाख रु० दे दें तो वहां पर लोगों को कितना फायदा पहुंच सकता है ? अभी मध्य प्रदेश में एक राजधानी का प्रश्न आया। हमारी केन्द्रीय सरकार राजधानी तैयार करने के लिए कोई रकम देने को तैयार नहीं है। इस तरह के ज़माने में यदि हम इस तरह के अधिवेशन पर रुपया खर्च करते हैं तो कैसे काम चलेगा। अगर दस साल तक हम अधिवेशन दक्षिण में करने रहें तो करीब करीब पांच करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा। अगर इस पांच करोड़ रुपये को आप राजधानी बनाने के लिए प्रदेशों को दे दें तो इस से कुछ प्रदेशों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन केवल कुछ लोगों की भावना को सन्तुष्ट करने के लिए आप लोक सभा का अधिवेशन दिल्ली में न कर के दक्षिण में बुलायें तो यह अत्युक्ति होगी। मैं यह भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर हम लोक

सभा का अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में करायें तो उस से हमारे लोगों में जो अच्छे सेंटिमेंटस हैं या मनोवृत्ति है उसे हम आगे बढ़ा सकेंगे । राजनीति में जो काम करने वाले होते हैं उन को सन्तुष्ट करने के लिए हम चाहे जितना प्रयत्न करें, वह राजनीति के दांव पेंच कहीं न कहीं निकाल ही लेते हैं । हैदराबाद में या बंगलौर में अधिवेशन हो रहा है तो क्या विभिन्न राज्यों वाले या राजनीतिक दांव पेंच खेलने वाले अपने दांव पेंच नहीं निकाल सकते हैं ? आप चाहे जहां अधिवेशन कराइये, यह सब तो चलता ही रहेगा । एक सज्जन ने कहा था कि बम्बई बहुत बड़ा प्रदेश है इसलिए एक अधिवेशन नागपुर में क्यों न बुलाया जाय । अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां के लोगों को बहुत ठेस पहुंचेगी । इस सदन में एक प्रस्ताव आने वाला था, लेकिन बैलट में नहीं आया । यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का एक अधिवेशन बुलाया जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि सेंटिमेंटस को हर जगह रखना और उस को पूरा करना ही क्या उन्नति की निशानी है ? इसलिए मैं कहूंगा कि यदि लोक सभा का अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में किया भी जाय तो क्या इस से साउथ इंडिया वालों के जो सेंटिमेंटस हैं या उन का जो असन्तोष है, वह मिट जायेगा ? चाहे जो कुछ हम उन के लिए करें यह असन्तोष खत्म नहीं होगा । चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी हो या पी० एस० पी० हो, अगर उन को अपने दांव पेंच खेलने हैं तो वह उन को खेलते ही रहेंगे । इसलिए यह कहना कि अगर हैदराबाद या बंगलौर में लोक सभा का अधिवेशन बुलाया जाय तो उस से हम देश में सब लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकेंगे, यह गलत होगा ।

इस के अलावा हम आज हिन्दुस्तान में एक एक पैसे के लिए विचार कर रहे हैं, अभी होम मिनिस्ट्री ने अपने खर्च में कमी करने के लिए अफसरों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव किया है । इन हालात को देखते हुए कि हम यहां पर नित्य मितव्ययिता के लिए तर्क पेश करते हैं, बंगलौर या हैदराबाद में लोक सभा का अधिवेशन करने के लिए, या दक्षिण में कहीं भी अधिवेशन करने के लिए किसी प्रस्ताव को मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं । इस का यह मतलब नहीं कि यहां पर उत्तर और दक्षिण में भेद पैदा होता है या कोई और भेद भाव पैदा होता है । भारत के स्वतंत्र होने के बाद १२ वर्ष तक दिल्ली राजधानी रही है, लेकिन यह आवाज कभी नहीं आई । जिस समय हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय लोग कहते थे कि देश के केन्द्र बिन्दु जबलपुर या बंगलौर में देश की राजधानी बनाई जाय । परन्तु यह नहीं किया गया । लेकिन यह भावना कभी भी लोगों के अन्दर नहीं आई क्योंकि दिल्ली एक ऐसा केन्द्र है जहां पर हमें हजारों सालों के इतिहास की भावनायें याद आती हैं । इन को हम भुला नहीं सकते । हम उन भावनाओं को रख कर ही देश की उन्नति कर सकते हैं और उस की उन्नति करने में हमें इस तरह की बाधाओं को नहीं आने देना चाहिए ।

इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए बहुत ही सुन्दर ढंग से अपने केस की वकालत की और वकालत के साथ साथ एक वकील की तरह से उन्होंने कई मिसालें भी पेश कीं । मैं उन के इन शब्दों में नहीं जाना चाहता कि पाकिस्तान ने समय की परिस्थिति को देखते हुए अपनी राजधानी बदल ली । मैं यह मंजूर करता हूं कि हाल में वहां ऐसा हुआ है । लेकिन हमारे सामने सवाल राजधानी बदलने का नहीं है । हमारे सामने सवाल इस बात का है कि हमारी लोक सभा का एक अधिवेशन हिन्दुस्तान के किसी दक्षिणी हिस्से में भी हो । मैं प्रस्तावक महोदय को बतलाऊं कि अगर इस तरह की कोई बात पाकिस्तान में होती, वह इस तरह की मांग करते कि पाकिस्तान की लोक सभा का एक सेशन पूर्वी पाकिस्तान में जा कर ढाका में हो . . . . . .

कुछ माननीय सदस्य : वहां लोक सभा कहां है ?

श्री पहाड़िया : मेरा मतलब वहां की संसद से है । अगर वहां के लोग इस तरह की मांग करते कि उन की पार्लियामेंट का एक सेशन पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका में हो, तो प्रस्तावक महोदय का तर्क कुछ जंच सकता था । लेकिन उन लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं कही । वह तो अपनी राजधानी को ही कराची से, जो कि एक कोने में था, हटा कर रावलपिंडी में ले गये हैं । इसलिए यह तर्क कुछ जचा नहीं ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में है, उसी तरह हिन्दुस्तान के बहुत से राज्य हैं । बम्बई को आप मिसाल के तौर पर देखिये । कितना बड़ा राज्य है । अगर वहां के लोग यह सिफारिश लायें कि वहां की असेम्बली का सेशन बम्बई में ही क्यों हो, नागपुर में क्यों न हो, या किसी दूसरे स्थान में क्यों न हो, तो बड़ी मुश्किल पड़ जायेगी । इसी तरह से जो प्रस्तावक महोदय भावना की बात कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान में भावनात्मक एकता को लाना है, तो भी यह तर्क ठीक नहीं बैठता क्योंकि इस तरह से हर राज्य जिले जिले के हिसाब से सोचने लगेगा । मैं आप को मध्य प्रदेश का हवाला दूं । वहां की राजधानी भोपाल में है । वहीं पर असेम्बली का अधिवेशन होता है । लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा कहीं कहीं पर जा कर बिहार और बंगाल से लगती है । वहां के लोग क्या करेंगे ? वे कहेंगे कि चूंकि वह हिस्से राजधानी से बहुत दूर हैं इसलिए वहां पर असेम्बली का अधिवेशन हो ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

तो यह जो देश की राजधानी का सवाल है वह प्रान्तों प्रान्तों की राजधानी का सवाल बन जायेगा । इसलिए मैं कहता हूं कि देश में उचित मांगों पर ही बयान दिया जाना चाहिए । आज मांग उठी है कि राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में न हो कर जोधपुर में हो । उस की शाखा जयपुर में हो । इस तरह का कोई सवाल होता तो शायद मान लिया जाता, लेकिन राजधानी के सवाल उठाना ठीक नहीं है । बम्बई का इतना बड़ा राज्य जो कि तीन राज्यों को मिला कर बनाया गया तो जिस समय इसका सवाल उठा तो वहां राजधानी का सवाल नहीं उठा था बल्कि इस बात का सवाल उठा था कि बम्बई को किस तरह से बांटा जाय । प्रस्तावक महोदय का यह तर्क कि दक्षिण भारत में लोक सभा का अधिवेशन करने से भावनात्मक एकता आयेगी मेरी राय में सही नहीं है बल्कि मुझे तो आशंका है कि आज जो एकता बनी हुई है उसको भी इस तरह का प्रस्ताव ला करके धक्का पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं तो समझता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव लाकर जो भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने की बात कही जा रही है मुझे यह कहने के लिए माफ किया जाय कि इस तरह से तो हमारी स्थापित एकता को कमजोर ही करना होगा । और हो सकता है कि इस तरह के प्रस्ताव लाने के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ काम कर रहा हो ।

अब जहां तक सर्विसेज में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अनुपात का सम्बन्ध है तो केन्द्र के सचिवालय में जहां तक आई०ए०एस० सर्विसेज़ का सवाल है उन पर दक्षिण के लोगों का कब्जा है और इसलिए यह आरोप कि दक्षिण भारत के प्रति उपेक्षा और उदासीनता बर्ती जाती है, यह बिलकुल गलत है । अलबत्ता जहां तक सचिवालय में छोटी नौकरियों का सवाल है उनमें तो उत्तर भारत का ही अधिक अनुपात होगा क्योंकि वे नजदीक पड़ते हैं और दूसरे दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में कोई छोटी नौकरियां करने थोड़े ही आते हैं लेकिन हम देखते हैं कि आमतौर पर उत्तर भारत के लोगों में यह भावना है कि जितनी सेक्रेटेरियट की ऊंची ऊंची सर्विसेज हैं उन पर दक्षिण वालों का ही कब्जा है । इसलिए यह जो कहा गया कि दक्षिण भारत के प्रति उपेक्षा की नीति नहीं बर्ती गई है

यह बिलकुल गलत है। देश की राजधानी कहां हो इस पर कोई संकीर्ण दृष्टि से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और क्या उत्तर भारत और क्या दक्षिण भारत, देश का हर एक बच्चा बच्चा और देशवासी इस बात के लिए तुला हुआ है कि देश की राजधानी चाहे मद्रास में हो, बम्बई में हो, बंगलौर में हो अथवा दिल्ली में ही बनी रहे, जब भी देश की सुरक्षा पर कोई आंच आने की सम्भावना होगी अथवा देश की आजादी की रक्षा को कायम रखने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो वे सब समान रूप से बिना उत्तर और दक्षिण का भेदभाव बर्ते कंधे से कंधा मिला कर खड़े हो जायेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस डिसकशन के दौरान में यह जो हिन्दुस्तान को केवल दो हिस्सों में बांटा जा रहा है यह बिलकुल गलत है क्योंकि किसी भी तरह देश के दो टुकड़े नहीं हो सकते बल्कि चार टुकड़े हुआ करते हैं, चार हिस्से हुआ करते हैं। यह तो खाली उत्तर और दक्षिण भारत की यहां पर चर्चा हो रही है और दक्षिण में भी लोकसभा का सेशन करने की चर्चा चल रही है तो क्या बम्बई वाले अथवा बंगाल वाले इस बात को कभी पसन्द करेंगे कि साउथ में तो सेशन करने की बात हो लेकिन पश्चिम में और पूर्व में सेशन करने की बात न हो? इसी तरह क्या पूर्व वाले इस बात को नहीं सोचेंगे कि जब दक्षिण में सेशन करते हैं तो क्यों नहीं कलकत्ते में अथवा पटने में लोक सभा का सेशन किया जाय। इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ही यह सवाल है ऐसा सोचना बिलकुल गलत है। हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि कोई भी देश आप ले लोजिये उसके चार हिस्से होंगे ही, चार दिशाएं होंगी ही। राजधानी और प्रशासन सम्बन्धी मामलों में यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की प्रथकतावादी मनोवृत्ति का लाना उचित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय प्रस्तावक महोदय ने इस बात को बिलकुल भुला दिया कि हिन्दुस्तान के चार हिस्से हैं . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : चार हदों पर चले जायेंगे तो दरमियान का पेट क्या ऐसे ही रह जायगा?

श्री पहाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में दो बातें कही गई हैं जो कि स्वयं उन्हीं के तर्कों से कट जाती हैं फिर भी मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जिस समय एक राजनैतिक एकता स्थापित करने की बात चल रही थीं उस समय भी मुसलमानों में भावनात्मक एकता बनाये रखने के लिए यह कभी नहीं कहा गया था कि वे एक सेशन पार्लियामेंट का कराची में कर लिया करें। इस तरह से भावनात्मक एकता स्थापित नहीं की जा सकती। अगर हिन्दुस्तान की धार्मिक एकता की दृष्टि से देखा जाय तो आपको पता चल जायगा कि राजनैतिक और आर्थिक एकता के साथ साथ यहा पर धार्मिक एकता भी रही है। अगर भारत के उत्तर में बद्रीनाथ है तो दक्षिण में रामेश्वरम है, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में जगन्नाथपुरी के तीर्थस्थान हैं और जो कि भारत की धार्मिक एकता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

इसके अलावा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि केवल एक कम्युनिटी कोई खास उत्तर में बसती हो कोई दूसरी कम्युनिटी दक्षिण में बसती हो, ऐसी बात नहीं है बल्कि सभी कम्युनिटीज सभी जगह हिन्दुस्तान में बसती हैं इसलिए इस प्रस्ताव के द्वारा यह जो एकता लाने की बात कही जा रही है, सही नहीं है। मैं यह दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव लाकर किन्हीं राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति का इस तरह दक्षिण भारतीयों को उकसा कर अपने साथ लेने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, सर्वथा उचित नहीं है और विशेष कर आज की परिस्थिति में जब कि देश की एकता को सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है इस तरह का प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है।

कुछ भाइयों ने इस प्रस्ताव की चर्चा करते समय समाजिक एकता कायम करने की भी बात कही है लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि समाजिक एकता यहां पर पूरी तरह से विद्यमान है और हम देखते हैं कि शादी ब्याह आदि और त्यौहारों पर जो रीति रिवाज उत्तर

[श्री पहाड़िया]

भारत में पाये जाते हैं वही आमतौर पर दक्षिण में भी बर्ते जाते हैं। पार्लियामेंट का साल में एक सेशन करने मात्र से उनका जो यह विचार है कि सामाजिक भावनाओं को एकता हो जायगी, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एकता का प्रतीक चाहे वह भावनात्मक एकता हो, राजनीतिक एकता हो अथवा सामाजिक एकता हो, वह एक ही होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो हमें मालूम हो जायगा कि यहां पर जितने भी शासक हुए, चाहे वे मुगलिया शासक रहे हों अथवा और लोग, उन्होंने प्रत्येक दृष्टि से दिल्ली को ही देश को राजधानी होने के उपयुक्त समझा। हिन्दुस्तान के पहले शासक ने ही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने भी जिन्होंने सबसे पहले यहां आकर कलकत्ते को देश को राजधानी बनाया था, बाद में परिस्थितियों को देखते हुए कलकत्ते से बदल कर राजधानी दिल्ली में ले आये। अगर उसमें कुछ ऐतिहासिक, राजनैतिक अथवा आर्थिक तत्व नहीं होता तो मैं समझता हूं कि अंग्रेज लोग जो कि यहां हिन्दुस्तान पर इतने अधिक समय तक राज्य कर गये, राजधानी कलकत्ते से बदल कर दिल्ली न लाये होते वरन् बंगलौर अथवा हैदाराबाद में राजधानी बनाये होते। जो परिस्थितियां आज हैं वे उस समय भी उनके सामने रही होगी जब उन्होंने दिल्ली को ही राजधानी बनाने का निश्चय किया होगा और कोई उस समय से अब हिन्दुस्तान घट बढ़ के थोड़े ही गया है। आज भी सब दृष्टियों से यदि देखा जाय तो हम इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली हीं बनी रहनी चाहिए।

अब अगर कुछ भाइयों का विचार है कि बंगलौर अथवा मैसूर में चूंकि असेम्बली इत्यादि के लिए काफी जगह पड़ी है और वहां पर पार्लियामेंट का सेशन हो सकता है, काफी बड़ा हाल है तो हालांकि मुझे यह कहने का अधिकार तो नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस हालत में तो हमारे राजस्थान में काफी भवन आदि खाली पड़े हैं और वहां पर भी बहुत काफी जगह सुलभ है और बंगलौर से भी अधिक जगह वहां पर सुलभ हो सकती है और जहां पर कि राज्य सभा और लोक सभा दोनों चल सकती हैं और कुछ दिन के लिए वहां पर भी सेशन पार्लियामेंट का किया जा सकता है।

इसलिए इन बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि वह उचित नहीं है और मैं तो प्रस्तावक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यदि अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें तो बहुत अच्छा हो।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी........

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो गई।

श्री वाजपेयी : उसमें जो विचार निहित हैं उस को मैं दो शब्दों में रखना चाहता हूं। इस विवाद ने जिस तरह का स्वरूप धारण किया है मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो शायद उन्हें इस बात को कल्पना नहीं होगी कि यह विवाद इस तरह का रूप धारण कर लेगा। जिस भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया गया है उसमें उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई नया विवाद खड़ा करने की कल्पना नहीं है। हमारे देश ने एक हजार वर्ष के पश्चात फिर से राजनैतिक एकता प्राप्त की है और इस एकता को बद्धमूल करने को आज आवश्यकता

है। यह ठीक है कि एकता का यह भवन हमारी एक संस्कृति के आधार पर प्रतिष्ठित है लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में यदि हम एकता को पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐसे पग उठाने पड़ सकते हैं जो कि आज की दृष्टि से और हमारे देश की विशालता की दृष्टि स आवश्यक प्रतीत हों। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ वर्षों से दक्षिण में जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प किया है और सम्पूर्ण देश ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है कि वह वर्ष में एक बार नई दिल्ली से बाहर जायं किसी दूसरे प्रदेश में और वहां की जनता को भी उनके प्रत्यक्ष सम्पर्क में आकर इस बात का अनुभव हो कि वस्तुतः हमारी जो एकता है वह स्थायी एकता है, व्यवहार्य एकता है जो कि क्षण प्रतिक्षण हमारे अनुभव में आती है। मैं समझता हूं लोक सभा के अधिवेशन को दिल्ली से बाहर रखने के पीछे भी यही भावना है। प्रश्न राजधानी को बदलने का नहीं है। राजधानी तो दिल्ली ही रहेगी। यहीं पर कील गाड़ी गयी थी जो ढिल्ली हो गयी, इसलिए यह दिल्ली हो गयी। वह कील तो अभी तक गड़ी है। और उसको उखाड़ने का कोई प्रयत्न हो भी नहीं रहा है और करना भी नहीं चाहिए। प्रश्न तो केवल इतना है कि क्या हमारे लिए लोकसभा का एक अधिवेशन बंगलौर में या हैदराबाद में करना सम्भव है।

इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो विंध्याचल के उस पार के लोग हैं वे इस प्रकार के अधिवेशन का स्वागत करेंगे। और इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वहां अधिवेशन के करने में अनेक व्यवावहारिक और आर्थिक कठिनाईयां हैं। लेकिन हम केवल इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरादें कि व्यवहारिक और आर्थिक कठिनाईयां हैं, तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह कठिनाइयां ऐसी नहीं हैं जिनको हल नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आज या निकट भविष्य में हम लोक सभा का अधिवेशन दिल्ली के बाहर कहीं न कर सकें, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है, और यदि हमारे संसदीय कार्यों का मंत्रालय चाहे और इस संबंध में शीघ्रता करे तो वह भविष्य निकट में भी आ सकता है जब हम अपनी संसद् का अधिवेशन दिल्ली के बाहर कर सकें। वैसे अभी भी हमारे देश में अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां जाड़ों में कहीं अधिवेशन होता है, गर्मियों में कहीं होता है। जम्मू काश्मीर की विधान सभा गर्मियों में श्रीनगर में बैठती है तो जाड़ों में जम्मू में बैठती है। बम्बई की विधान सभा भी पूना में बैठा करती थी। कांग्रेस राज्य का एक ऐसा भी उदाहरण है कि मध्यभारत राज्य तो एक था मगर उसमें दो राजधानियां थीं, एक ग्वालियर में और दूसरी इन्दौर में। पता नहीं यह मुहम्मद तुगलक के कदमों के अनुसार था, पर ऐसा था जरूर। जब हमारे कांग्रेस के मित्र इसका विरोध करते हैं तो वह मेरी समझ में नहीं आता।

एक माननीय सदस्य: इसी कारण तो वह प्रदेश खत्म हो गया।

श्री वाजपेयी: इसलिए जहां तक कठिनाइयों का सम्बन्ध है उन्हें हम हल करने का प्रयत्न करें। लेकिन इस प्रश्न के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

अभी विवाद ने जो रंग पकड़ा है उससे लगता है कि अगर हम इस चीज़ को सरसरी तौर पर खत्म कर दें कि सदस्यों को ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी, वहां भवन नहीं होगा हम कहां बैठेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। १२ वर्ष हो गए पर अभी तक सरकार सदस्य

[श्री वाजपेयी]

के लिए दिल्ली में सारी सुविधायें नहीं जोड़ सकी तो हैदराबाद और बंगलौय में यह कैसे सम्भव होगा, यह दलील भी दी जा सकती है और इन दलीलों में बल भी है। मगर इस प्रस्ताव के मूल में जो भावना है उसका समादर किया जाना चाहिए कि देश की एकता को पुष्ट करने के लिए यह बात कही जा रही है किसी राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धी के लिए नहीं। उत्तर और दक्षिण में कोई नया भेद खड़ा करने की बात की तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारा देश बहुत विशाल है, जब भी हम साहित्य में उसका विवरण पढ़ते हैं तो उसकी विशालता हमारे हृदय को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इस विशाल देश में हमको घूमना पड़ता है कि भारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे अनेक अवसर लाएं कि देश के सुदूर भागों में फैले हुए हमारे देशवासी भी यह अनुभव कर सकें कि समान रूप से सभी भागों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, सभी भागों की चिन्ता की जा रही है। और यद्यपि मेरा संशोधन रद हो गया है, पर मैं समझता हूं कि उसकी जो भावना है कि इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमेटी कायम की जाए, उसको मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे। वह कमेटी सभी तरह के आंकड़े एकत्र करे और जो कठिनाइयां हैं उनको किस तरह से हल किया जाए इसका भी विचार करे। और अगर वह कमेटी उन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद भी यह अनुभव करे कि यह सम्भव नहीं है तो सदन को भी यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर सरसरी तौर पर इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया तो इस का परिणाम देश के कुछ भागों की जनता पर अच्छा नहीं होगा और उसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए।

†डा० मेलकोटे (रायचूर) : दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर और दक्षिण में भावनाओं के एकीकरण की कमी का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के साथ एकता, निष्ठा, तथा देश प्रेम में उत्तर की अपेक्षा दक्षिण किसी भी हद में कम नहीं है। अगर सरकार यह अनुभव करती है कि इस प्रस्ताव से देश की एकता में अवरोध पहुंचेगा तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो इसका विरोध करेंगे। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति द्वारा १५ अगस्त का समारोह दक्षिण के किसी भाग में मनाने से देश की एकता बढ़ेगी, तो फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि दक्षिण में लोक-सभा का अधिवेशन करते समय किस प्रकार एकता को क्षति पहुंचेगी। अतः इस तथ्य पर विचार करना होगा। व्यय, कठिनाइयां आदि बातों पर तो विचार किया जा सकता है।

मैं मानता हूं कि संसद् का तथा सरकार का सभी लोगों के साथ दक्षिण जाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन दक्षिण में जलवायु की दृष्टि से जाना अच्छा है। वहां दिल्ली जैसी स्थिति नहीं रहती। अतः मेरा निवेदन है कि सदस्यों की एक समिति बनाई जाये जो दक्षिण में जा कर स्थिति का निरीक्षण करे और यह बताये कि इसके लिये कौन सा स्थान ठीक रहेगा। साथ ही यह समिति व्यय सम्बन्धी समस्याओं के बारे में भी विचार करे। सम्भवतः सरकार भी इस मामले की जांच करेगी और तत्सम्बन्धी आंकड़े और स्थान के बारे में बतायेगी और तब तक संभवतः यह वाद विवाद भी स्थगित कर दिया जाये बस यही मेरा निवेदन है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर जब बहस हो रही थी और उस वक्त जिस भावना का प्रदर्शन किया गया,.......

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : अभी हो रही है।

श्री बालकृष्ण वासनिक : हां, हो रही है......उस से मुझे कुछ दुख हुआ है। इस सदन के बाहर ही नहीं, परन्तु इस सदन में भी दक्षिण और उत्तर के अलग अलग सदस्यों के मन में जो भावनायें वर्तमान हैं, वे आज इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ ऊपर आ गई हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो भावनायें हमारे देश के विधानकर्ताओं के मन में हैं, वे इस देश की एकता को कोई दृढ़मूल करने वाली नहीं हैं और उन को हम जितनी जल्दी दूर कर सकें, उतना ही अच्छा होगा, इस देश के हित में होगा, ऐसी मेरी कल्पना है।

आप जानते हैं कि यह जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, उस का समर्थन करते हुए कुछ सदस्यों ने यह कहा कि यदि लोक सभा का एक सत्र दक्षिण में बंगलौर या हैदराबाद में किया जाता है, तो दक्षिण के लोग उत्तर के आक्रमण या उत्तर के आधिक्य के बारे में अपने मन में जो कुछ महसूस करते हैं, वह उन के मन में नहीं रहेगा— वह दूर हो जायगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन को छोड़ कर साल में एक बार कुछ दिन के लिए जो निलयम् में जाते हैं, उस का कारण भी यही है और पन्द्रह अगस्त का समारोह दक्षिण में मनाने का जो निश्चय किया है, उस का कारण भी इसी प्रकार का है। मैं समझता हूं कि इस भावना को लेकर यदि किसी काम को हम करना चाहें, या करने का सोचें, तो उस से वह भावना दूर होने की अपेक्षा उस भावना को हमने मान्यता दी है, ऐसी बात होगी। चूंकि दक्षिण के लोगों की भावनायें उत्तर में लोक सभा का सत्र होने से कुछ दर्जे में टक्कर खाती हैं, इस लिए हम लोक सभा का एक सत्र दक्षिण में ले जायें, क्योंकि उन की भावनाओं का हम को समाधान करना है, तो मेरा ख्याल है कि उस भावना को खत्म करना तो उस से होगा नहीं, बल्कि उस का अर्थ उस भावना को और दृढ़मूल करना होगा और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह हमारा करना देश के हित में होगा, ऐसा नहीं है।

हम यह तो कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रपति एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दस बार दक्षिण में जायें, वहां पर कोई कार्यक्रम किए जायें। वह दक्षिण में जायें, पूर्व और पश्चिम में जायें, देश के विभिन्न भागों में जायें परन्तु वह भावनाओं के समाधान की दृष्टि से जायें, यदि यह बात हो, तो यह भावनात्मक एकात्मकता की बात नहीं है। अलग अलग प्रकार की भावनाओं—भाषा की भावना, प्रान्त की भावना, अलग अलग रिजन की भावना—कितनी कितनी भावनाओं का समाधान करने के लिए कितनी कितनी बातें करनी पड़ेंगी, यह बात आज हम को और आप को समझनी है। इस दिल्ली में बैठ कर सारे हिन्दुस्तान की एकता हुई है। भावनात्मक एकात्मकता का निर्माण करने के लिए बंगलौर, मद्रास, हैदराबाद जाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं समझता।

कुछ दिन पूर्व मैंने एक रेजोल्यशन भेजा था, जो कि बैलट में नहीं आया। एक माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव के लिए एक अमेंडमेंट दी थी, किन्तु वह शायद मूव नहीं की गई।

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

उसमें कहा गया कि छोड़ दीजिए दक्षिण और उत्तर की भावनाओं को, पूर्व और पश्चिम की भावनाओं को, और इस समस्या का समाधान देश के केन्द्र में किया जाये। तब इस प्रकार की भावना नहीं आ सकती है। यदि इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जाये, तो वह ज्यादा अच्छी बात होगी, ऐसा मैं समझता हूं और इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करना आज अत्यन्त अनिवार्य और आवश्यक है। बिलासपुर में एक माननीय सदस्य ने और दूसरे एक सदस्य ने नागपुर का नाम भी लिया है और यदि उस दृष्टि से नागपुर का विचार किया जाता है, तो कोई हानिप्रद बात होगी ऐसा मैं नहीं समझता। इस प्रस्ताव पर हो रही बहस का उपयोग मैं नागपुर का नाम आगे करने के लिए कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, परन्तु नागपुर का नाम मैं इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि वह देश का केन्द्रबिन्दु है—न वहां उत्तर और दक्षिण का झगड़ा हो सकता है और न किसी कोने का झगड़ा हो सकता है। इस प्रकार अलग अलग कोनों के बारे में झगड़नें की भावनाओं को हम को पूर्ण दृष्टि से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। वस्तुतः तो बहुत समय हुआ तब मैंने इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी और लगातार इसकी सूचना देता रहा हूं। निस्सन्देह मैं कह सकता हूं कि अगर लोकसभा का एक भी अधिवेशन बंगलौर में हुआ तो मैसूर की जनता तथा वहां की सरकार इस निर्णय का पूर्ण हृदय से स्वागत करेगी। लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिवेशन के लिये वहां की विधान सभा उपयुक्त है। और आसानी से वहां अधिवेशन हो सकता है। वहां आवास की कोई कठिनाई नहीं होगी। एक समिति को नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का भी मैं स्वागत करता हूं। समिति को वहां अधिवेशन करने के बारे में जांच करने का अवसर दिया जाये और तत्सम्बन्धी सभी बातों पर भी वह विचार करे। और उस समिति का प्रतिवेदन अथवा सिफारिशें सभा में रखी जायें।

दक्षिण में लोकसभा का अधिवेशन करने का उद्देश्य यह है कि वहां लोग दिल्ली की गर्मी से बच सकेंगे। वह भी हम इसलिये कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी होता था जबकि कार्यालय शिमला जाया करते थे।

अन्त में देश की वृहद् स्थिति को देखते हुए मेरा यही निवेदन है कि एक अधिवेशन दक्षिण में हो और इसकी जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की जाये। वह समिति सभी बातों की जांच करे और उस के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भ० दी० मिश्र (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव रखते हुए जो विचारधारा सदन के समक्ष उपस्थित की है उसको देखते हुए यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं मालूम पड़ता है। साथ ही साथ इस प्रस्ताव के बारे में जो विचारधारायें सभी ओर से प्रस्तुत की गई हैं उनको देखते हुए भी जो एक छोटा सा लाभ प्रस्तावक महोदय ने दिखाने की चेष्टा की है वह लाभ भी मेरे ख्याल में हानि में परिणत होता हुआ नजर आता है।

जहां तक देश की एकता का प्रश्न है उसके बारे में देश की संस्कृति ने जो कुछ हमें दिया है तथा दूसरी जो बातें बतलाई हैं उन सबको देख कर भी यही कहा जा सकता है कि हम हमेशा एक रहे हैं,

†मूल अंग्रेजी में

एकता हमारा हमेशा से ही लक्ष्य रहा है और रहेगा और इस तरह की जो अनेकता पैदा होने की बातें हैं वे कभी भी पैदा नहीं हो सकतीं हैं। अभी हमारे मित्रों ने कहा कि चार धाम हमारे यहां हैं, चारों धामों के महातीर्थ यहां बनाये गये हैं और इन तीर्थ स्थानों में जा करके लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और साथ ही साथ धर्म लाभ भी करते हैं। इसी तरह से आप के यहां वसुधैव कुटुम्बकम् का सिद्धान्त बताया गया है। यह भी कहा गया है :—

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इसका अनुवाद कर दीजिये।

श्री भ० दी० मिश्र : अगर इसका अनुवाद करना आवश्यक है तो मैं शर्मा जी के लिये किये देता हूं। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश का लक्ष्य यह रहा है कि सब लोग सुखी रहें, किसी प्रकार की आपत्ति उनके सामने न आये और हर तरह से, हर प्राणी का मंगल हो। यह भावना हमारे देश की हमेशा रही है। साथ ही साथ यह उच्चतम भावना देश में गिनी गई है।

ऐसी अवस्था में इस प्रस्ताव को लाना और इस प्रस्ताव के बारे में प्रस्तावक महोदय ने जो अर्थ के अलावा दूसरी कठिनाइयां बतलाई हैं, उनको हल भी कर लिया जाए तो भी मेरे विचार में यह प्रस्ताव व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण के भाइयों में कोई ऐसी भावना पैदा नहीं होने देनी चाहिये कि जिससे वे यह समझें कि उनके बहुत दूर रह करके, संसद् का अधिवेशन वहां न करके उनकी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब कठिनाइयों पर अगर काबू पा लिया जाए और अधिवेशन वहां किया जाए तो भी यही कहावत चरितार्थ होगी कि पहाड़ खोद करके चुहिया निकाली गई है।

हमारे यहां इतनी बड़ी बात हो गई है कि जिसका ठिकाना ही नहीं। यहां पर लोकतन्त्री व्यवस्था चालू हो गई है और लोग जानने लगे हैं कि किस प्रकार काम हो रहा है। यहां पर यह भी कहा गया है कि पहले शिमला में संसद् का अधिवेशन हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का यहां राज्य था और कुछ गिने हुए मेम्बर होते थे। विदेशी अपनी सुविधा के लिये वहां पर अधिवेशन कर लिया करते थे थे और वह दूसरी बात थी? लेकिन आज जब कि हमारा इतना विस्तृत क्षेत्र हो गया है, इतने अधिक विभाग हो गए हैं, इतने अधिक अधिकारी हो गये हैं, लोक-सभा का अधिवेशन किसी दूसरी जगह पर करना व्यावहारिक नहीं मालूम पड़ता है।

प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि इस प्रस्ताव का विरोध करते समय अर्थ की आपत्ति आएगी लेकिन उसका मुकाबला भी हम को करना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से यदि हम को अधिक लाभ दिखाई पड़ता हो तो अर्थ की आपत्ति पर भी ध्यान न देते हुए उस काम को हमें करना ही चाहिये। लेकिन इस प्रस्ताव के मूल में कोई अधिक लाभ न देख करके मैं यह देखता हूं कि ऐसे भावों का प्रदर्शन यहां होने लगा है जो कि ठीक नहीं है। कोई साहब कहते हैं कि उत्तरी भावना इसके पीछे हैं, कोई कहते हैं कि पूर्वी भावना इसके पीछे है और कोई कहता है कि पाश्चात्य भावना इसके पीछे है और उसका संकेत भी किया है। एक दूसरे साहब ने अपने कोई केन्द्र बिन्दु की ओर इशारा करते हुए यह कहा है कि कोई अनुचित नबात नहीं होगी अगर नागपुर में इसका अधिवेशन किया जाए और यह ज्यादा उचित भी होगा। मैं समझता हूं कि यह वैसी ही बात हो जाएगी जैसी प्रान्तीयता की भावना को लेकर हो गई थी। देखने में आया है कि द्विभाषी प्रान्त जब बनाये गये तो बहुत विकट समस्या उपस्थित हो गई। इसलिये प्रस्तावक महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने

[श्री भ० दी० मिश्र]

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, उस भावना का इस प्रस्ताव के साथ संतुलन स्थापित करने की चेष्टा आप ने नहीं की है और न वह हो ही सकी है अन्यथा इस तरह का प्रस्ताव इस सदन के सन्मुख वह उपस्थित न करते।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सर्वथा अव्यवहारिक समझता हूं और समझता हूं कि आर्थिक दृष्टि से भी इसको अगर देखा जाए तो भी स्वीकार नहीं होना चाहिये। इसका कोई खास लाभ दिखाई नहीं देता है। इस वास्ते मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको वापिस ले लें।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और निवेदन करती हूं कि जब बंगलौर में स्थान है तो क्यों न वहां लोकसभा का एक छोटा सा सत्र किया जाये। हो सकता है कि वर्तमान समय इसके लिये उपयुक्त न हो लेकिन इस प्रस्ताव को सरसरी तौर पर ही समाप्त नहीं कर देना चाहिये। हमारा देश इतना विशाल है तो फिर क्यों न हम अपने यहां ऐसे कार्य कर जिससे हानि तो कुछ न हो बल्कि लाभ ही हों। बंगलौर में आवास की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ खर्चा अधिक अवश्य होगा क्योंकि सभी मंत्रियों को वहां जाना पड़ेगा। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि इस पर विचार तो अवश्य करना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। सम्भवतः इसकी जांच करने के लिये एक समिति बनाई जाये।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि यह विवाद अधूरा रह जाता यदि किसी दिल्ली वाले को बोलने का अवसर न दिया जाता।

जहां तक लोक-सभा और राज्य सभा के यहां बैठने का सम्बन्ध है, दिल्ली वालों के लिये यह एक गौरव की बात रही है और दिल्ली को यह गौरव बहुत समय से प्राप्त रहा है। किन्तु दिल्ली का जो स्वरूप हुआ करता था वह बिलकुल बदल गया है। अगर यह कहा जाए कि दिल्ली में उत्तर भारत के ही लोग रहते हैं तो यह कहना ठीक नहीं होगा। दिल्ली में सभी प्रान्तों के लोग रहते हैं और यहां आकर वे बस गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली वालों की अपनी संस्कृति न रह कर वह एक मिश्रित संस्कृति बन गई है और एक नई ही संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। आप सबका आतिथ्य करने के लिये दिल्ली वालों ने अपनी सब बातों को त्याग दिया है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। देश के सभी प्रान्तों के लोगों को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने यहां विधान सभा रख सकते हैं और उस विधान सभा के द्वारा अपनी बातें शासन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दिल्ली वालों ने आप सबके स्वागत में अपने उस अधिकार को छोड़ दिया है और उस अधिकार को छोड़ने के बाद जो दिल्ली वालों की समस्त समस्यायें हैं, उनको हल करने का दायित्व आप पर डाल दिया है। आप ही के ऊपर आज उनका दारोमदार है।

ऐसी सूरत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली वालों की ओर से आतिथ्य की कोई कमी रह गई है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे हम आपका स्वागत सत्कार करने के लिये जो कुछ और बन सकेगा, करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा: अपनी जान की खैर मांगो।

श्री नवल प्रभाकर: यदि आप लोगों की खातिर जान देकर भी स्वागत करने का अवसर हम लोगों को दिया जाए तो यह हमारा अहोभाग्य होगा।

एक माननीय सदस्य : जान कितनी एक हैं।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली में जितनी जान है वह किसी से छिपी हुई नहीं है । सारे देश की जानें सिमट करके यहां एकत्रित हो गई हैं । दिल्ली में एक मूल है और उस मूल से एक बड़ा वृक्ष पैदा हुआ है । यहां पर जो भी संस्कृति है वह कोई दिल्ली की अपनी पुरानी संस्कृति नहीं है ।

दिल्ली में जो एक बार आ जाता है उसको दिल्ली भूलती नहीं है । जब ज़ौक यहां से कहीं बाहर चले गए तब भी उनको दिल्ली की गलियां याद आती रहीं । आप कहीं भी जाएं दिल्ली की गलियों को नहीं भूल सकते हैं । मैंने देखा है ....

उपाध्यक्ष महोदय : यहां सारे ज़ौक नहीं हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : मुझे तो सब ज़ौक से मालूम देते हैं । मैंने देखा है कि हमारे बहुत से जो पुराने सदस्य हैं, वे दूदूरस्थ स्थानों से भी यहां पर साल में एक दो बार आ जाते हैं । जो निर्वाचित होकर आते हैं वे तो यहां रहते ही हैं लेकिन जो दुबारा निर्वाचित होकर नहीं आ पाते वे भी अक्सर देखने में आया है कि कभी कभी यहां आ ही जाते हैं और चन्द दिन लगा जाते हैं । जब ऐसी बात है तो मैंने सोचा कि कोई न कोई बात जरूर है जो कि उनको यहा खींच कर लाती है । उनकी पुरानी स्मृतियां उनको यहां खींच लाती हैं । वैसे तो दिल्ली में कोई विशेष आकर्षण नहीं है । अधिक गर्मी यहां पड़ती है । सर्दियों के दिनों में सर्दी भी होती है और कुछ अधिक भी वह हो जाती है । जहां तक बरसात का ताल्लुक है वह नार्मल होती है । यह ठीक है कि सौन्दय की दृष्टि से अगर इस मसले पर विचार किया जाये तो काश्मीर का चुनाव किया जाना चाहिये था और उसके सम्बन्ध में कहा जाना चाहिये था । लेकिन यह कहा जाए कि एकता की दृष्टि से वहां अधिवेशन हो तो यह जंचता नहीं है । इस बारे में दिल्ली की क्या स्थिति है, यह—देखने की जरूरत है । आज अगर किसी को यह कहा जाये कि यह दिल्ली वाला है तो यह बात ठीक नहीं होगी, वह दिल्ली वाल नहीं है । कोई अपने को कहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, कोई कहेगा कि मैं बंगाल का रहने वाला हूं, कोई कहेगा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, कोई कहेगा कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और कोई कहेगा कि मैं इस या उस प्रान्त रहने का वाला हूं ।

ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य दिल्ली से ऊब गये हैं और इसका कारण आतिथ्य का अभाव है तो हम आपके लिए सब कुछ हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे । आगे हम और खातिरदारी से तैयारी करेंगे, और हम समझते हैं कि आप ने दिल्ली से जो अपना इतना स्नेह बनाये रक्खा है, उस को नहीं छोड़ेंगे और बराबर दिल्ली के अन्दर जो यह दो सदन हैं वे आगे भी इसी तरह से बने रहेंगे और आप इसी तरह से यहां बैठे रहेंगे । लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप यह तय करते हैं कि आप को दूसरी जगह पर अधिवेशन करना ही है और आप को यहां से कहीं जाना पड़ा तो मैं समझता हूं कि जो सुविधायें आप को आज प्राप्त हैं वे जरूर आप को हमेशा याद आती रहेंगी । मैं तो विश्वास करता हूं कि हमारा और आप का स्नेह जो है वह आप को पुनः यहा खींच लायेगा ।

१६.३७

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय के ओजस्वी भाषण को मैं सुनता रहा । उस भाषण के पीछे जो भावना है उस की भी मैं बहुत कद्र करता हूं । इस प्रस्ताव की बहस में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जिन को मैं ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रस्ताव के सिलसिले वे बातें उभर आयेंगी । लेकिन मैं उन बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं सिर्फ इस प्रस्ताव का विरोध व्यवहारिक दृष्टि से ही कर रहा हूं । सरकार

के लिए मौजूदा हालत में या निकट भविष्य में भी इस प्रस्ताव को कबूल करना बिलकुल असम्भव सा है। जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है अगर वे ठंडे दिल से विचार करें तो उन को खुद को यह कबूल करना होगा कि आज के दिन जिस तरह का अधिवेशन हमारी लोक-सभा या राज्य सभा का होता है, जिस तरह से हमारी डिमाक्रेसी चलती है, उस में पंद्रह दिन के लिये या छः हफ्ते के लिए अगर हम किसी और स्थान को सारी सरकार को ले जायें, क्योंकि छः हफ्ते से कम तो कोई अधिवेशन चलता नहीं है, तो जो काम हम आज कर रहे हैं वह बिल्कुल अधूरा रहेगा। वह कभी पूरा नहीं हो सकता है। एफिशिएंसी का सवाल तो दूर, काम ही नहीं हो सकेगा। यह कोई हिन्दू महा सभा या राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा किसी अन्य पार्टी के अधिवेशन की बात तो है नहीं कि जब चाहा एक पंडाल बना लिया, थोड़े से वक्त के लिए टेंट्स खड़े कर लिये और दो तीन प्रस्ताव पास कर काम खत्म हो गया। इस के लिए खास तौर पर इन्तजाम चाहिए। पता नहीं बंगलौर में कोई मकान भी है या नहीं कि जहां ५०० सदस्य लोक-सभा के आ जायें।

एक माननीय सदस्य : होस्टल बनवाइये।

श्री सत्य नारायण सिंह : फिर राज्य सभा की बैठकों के लिए भी पता नहीं कोई स्थान हो या न हो। सिर्फ इतनी ही जगह की जरूरत नहीं है। जरा आप सोचिये कि ७५० सदस्य हैं। सब के पास टेलिफोन है। ७५० सदस्यों के लिए कितने टेलिफोन्स की जरूरत होगी? मैं एक छोटी सी मिसाल रखता हूं कि सेक्रेटेरियट से कितने लोग जायेंगे। हम क्वेश्चन अवर रखते हैं। एक सदस्य ने आ कर कहा कि हम चाहते हैं कि दक्षिण में अधिवेशन तो हो लेकिन क्वेश्चन अवर छोड़ दिया जाय। जरा इस को आप सोचिये कि पार्लियामेंट का अधिवेशन हो पर क्वेश्चन अवर ही न हो। इसी समय तो कुछ सदन में जान रहती है, इस के अलावा यहां क्या रहता है? समूचा सदन खाली ही रहता है।

एक माननीय सदस्य : ऐसी बात नहीं है।

श्री सत्य नारायण सिंह : आम तौर से ऐसा ही रहता है। सदस्य दूसरे कामों में लगे रहते हैं, सदन के काम में नहीं रहते। और जगह पर हजारों लोगों को जाना पड़ेगा। हम लोग शिमला जाया करते थे, उस जमाने में जब कि सदन के मेम्बर ११५ हुआ करते थे। आज जहां हमारे दोस्त बैठे हुए हैं वहां हम लोग बैठा करते थे। मुझे याद है कि उस वक्त की सरकार के बजट के जमाने में शिमला एग्जोडस को ले कर कड़ा विरोध हुआ करता था। यह एक हार्डी ऐनुअल हुआ करता था। इस में और कोई बात नहीं थी, पैसा कितना खर्च होता था। दिल्ली से सारे आफिसेज को ले जाते थे। अगर उसी एग्जोडस की हम मांग करें तो यह तो सम्भव नहीं है। मैं ने टेलिफोन का जिक्र किया। जितने लोग जायेंगे उन को बंगलौर तो क्या शायद बम्बई एक्स्चेन्ज भी ऐसी हालत में नहीं है कि उतने टेलिफोन प्रोवाइड कर सके। मशीनरी है, प्रिंटिंग प्रेस को ले लीजिये, यहां कितना कागज़ छपता है, सब के पास जाते हैं। यहां पर आसानी से, सहूलियत से, सब कुछ मिला हुआ है। यहां तो सब के सब लोग आ जाते हैं, वहां कितने लोग पहुंचेंगे। यहां से कितना सामान ले जाना होगा। यह सम्भव नहीं है कि बंगलौर या हैदराबाद में जा कर हम सब का सब सामान जमा कर सकें। यह असम्भव सी चीज है कि सब का इन्तजाम हो जाय। यहां पर ५० य ६० लाख रु० का ही सवाल नहीं है। खर्च से बढ़ कर काम का सवाल है। हमारे यहां मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर सब मिला कर करीब ५० आदमी हैं। संसद् और गवर्नमेंट का सम्पर्क कितने नजदीक का है। बिना संसद् के आदमियों के इन मिनिस्टरों का काम नहीं चल सकता। यह तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम में है कि वह

थोड़े थोड़े समय के लिए राज्य के सारे भागों में जायें ताकि देश के हर इलाके के लोग समझें कि वह इस भारतवर्ष के अंग हैं। ऐसा कहा गया कि एक हफ्ते के लिए प्राइम मिनिस्टर वहां रहें, मिनिस्टरों को चाहिए कि साउथ में जा कर लोगों से सम्पर्क बनायें। लोक सभा से कोई साउथ एंड नार्थ का सम्पर्क बढ़ेगा ऐसा मैं नहीं समझता। मैं श्री नागी रेड्डी की बात को कबूल करता हूं कि अगर सचमुच यह सन्देह हो कि दक्षिण के लोगों को उत्तर के लोगों से कम अधिकार प्राप्त हैं या जो सारे अधिकार हम लोगों के हाथ में हैं और उन के साथ समुचित न्याय नहीं होता है तो इस लोक सभा का एक छः हफ्ते का अधिवेशन दक्षिण में कर देने से ही उन की शिकायत मिट जायेगी।

लोग कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है। तो इस से क्या होता है। हम से भी बड़ा चाइना है, उस को देखिये, यूनाइटेड स्टेट्स को देखिये, रशिया को देखिये। कभी सुना आप ने कि वहां के लेजिस्लेचर का अधिवेशन राजधानी के बाहर हुआ हो। यह बात दूसरी है कि आप राजधानी ही बदल दीजिये। कहीं पर आप गवर्नमेंट को ले जाइये, यह सम्भव बात है। लेकिन जहां राजधानी होती है लेजिसलेचर की मीटिंग भी वहीं होती है, चाहे कुछ लोगों को सुविधा हो या असुविधा। इस को तो हमें कबूल करना ही है, इस से हम भाग नहीं सकते हैं कि आज के जमाने में जब कि हमारी इतनी बड़ी पालियामेंट है, उस के सब मेम्बरों को, पालियामेंट के सेक्रेटेरियट को, उस के सारे पैराफर्नेलिया को हम लादे फिरें, यह बिल्कुल मौजूं नहीं है। बल्कि आज कल के जमाने को देख कर, हमारे मेम्बर महोदय हमें माफ करेंगे, यह एक बेतुकी सी बात लगती है। यहां पर यह सवाल नहीं है कि अधिवेशन में कहां के सवाल आते हैं। वहां पर सब तरह के क्वेश्चन आयेंगे। कहीं का भी क्वेश्चन रक्खा जाय, सारे आदमियों को यहां से जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के ही सारे आदमियों को नहीं, लोक सभा सेक्रेटेरियट और राज्य सभा के सेक्रेटेरियट के आदमियों को, मेरे डिपार्टमेंट के सारे आदमियों को जाना पड़ेगा। यहां तो एक एक पैसे को देखा जाता है लेकिन जब वहां मिनिस्टर जायेंगे तो उन के साथ काम करने के लिए छः सप्ताह के लिए उन के आदमी भी जायेंगे। इन सब बातों को सोच कर यह मालूम होता है कि इस प्रस्ताव को नहीं कबूल किया जा सकता है। इस लिए मैं बहुत अदब से प्रस्तावक महोदय से दर्ख्वास्त करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। और अगर नहीं लेते हैं तो मैं सदन से दर्ख्वास्त करता हूं कि वह इस को नामंजूर कर दे।

एक माननीय सदस्य : कमेटी के बारे में क्या हुआ ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जब यह मंजूर हो ही नहीं सकता तो कमेटी का क्या सवाल है ? जैसा मैं ने बतलाया आप इस को सोचिये कि कोई भी कमेटी इस मामले को कैसे हल करेगी। यह एक दम असम्भव सी चीज है। सब मिनिस्टरों को जाना होगा, सारे सेक्रेटेरियट को जाना होगा। हां अगर यह कहा जाय कि राजधानी को बदल दिया जाय तो यह दूसरी बात है। ठीक है, जहां पर सरकार हो वहां अधिवेशन हो, साउथ में हो, बीच में हो, कहीं हो। यह बात समझ लीजिये कि आज जिस तरह से सवाल उठा है और दक्षिण की बात कही गई है, आप कुछ भी तय कर लीजिये, लेकिन यह सवाल दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर पालियामेंट दक्षिण में बैठेगी तो दूसरी दूसरी जगहों से दर्ख्वास्तें आयेंगी। इसलिए असम्भव चीज है। जैसा मैंने कहा कि यह कोई कांग्रेस का अधिवेशन तो है नहीं कि एक पंडाल बना लिया, टेंट गाड़ लिया और दो चार दिन जल्सा कर के फिर चले आये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है और इस के ऊपर जो चर्चायें इस थोड़े से समय में इस सदन में हुई हैं उन के सम्बन्ध में मुझे इन शब्दों को :

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

कहते हुए बड़ा कष्ट अनुभव हो रहा है कि प्रस्ताव को उपस्थित करते समय जो भावना उस के मूल में नहीं थी, कुछ मेरे मित्रों ने इस प्रस्ताव पर भाषण करते हुए उन भावनाओं को दूसरे रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया। जहां तक उत्तर और दक्षिण का सम्बन्ध है इस प्रस्ताव से दोनों भागों में कोई मुटाव या अलगाव पैदा हो जायेगा या तनाव की स्थिति आ कर पैदा हो जायेगी, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। अगर इस प्रस्ताव को उपस्थित करने वाला कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति होता और वही व्यक्ति इस प्रस्ताव को उपस्थित करता कि लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होना चाहिए तो सम्भव है कि यह सोचा जा सकता कि उस ने किसी स्वार्थवश उस को उपस्थित किया है। लेकिन मैंने एक उत्तर भारत का निवासी होते हुए इस प्रस्ताव को उपस्थित किया तो उसके मूल में फिर इस भावना को जन्म दिया गया कि यह उत्तर और दक्षिण का जो सवाल खड़ा किया गया है यह राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, इसके लिए मैं तो यही कह सकता हूं कि जिनके मस्तिष्कों में इस प्रकार की भावनाएं हैं उन्होंने इस तरह से इस चीज को रंग कर यहां पर रखने का प्रयत्न किया है लेकिन प्रस्ताव को उपस्थित करते समय मेरे दिमाग में कोई इस प्रकार की भावना नहीं थी।

दूसरे एक सब से बड़ी बात जो यहां पर मेरे एक मित्र ने कही कि हम तो "वसुधैव कुटम्बकम" को मानने वाले हैं और इतने बड़े देश में कहीं पर भी हो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता तो फिर वह महानुभाव इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि बंगलौर और हैदराबाद भी तो उसी बसुधा के भाग हैं जिस पर कि दिल्ली स्थित है और इसलिए अगर वहां पर कर लिया जाय तो उससे क्या अन्तर पड़ेगा।

एक यह भी इसके विरुद्ध तर्क दिया गया कि जिस समय अंग्रेज़ी शासनकाल में पालियामेंट का असेम्बली का सेशन शिमले में होता तो उस समय सरकारी कर्मचारी बहुत थोड़े थे और उनको इधर उधर से शिफ्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। अगर यह बात सही है तो इससे तो मेरी बात और भी पुष्ट हो जाती है कि फिर अगर लोक सभा का एक अधिवेशन साल में दक्षिण भारत में हैदराबाद या बंगलौर में किया जायगा तो फिर हमारी सरकार को इस बात का भी तो अभ्यस्त हो जाना चाहिए कि थोड़े कर्मचारियों से भी काम चलाया जा सकता है और इतने बड़े स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का भी ज्ञान हमारी सरकार को होना चाहिए कि आज जो हमारे देश की जनता सरकार से कुछ शिकायतें कर रही है उनमें एक बहुत बड़ी शिकायत यह है कि जिस समय हमारा देश बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भी उसमें सम्मिलित था, उस समय हमारे मंत्रियों की संख्या भी थोड़ी थी और सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी थोड़ी थी लेकिन तो भी देश का शासन अच्छी प्रकार से चल रहा था। आज जब कि इतना बड़ा स्टाफ मिनिस्टरों का बढ़ गया है और सरकारी कर्मचारियों की संख्या इस कदर पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है तो ऐसी स्थिति में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारा शासन आज इस दिशा में कुछ सोचे कि थोड़े कर्मचारियों से भी कैसे काम चल सकता है और यह तभी सम्भव है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिवेशन को ले जायें और अनुभव करके देखें कि कम से कम आदमियों से किस प्रकार से अपने कार्य को चलाया जा सकता है।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि उधर के हमारे एक साथी ने यह भी कहा कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और चारों धाम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह चारों धाम किसी एक ही दिशा में हैं या चारों दिशाओं के अन्दर हैं। अगर भारत की एकता इस बात में निहित है तो हमें यह देखना होगा कि वह कहां कहां पर स्थित हैं। हमारे कुछ मित्रों ने यह कह कर कि इस तरह का प्रस्ताव लाना मुहम्मद तुगलक की भावना का

परिचायक है जिसने कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का कार्य किया था, इसके लिए मेरा यह कहना है कि उन्होंने इस तरह की बात कह कर प्रस्तावक को थोड़ी हीनता की स्थिति में रखने का प्रयत्न किया है लेकिन पहली बात तो यह है कि मेरे मित्र इस प्रस्ताव पर विचार करते समय यह भूल गये कि यह प्रस्ताव ही नहीं है कि राजधानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाय। राजधानी तो जहां की तहां बनी रहेगी लेकिन सदन का एक अधिवेशन, सब से छोटा जो अधिवेशन सम्भव हो सकता है वह केवल उधर दक्षिण में कर लिया जाय।

इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव के विरुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह तर्क दिया गया कि दिल्ली सदा सदा से इस देश की राजधानी रहती आई है लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि अगर देखा जाय तो पता चल जायेगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का इतिहास बहुत छोटा है। अगर हम अपने देश के पुराने इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि हमारे स्वाधीन भारत को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र अंकित किया हुआ है, वह सम्राट अशोक का चक्र है और यह ध्यान में रखना चाहिए कि सम्राट अशोक की राजधानी दिल्ली नहीं थी। महाभारत काल में भी भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि हस्तिनापुर थी। अगर हम पुराने इतिहास पर दृष्टि डालें तो पायेंगे कि दिल्ली का इतिहास तो मुगलिया शासनकाल से शुरू होता है लेकिन अगर थोड़ी के लिए उनके इस तर्क को मान भी लिया जाय तो स्थिति यह है कि दिल्ली पहले देश के मध्य में स्थित थी, भारत उस समय रंगून तक फैला हुआ था लेकिन आज दिल्ली से १००–१५० मील पर दूसरे देशों की सीमाएं लगती हैं और आज की स्थिति में दिल्ली केवल एक कटिप्रदेश में है। मेरा निश्चित विचार है और मैं फिर संसदीय मामलों के मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव में निहित भावनाओं का आदर करते हुए वे इस सम्बन्ध में विचार करें। हां अगर इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने में कोई आर्थिक अथवा व्यवहारिक कठिनाइयां हों तो दूसरी बात है और उनके कारण वे उसे तत्काल रूप में कार्य रूप में परिणत न कर सकते हों तो आप इस प्रस्ताव के सिद्धान्त को स्वीकार कर लें और सिद्धान्त को स्वीकार करने के पश्चात् उसके लिए एक पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी निर्धारित कर दें जो कि सारी सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करके सदन के सामने सारी चीजें उपस्थित करे। लेकिन जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है मेरा पहले भी विश्वास था और अब भी है कि लोक-सभा का साल में एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर में हुआ करे। इस बात को कहने के पश्चात् मैं अपने प्रस्ताव का फिर बलवंती भाषा में समर्थन करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की यह राय है कि लोक-सभा का एक सत्र प्रति वर्ष दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर में हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

देश के प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में संकल्प

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह देश के प्रशासन के पुनर्गठन के लिए मार्गोपायों का सुझाव देने के हेतु जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य

---

†मूल अंग्रेज़ी में.

[श्री दी० चं० शर्मा]

की प्राप्ति में सहायता मिल सके सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं, प्रशासकों और उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का उच्च-शक्ति--प्राप्त आयोग नियुक्त करे।"

यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के प्रशासन के विरुद्ध जो ग़ैर-ज़िम्मेदार आरोप लगाये जाते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। हमारे प्रशासन के विरुद्ध कई प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। हमारा देश बहुत विशाल है और इस लिये कभी कभी कई बार कुछ लोगों की इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करने पड़ जाते हैं। परन्तु हमारे देश के लिए ही यह अपवाद नहीं है। सभी देशों में प्रशासन के लिए कड़ी बातें कही और सुनी जाती हैं। अतः मेरा निवदन है कि मैं इस प्रकार के किसी भावावेश में यह संकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहा।

हमारी कठिनाई यह है कि हमारा प्रशासन अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। अंग्रेज़ों को तो हमें गुलाम रखना था अतः अपने हितों का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने प्रकार के प्रशासन का निर्माण किया। परन्तु स्वतंत्र भारत में हमें उसमें परिवर्तन करना होगा। इसके साथ ही हमने अपने यहां कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा है, अतः यह तबदीली और भी आवश्यक हो गयी है। अन्य देशों में भी इस प्रकार की तबदीलियां हुई हैं। रूस की क्रांति के बाद वहां के प्रशासन में उसके अनुसार परिवर्तन हुए। उन्होंने नये प्रकार के प्रशासन का निर्माण किया।

इसी प्रकार अमरीका में भी हुआ। राष्ट्रपति रूज़वैल्ट ने बहुत ही संकट की अवस्था में अपने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। देश को भयानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने अपने देश को एक "नया नारा" दिया और नये प्रशासन की व्यवस्था की। इसी प्रकार हमने भी अपने देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया है और हमारा लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्त्तन) विधेयक के बारे में याचिका

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर): मैं आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्त्तन) विधेयक के बारे में २०२७ याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २३ नवम्बर, १९५९/२ अग्रहायण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २० नवम्बर, १९५९

---

२९ कार्तिक, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४३५–५९
तारांकित प्रश्न संख्या	
१५८ खाद्य जोन	४३५–३९
१५५ दिल्ली में अनधिकृत निर्माण	४३९–४१
१५७ संसत्सदस्यों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	४४१–४३
१५९ दिल्ली दुग्ध वितरण योजना	४४४–४७
१६० पटरियों और फिशप्लेटों की कमी	४४७–४८
१६१ कृषि योग्य बेकार भूमि सम्बन्धी समिति	४४८––५०
१६२ डाक तथा तार बोर्ड	४५०–५१
१६४ जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली, में नकदी का गायब हो जाना	४५२
१६५ कालका-हावड़ा मेल	४५२–५३
१६६ सहकारी खेती	४५३–५५
१६७ दिल्ली में चिड़ियाघर	४५५–५६
१६९ हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिये निवास स्थान	४५६–५७
१७० दिल्ली में यातायात से होने वाली मृत्युएं	४५७––५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४५९––९९
तारांकित प्रश्न संख्या	
१५६ गंगा पुल पर दुर्घटनायें	४५९–६०
१६८ डाक द्वारा तारों का भेजा जाना	४६०
१७१ वृक्ष लगाना	४६०
१७२ तम्बाकू उद्योग का नियमितकरण	४६०–६१
१७३ अण्डमान से लकड़ी मंगाना	४६१
१७४ थंगासेरी में पत्तन	१६१

266 (AI) LSD—10

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७५	दिल्ली-मास्को विमान सेवा	४६२
१७६	पोचमपद परियोजना	४६२
१७७	हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक सिकास कार्यक्रम	४६२–६३
१७८	दुर्गापुर में डाक सेवा	४६३
१७९	टेलीफोन विभाग के विरुद्ध अधिक वसूली की शिकायतें	४६३–६४
१८०	खानपुर गांव में बैल-शक्ति परियोजना	४६४
१८१	दिल्ली-मास्को रेडियो प्रिन्टर सम्पर्क	४६४
१८२	भारत अमरीका विमान सेवा	४६५
१८३	खांडसारी के एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाने पर प्रतिबन्ध	४६५
१८४	गाड़ी में डकैती	४६५—६७
१८५	बिना आवाज़ वाली गाड़ियां	४६७
१८६	'कृषि भवन' में अग्नि कांड	४६७–६८
१८७	डीजल तेल में पैट्रोल का मिलाया जाना	४६८
१८८	चांदवली पत्तन	४६८–६९
१८९	अमृतसर–पठानकोट सेक्शन पर विस्फोट	४६९
१९०	कुष्ठ निरोधी कार्य	४६९
१९१	निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये मकान	४६९–७०
१९२	यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद	४७०
१९३	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पुनर्गठन	४७०–७१
१९४	जम्मू और काश्मीर को मिलाने के लिये रज्जपथ	४७१
१९५	दिल्ली के अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी	४७१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७२	सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति	४७१–७२
२७३	गया के निकट रेलवे दुर्घटना	४७२
२७४	शारदा नदी पर रलवे पुल का छज्जा	४७२
२७५	दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम	४७३
२७६	शकूरबस्ती में ऊपरी पुल	४७३
२७७	मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के लम्बित मामले	४७३–७४

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७८	मध्य रेलवे में स्टेशनों पर प्रतीक्षालय	४७४
२७९	नागार्जुन सागर परियोजना में विदेशी	४७४
२८०	बम्बई राज्य में सिंचाई और विद्युत् योजनायें	४७४–७५
२८१	बम्बई राज्य में गांवों में बिजली लगाना	४७५
२८२	बम्बई राज्य में मीन-क्षेत्रों का विकास	४७५
२८३	कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के अधीन बिहार को अनुदान	४७५
२८४	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर	४७६
२८५	केन्द्रीय अध्ययन तथा अनुसंधान संस्था	४७६
२८६	उड़ीसा में चिल्का झील में मीन-क्षेत्र	४७७
२८७	उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार बोर्ड	४७७–७८
२८८	लखनऊ–बरेली लाइन पर भोजनालय	४७८
२८९	ठेकेदारों को अधिक भुगतान	४७९
२९०	बटाला स्टेशन पर रेलवे की आय	४७९
२९१	जालन्धर स्टेशन	४७९
२९२	सहकारी फल तथा वनस्पति विपणन योजना	४७९–८०
२९३	इर्विन अस्पताल, दिल्ली	४८०
२९४	पंजाब में स्वास्थ्य योजनायें	४८०
२९५	नई दिल्ली में बिजली का खराब हो जाना	४८१
२९६	कुंभ मेले के लिये विशेष प्रबन्ध	४८२
२९७	शिमला में अस्पताल	४८२–८३
२९८	हिसार (पंजाब) में मेडिकल कालेज	४८३
२९९	स्वास्थ्य कार्यों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी	४८३
३००	दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रादेशिक कार्यालय के लिये इमारत	४८३–८४
३०१	खोसला समिति का प्रतिवेदन	४८४
३०२	भारत नेपाल डाक करार	४८४
३०३	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	४८५
३०४	गोदाम	४८५
३०५	भारतीय यात्रा अभिकर्ता संस्था	४८५–८६
३०६	सार्वजनिक टेलीफोन	४८६
३०८	भारत में टेलीप्रिन्टरों का निर्माण	४८६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०९	धान की खरीद	४८७
३१०	बुढ़ापे की दवा	४८७
३११	गंगा-जल	४८७
३१२	हिमाचल प्रदेश में मिट्टी का कटाव . . .	४८८
३१३	इम्फाल में नया अस्पताल . .	४८८
३१४	मनीपुर में मछली पकड़ने की सहकारी समिति .	४८९
३१५	जवाहर सुरंग	४८९
३१६	चण्डीगढ़ का हवाई अड्डा . . .	४९०
३१७	जालन्धर-मुकेरियन रेलवे लाइन का टूट जाना	४९०
३१८	नये निर्माणों पर व्यय . . .	४९१
३१९	कावेरी पर रेल का पुल . .	४९१
३२०	नैनीताल एक्सप्रैस का पटरी से उतरना .	४९१–९२
३२१	मरीबहल स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना	४९२
३२२	सरकारी कर्मचारियों को चश्मों का संभरण	४९२
३२३	ट्रेकोमा	४९३
३२४	भरवासुमेरपुर से हरपालपुर तक रेलवे लाइन .	४९४
३२५	उड़ीसा में नहर-परिवहन	४९४
३२६	त्रिपुरा में झूम और वन उत्पाद . . .	४९४
३२७	दोणाकल में नया अस्पताल . .	४९४–९५
३२८	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि-ऋण . .	४९५
३२९	कुतुब रोड दिल्ली में फलों के लिए नई रेलवे साइडिंग . .	४९५–९६
३३०	बहुदा नदी परियोजना	४९६
३३१	खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत . .	४९६
३३२	स्पीती और लाहौल जाने वाले पर्यटक . . .	४९६–९७
३३३	स्टेशनों पर यात्री सुविधायें . . .	४९७
३३५	पासच्चोर इन्स्टीच्यूट, कुन्नूर	४९७
३३६	राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद् . .	४९७–९८
३३७	नौवहन सेवा	४९८
३३८	काठगोदाम के पास रेल दुर्घटना	४९८–९९

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव : ४६६–५००

अध्यक्ष महोदय ने १६ नवम्बर, १६५६ को शाहदरा रेलवे स्टेशन पर कुछ विद्यार्थियों द्वारा एक रेल गाड़ी रोके जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५००–०३

(१) भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या २ के निकलने के बाद, जो १६ नवम्बर, १६५६ को सभा पटल पर रखा गया था, भारत के प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच जिन पत्रों का आदान प्रदान हुआ उन की एक-एक प्रति ।

(२) निचली दामोदर घाटी में हाल की बाढ़ के बारे में वक्तव्य की एक प्रति।

(३) दिल्ली (भवन-निर्माण कार्य पर नियंत्रण) अधिनियम, १६५५ की धारा १६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली (भवन निर्माण कार्य पर नियंत्रण) विनियम, १६५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ११ मई, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४६३ की एक प्रति ।

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १६३६ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ जुलाई, १६५६ की अभिसूचना संख्या एफ १२ (१४२)/५५—परिवहन की, जो दिल्ली गजट में प्रकाशित हुई थी, एक प्रति ।

(५) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) प्राधिकार के वर्ष १६५५–५६ का लेखा जोखा ।

(२) प्राधिकार के वर्ष १६५५–५६ के हानि-लाभ का लेखा ।

(३) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के महाप्रबन्धक द्वारा वर्ष १६५५–५६ के लिये वित्तीय समीक्षा ।

(४) प्राधिकार के वर्ष १६५५–५६ के वार्षिक लेखे के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।

(५) प्राधिकार वर्ष १६५५–५६ का चालू लेखा ।

(६) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १६५८ की धारा २४ की उप-धारा (३) अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक २५ जुलाई, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४४ में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, १६५६ ।

विषय पृष्ठ

(२) दिनांक १५ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या ९३५ में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, १९५९ ।

(७) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा ६ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) आयात खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री का निषेध) आदेश, १९५९ में कुछ और आगे संशोधन करने वाली दिनांक १२ सितम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १०५२ ।

(२) चीनी (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ अक्तूबर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ११११ ।

(३) पश्चिमी बंगाल गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ अक्तूबर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ११५३ ।

(४) दिल्ली गेहूं और उत्पाद (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अक्तूबर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२०३ ।

(५) दिनांक ४ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३४ और १२३५ ।

(६) चीनी (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५९ में संशोधन करने वाली दिनांक ६ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३७ ।

(७) दिनांक ६ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३८ ।

(८) मद्रास धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक ९ नवम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १२३९ ।

(८) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा ६ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(१) कृष्णा जिला (आन्ध्र प्रदेश में) मिलों व्यापारियों और बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १३४ आदेशों का विवरण ।

(२) जिला गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में मिलों, व्यापारियों और बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १७३ आदेशों का विवरण ।

(३) जिला पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में मिलों, व्यापारियों, बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १७६ आदेशों का विवरण ।

(४) जिला गंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में मिलों, व्यापारियों, बैंकों को दिये गये चावल के अर्जन सम्बन्धी १४६ आदेशों का विवरण ।

विषय पृष्ठ

(५) रेलवे माल गोदामों से चावल और धान के लाने ले जाने पर निषेध और प्रतिबन्ध लगाने के बारे में रेलवे प्राधिकारियों को जारी किये गये दो आदेशों का विवरण।

(६) जिला कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ मिलों, व्यापारियों, को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये तीन आदेशों का विवरण।

(७) पूर्वी जिला गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ मिलों, व्यपारियों को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये दो आदेशों का विवरण।

(८) जिला पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ मिलों, व्यापारियों को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये नौ आदेशों का विवरण ;

(९) जिला गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ मिलों, व्यापारियों को जमा भण्डार बताने के बारे में दिये गये १८३ आदेशों को विवरण ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ५०३-०४

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने कोरोनेशन पिलर सीवेज, प्लान्ट दिल्ली के बारे में श्री अ० मु० तारिक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९ पर ४ अगस्त, १९५९ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन––स्वीकृत ५०४

चवालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरःस्थापित ५०४-०५

केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५९।

विधेयक के लिये नियत समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव ५०८

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ पर विचार तथा उसे पारित करने के लिये नियत समय को ५ घण्टे से बढ़ा कर ६ घण्टे कर दिया जाये।

श्री न० रा० मुनिस्वामी द्वारा प्रस्ताव में "६ घण्टे" के स्थान पर "७ घण्टे" रखने के लिये प्रस्तुत किया गया एक संशोधन स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव संशोधित रूप में, स्वीकृत हूआ ।

विधेयक विचाराधीन ५०५--१९

आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ पर विचार करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव और विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने तथा विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	५१७
इक्यावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--अस्वीकृत	५१७-४३
हैदराबाद अथवा बंगलौर में लोक-सभा का एक सत्र होने के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा संकल्प अस्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--विचाराधीन	५४३-४४
श्री दीवान चन्द शर्मा ने देश के प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
याचिका का उपस्थापन	५४४
श्री न० रा० मुनिस्वामी ने आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ के बारे में २०२७ याचिकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की ।	

सोमवार, २३ नवम्बर, १९५९/२ अग्रहायण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि--

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।